खण्ड–9, अंक–4
मंगलवार, 27 ज्येष्ठ, शक संवत् 1925
(17 जून, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

394

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2003)

(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य :

394

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	....	क
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास	....	1
नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास	....	2
प्रश्नोत्तर	....	2–49
हल्द्वानी के भावरी ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	49–50
जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ एवं दशोली में अज्ञात बीमारी से मर रही बकरियों की बीमारी से रोकथाम एवं भेड़पालकों की आर्थिक क्षतिपूर्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	50
गत वर्ष 2002–2003 में किसानों को दी गई सूखाग्रस्त सहायता के अनुरूप ही मजदूर वर्ग को भी सूखाग्रस्त राहत सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	50
अल्मोड़ा नगर में अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	51
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	....	51–52
जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में याचिका	....	52
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उत्तरांचल के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	....	52–53
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	....	53–69
वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)	....	69–100
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	....	100
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास	....	101
उत्तरांचल में साहित्य अकादमी स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	....	101
जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले नगरों की सफाई हेतु सीवर लाइनों की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती आशा नौटियाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य	....	102
नत्थियां	....	103–106

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह राणा
15—श्री गोबिन्द लाल
16—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री जोत सिंह
18—श्री तसलीम अहमद
19—श्री तिलक राज बेहड़
20—श्री तेजपाल सिंह रावत
21—श्री दिनेश अग्रवाल
22—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण दत्त तिवारी
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—श्री काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31—डा0 प्रताप बिष्ट
32—श्री प्रदीप टम्टा
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रीतम सिंह पंवार
35—श्री प्रेमानन्द महाजन
36—श्री फूल सिंह बिष्ट
37—श्री बलबीर सिंह नेगी
38—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
39—श्री भगत सिंह कोश्यारी
40—श्री मदन कौशिक
41—श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
42—श्री महेन्द्र भट्ट
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
44—श्री मातबर सिंह कण्डारी
45—चौ0 यशबीर सिंह
46—श्री रणजीत सिंह
47—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
48—श्री राम प्रसाद टम्टा
49—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
51—श्री शूरवीर सिंह
52—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53—श्री शहजाद
54—श्री साधू राम
55—श्री सुबोध उनियाल
56—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58—श्री सुरेश चंद
59—डा0 हरक सिंह रावत
60—श्री हरभजन सिंह चीमा
61—श्री हरिदास
62—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63—श्री हीरा सिंह बिष्ट
64—श्री हेमेश खर्कवाल
65—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 17 जून, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, हरिद्वार में दिन–दहाड़े एक अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गयी। इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, यह बड़ा ही संवेदनशील विषय है। इस विषय पर मैं नियम 311 में चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दीर्घकालीन रोजगार नीति बनाने के लिए विधान भवन के निकट प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज हुआ। मान्यवर, यह लोकतंत्र की हत्या है, कानून व्यवस्था की हत्या है। मैं इस विषय पर नियम 311 में चर्चा कराने की मांग करता हूं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हरिद्वार में दिन–दहाड़े हत्या हुई है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इस विषय पर 311 में चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, दिन–दहाड़े हत्या कर दी गयी, इससे ज्यादा तात्कालिक विषय कुछ और हो ही नहीं सकता।

(भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गए और नियम 311 में चर्चा कराने की मांग करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण कर लें, मैं इसे नियम 56 में सुन लूँगा।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपने कृपा कर दी और कहा कि हरिद्वार वाले मामले को नियम–56 में सुन लेंगे। मान्यवर, शासन का एक नियम सा बन गया है, रोज लाठीचार्ज कर देना, तो मैं समझता हूँ कि श्री बलबीर सिंह नेगी जी के मामले को भी नियम 56 में ले लें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं देख लूँगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–56 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल हाईकोर्ट में कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, मैंने भी इसकी सूचना नियम–56 में दी है, कृपया उसे भी सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ने की फसल के उपचार हेतु योजना एवं इस पर सब्सिडी की जानकारी

**1–काजी निजामुद्दीन–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में गन्ने की फसल पर "वूली एफिड" कीट का भारी प्रकोप हो रहा है?

यदि हां, तो गन्ने की फसल के उपचार के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

इस कीट के नियंत्रण हेतु गन्ना विभाग एवं चीनी मिलों द्वारा सघन एवं प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाये गये कीट नाशक दवाईयों का छिड़काव, गन्ना कृषकों को विस्तृत जानकारी एवं रोकथाम के विषय में सघन प्रचार–प्रसार तथा जागरुकता अभियान चलाये गये हैं। उक्त के साथ ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुझाई गई फसल–चक्र बदलाव प्रणाली पर भी किसानों को जागरूक करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, वैसे तो माननीय मंत्री जी मान गए हैं कि गन्ना किसान बुरी तरह से प्रभावित है। खासतौर से हरिद्वार क्षेत्र के गन्ना किसान। मान्यवर, पहला तो कौन सा कीटनाशक पंतनगर विश्वविद्यालय ने प्रोड्यूस किया है? क्या सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री साधूराम)–

मान्यवर, इस कीट से गन्ने की फसल को बचाने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय ने जो दवाईयां बतायी है जिनका प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, वे एन्डोसल्फान, मैटासिड, मोनोकोटोफास है। जिस पर 65% छूट दी जा रही है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, कितनी छूट दी जा रही है?

श्री साधूराम–

मान्यवर, 65% की छूट दी जा रही है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस समय किसान की बहुत ही दयनीय स्थिति है। रोज किसी न किसी माध्यम से गन्ना किसानों का मामला विधान सभा में आ रहा है। किसान के पास खाने के लाले पड़ गए हैं। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर एक किसान अपनी फसल पर स्प्रे करता है और दूसरा नहीं करता तो दूसरे वाले की फसल पूरी खराब हो जायेगी। इसलिए इन दवाओं पर शत प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री [श्रीमती इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, कृषि मंत्रालय केन्द्र सरकार ने स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए हैं कि 25% से अधिक अनुदान और सब्सिडी नहीं होनी चाहिए लेकिन गन्ना उत्तरांचल की उपज है इसलिए उत्तरांचल में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 35% मात्र किसानों को देना होगा और 65% का व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या 35% किसान को नकद के रूप में देना होगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

नगद के रूप में देना होगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, किसान पैसा देने की स्थिति में नहीं है, वह 100–200 रु0 देने की स्थिति में नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वूली एफिड को तुरंत रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यह किस प्रकार फैलता है?

श्री साधूराम–

मान्यवर, वूली एफिड की तुरंत रोकथाम के लिए जहरीली दवाओं के छिड़काव के अलावा और कोई कारगर उपाय नहीं हो सकता। इसके लिए विभिन्न जगहों जैसे हरिद्वार जनपद, देहरादून जनपद में विभिन्न जगहों–नारसन एवं श्यामपुर, टांडा भन्हेड़ा–खेड़ा जट, दौलतपुर हरिद्वार जनपद में तथा देहरादून में सभी जगहों पर किसानों की फसल को इस कीट से बचाने के लिए रोकथाम के उपाय एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से कुछ जगहों पर हम स्वयं भी उपस्थित रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

वूली एफिड किस प्रकार फैलता है, इसका जवाब मान्यवर नहीं आया है?

श्री साधूराम–

मान्यवर, इस फैलाव का कारण यह है कि यदि पास में मेंढ पर पापुलर के पेड़ लगे होते हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, बिल्कुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री साधूराम–

मान्यवर, यह वूली एफिड पत्ती के ऊपर फैलता है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह पत्ती के नीचे होता है। शायद माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि यह कैसे फैलता है? आपने कहा कि 35 प्रतिशत किसान को देना होगा। क्या इसके लिए उसे गन्ना सोसाईटी से ब्याजरहित लोन मिल सकता है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह वूली एफिड कीट पत्ती के नीचे फैलता है। यह हरिद्वार या जहां पानी की अधिकता होती है वहां पाया जाता है। नम वातावरण में यह होता है। उत्तरांचल में मात्र 35 प्रतिशत ही किसानों को देना होगा। आपने कहा कि यह भी न लिया जाये तो कई सोसाईटियों से कर्ज मिलता है। सरकार 65 प्रतिशत की राहत दे सकती है, इससे अधिक नहीं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सवाल पैसे का है। किसान के पास पैसा नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वर्तमान समय में 65 प्रतिशत से अधिक सहायता देने की स्थिति में सरकार नहीं है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार किसी भी अपने विभाग द्वारा ब्याजरहित पैसा दिलवा दे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, किसान के पास पैसा नहीं है। हकीकत यह है कि किसान वूली एफिड लगवाना पसन्द करेगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। मान्यवर, 35 प्रतिशत देने की स्थिति में किसान नहीं है। सरकार इसकी व्यवस्था करा दे, वह आने वाली फसल से इसका भुगतान कर देगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आज किसान

गम्भीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, यह सच्चाई है कि किसान वूली एफिड के लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। गन्ने का पिछले सत्र का ही भुगतान अभी बकाया है। तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि उन्हें यह सुविधा प्रदान कर दी जाये और जो पैसा किसान को देना है, वह उसके बकाये भुगतान में से काट लिया जाय।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मानीय अध्यक्ष जी, एक किसान होने के नाते गन्ने की इस बीमारी से मैं भी थोड़ा परिचित हूँ, जिस भी एरिये में यह वूली एफिड फैलता है, यह इतनी तीव्रता से फैलता है कि एक खेत से दूसरे खेत में अपने आप पहुंच जाता है और एरिये से एरिये तक यह फैलता चला जाता है। जैसा कि मा0 सदस्य ने बताया, इसका बचाव यह है कि तुरन्त उस पर छिड़काव किया जाये, जो कि एक किसान नहीं कर सकता है। क्योंकि गन्ने की लम्बाई आदमी से ऊंची होती है तो ऊपर वह स्प्रे नहीं कर सकता है। सरकार के द्वारा इस दवा का एरियल स्प्रे करवाना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में हम अपने प्रदेश के लिए बागवानी की, सीधी उत्पादन की बात कर रहे हैं तो सरकार के पास एरियल स्प्रे की व्यवस्था होनी ही चाहिए।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यदि सरकार इस संबंध में पैसा नहीं दे पा रही है तो इसे दैवीय आपदा निधि से कर दिया जाये, क्योंकि यह भी दैवीय आपदा है। उस कोष से इसकी व्यवस्था कर दें।

श्री साधूराम–

मान्यवर, जैसा कि मा0 सदस्य चीमा जी ने कहा, एरियल स्प्रे के बारे में। चूंकि वूली एफिड पेड़ की वेन्टल सरफेस पर होता है, और यदि हम एरियल स्प्रे करायेंगे तो वह तो ऊपर डारसल सरफेस पर हो जायेगा और तब इस स्प्रे का मतलब ही क्या होगा?

(हंसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यदि यह स्थिति है तो आप जमीन में छिड़काव करवा दें।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि गम्भीर से गम्भीर प्रकरण को भी यहां पर मनोविनोद और हंसी मजाक में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कितना गम्भीर है कि अभी तक सरकार की ओर से यह आश्वासन तक नहीं आया है कि किसानों का जो नुकसान हो रहा है, उसके बचाव के लिए कुछ किया जायेगा। यह सरकार का कर्तव्य है कि उसे कैसे बचाया जाये। लेकिन यह होगा नहीं, आप बचाव भी नहीं करायेंगे और जब वे लोग यहां पर अपनी बात कहने आयेंगे तो आप उन पर फिर से डण्डे बरसवा देंगे। यह एक गम्भीर मामला है। किसानों से जुड़ा हुआ है तो आप इसके बचाव के उपाय करें। छिड़काव ही उसका बचाव है तो वह होना चाहिए, चाहे आप ऊपर से करें या नीचे से करें, बचाव होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, कृपया उन्हें सुन लें।

श्री साधूराम–

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छिड़काव कर दें, तो वे ही यह बता दें कि ऊपर से छिड़काव करके क्या होगा?

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। मेरा अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य से इस तरह डांट कर बात न करें, तो अच्छा रहेगा। सदन का कुछ तो सम्मान कीजिए।

(व्यवधान)

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, डांटने की परम्परा तो आपने ही शुरु की है।

श्री साधूराम–

मान्यवर, गन्ने में पावर स्प्रे भी किया जा सकता है। इस प्रकार के स्प्रे में एक बीघे में मात्र रु0 9.25 का खर्च आता है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जब यह स्प्रे इतना किफायती है, तो सरकार इसको क्यों नहीं करवा देती है?

(व्यवधान)

श्री साधूराम–

मान्यवर, जब पावर स्प्रे किया जाता है, तो उस समय विभाग के सक्षम अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद होते हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए सदन का बहिर्गमन कर रहे हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

उत्तरांचल में टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन न होने से हो रही राजस्व हानि

**2–श्री नारायण पाल–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है?

जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है?

यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

उत्तरांचल में टैक्सी सहित किसी भी प्रकार के वाहन के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और समस्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।

रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न होने के कारण सरकार को राजस्व हानि का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वाहनों के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण....।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया, उसके सम्बन्ध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इससे करोड़ों रुपये का नुकसान राज्य को हो रहा है। क्योंकि मेरी स्पष्ट जानकारी में है कि परमिट देने के सम्बन्ध में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की विगत 7 महीने में कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि परमिट देने की प्रक्रिया यदि इतनी जटिल और विलम्ब से होगी तो सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं को शुरु करने की जो बात की है, वह किस प्रकार पूरी होगी? शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने वाली इन योजनाओं का क्या होगा? जब तक परमिट देने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटीज की सात–सात महीने तक बैठक ही नहीं होगी। इससे तो सिर्फ राज्य सरकार का पैसा ही बर्बाद होगा।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की, वह निर्मूल है। रजिस्ट्रेशन और परमिट देने की प्रक्रिया में अन्तर है। रजिस्ट्रेशन के बाद परमिट की प्रक्रिया होती है। अभी लगभग 5–6 महीने में उत्तरांचल के अवशेष मैक्सी कैब और टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। इसमें विभाग को कहीं किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। आप इसके आंकड़े देख सकते हैं। जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद परमिट प्रक्रिया जारी रही है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आम तौर पर इस पर ये जो प्रक्रिया चल रही है। जब परमिट देने में इतना विलम्ब है तो यहां के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वह नेशनल परमिट दिल्ली से बनाकर लाते हैं। यहां जो आर0टी0ओ0, एस0टी0ओ0, की विगत 7 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यहां पर किसी प्रकार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। मान्यवर, वर्ष 2001–2003 में सभी प्रकार के वाहनों, जिनकी संख्या कुल 42,144 है, का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिससे कुल रु0 6,647.51 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ, गत वित्तीय वर्ष 2002–2003 में सभी प्रकार के वाहनों का कुल रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़कर 51,560 हो गयी थी, जिनसे राजस्व के रूप में कुल 7,564.57 लाख रुपये

की धनराशि प्राप्त हुई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह मई, 2003 तक कुल 9,457 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और इससे अभी तक कुल 1,573.92 लाख रुपये की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य में किसी भी प्रकार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में कुल 969 टैक्सी तथा 752 मैक्सी पंजीकृत की गई जिनसे क्रमशः 2,90,700 रुपये तथा 2,25,600 रुपये की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। इसी अवधि में कुल 236 टैक्सी तथा 77 मैक्सी को परमिट जारी किया गया जिससे क्रमशः 1,77,000/– तथा 1,14,600/– की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कुल 790 टैक्सी तथा 375 मैक्सी पंजीकृत की गई जिनसे क्रमशः रुपये 2,37,000 तथा रुपये 1,12,500 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। इसी अवधि में कुल 152 टैक्सी तथा 26 मैक्सी परमिट जारी किये गये जिनसे क्रमशः रु0 2,28,600 तथा रु0 37,200 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मई, 2003 तक कुल 86 टैक्सी तथा 53 मैक्सी पंजीकृत की जा चुकी हैं। जिससे क्रमशः रु0 25,800 तथा रु0 15,900 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। साथ ही उक्त अवधि में ही 59 टैक्सी एवं 25 मैक्सी के परमिट निर्गत किये जा चुके हैं जिनसे क्रमशः रु0 93,150 तथा रु0 78,500 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इस प्रकार की जितनी योजनायें हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। हम तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि बाहर के प्रदेशों से रजिस्ट्रेशन हो रहा है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं यह कतई स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2001–2002 तथा वर्ष 2002–2003 में बाहर के प्रान्तों से कितने वाहन हमारे प्रदेश में आए? हमारे यहां की रजिस्ट्रेशन फीस और बाहर के प्रान्तों में रजिस्ट्रेशन फीस में कितना अन्तर है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है। प्रश्न यह था कि उत्तरांचल में टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। माननीय सदस्य के इस प्रश्न के उत्तर में अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्व में हमारे यहां रजिस्ट्रेशन फीस अधिक थी जिसके कारण लोग बाहर के प्रान्तों से रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। लेकिन बाद में आपकी भावनाओं के अनुरूप विधान सभा में एक विधेयक पारित किया गया जिसके अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस 5 प्रतिशत से घटाकर 2.50 प्रतिशत कर दी है। जिससे अब हमारे यहां

के लोग अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दूसरे प्रान्तों से नहीं करा रहे हैं।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, जो विधेयक पारित किया, क्या वह लागू कर दिया गया है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, रुड़की प्रिन्टिंग प्रेस से परसों ही गजट आया है। उसके रूल्स बनाने हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है। लगभग तीन माह का समय व्यतीत हो चुका है। इससे तो राज्य को काफी राजस्व की हानि हो चुकी होगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। परिवहन राज्य की आय का साधन भी है। हरियाणा और पंजाब में रजिस्ट्रेशन फीस कम होने के कारण हमारे यहां के लोग अपनी टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन हरियाणा और पंजाब से करा लेते हैं। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि सारे लोग हमारे राज्य से रजिस्ट्रेशन करायें ताकि सरकार की आय बढ़ सके। वैसे माननीय सदस्य ने यह बात स्वीकार की कि हमारे यहां रजिस्ट्रेशन फीस अधिक होने के कारण लोग बाहर से रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में सभी रजिस्ट्रेशन हमारे यहां से हों। ताकि सरकार की आय बढ़ सके। इस के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा दिये गये उत्तर पर गौर नहीं किया। जैसे कि मैंने अभी अवगत कराया कि हमने रजिस्ट्रेशन फीस में पांच प्रतिशत के बजाय 2.50 प्रतिशत की कमी कर दी है जिससे पांच से सात हजार रुपये की बचत हो जाती है। तुलनात्मक रूप से दूसरे प्रदेशों से यह कम है। उत्तर प्रदेश से कम है। हरियाणा और पंजाब से भी कम है।

तारांकित प्रश्न

रिंगाल, बांस की पैदावार विकसित करने की योजना

*(1) श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रिंगाल, बांस की पैदावार लगातार घटने के फलस्वरूप कुटीर उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं?

यदि हॉं, तो क्या सरकार उक्त की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि हॉं, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी हाँ,

जी हाँ,

बांस/रिंगाल के पौधा रोपण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत लच्छीवाला में वर्ष 2002 में बांस–रिंगाल केन्द्र/बैम्बू सैटम की स्थापना की गयी है, प्रत्येक वन प्रभाग में इसी के अनुरूप बैम्बू सैटम की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है, वन विभाग के पौधालयों में रिंगाल तथा बांस के पौधे अधिक मात्रा में उगाये जा रहे हैं। वन विभाग के अतिरिक्त जलागम प्रबन्ध परियोजना तथा सेन्चुरी पेपर मिल द्वारा भी बांस/रिंगाल की पौध विकसित की गयी हैं, जिन्हें वन क्षेत्रों के साथ–साथ निजी भूमि पर भी लगाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

*(2) श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

(द्वितीय सोमवार के तारा० 7 में स्था०)

देहरादून में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु उपाय

* (3) श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में वायु प्रदूषण का स्तर कितना है?

क्या सरकार जनहित में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कोई उपाय कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

देहरादून शहर में परिवेशीय वायु में प्रदूषणकारी तत्वों, यथा एस०पी०एम०, सल्फर डाई ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के मानक क्रमशः 100 माइक्रो ग्राम, 30 माइक्रो ग्राम तथा 30 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर है जिसके सापेक्ष जून, 2003 के प्रथम सप्ताह में इन प्रदूषणकारी तत्वों की सान्द्रता क्रमशः 703.37 से 1255.06; 23.15 से 23.55 तथा 24.90 से 27.11 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर पाई गई है।

जी हाँ।

वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु प्रदूषणकारी वाहनों के संचालन पर नियंत्रण तथा शहर के आस–पास स्थापित चूना, ईंट भट्टे आदि उद्योगों के प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन की मॉनीटरिंग व उनमें प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र स्थापित करने हेतु बाध्य करना सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दिल्ली की भांति वाहनों में सी०एन०जी० करने की कोई व्यवस्था है या करने जा रही है? प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही कब तक सुनिश्चित की जायेगी, इसका स्वरूप क्या है? इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र कब तक स्थापित किये जायेंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सी०एन०जी० की व्यवस्था वर्तमान समय में नहीं हो पायेगी, क्योंकि इसके लिए हमने केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया था, इनका कहना था कि अभी दिल्ली के लिए ही हम पर्याप्त मात्रा में सी०एन०जी० गैस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही चल रही है। जहां तक संयंत्र स्थापना का सवाल है, ये उद्योगों के अन्तर्गत लगाये जाते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, वे चौंकाने वाले हैं। मान्यवर, देहरादून के लिए उत्तर आया एस०पी०एम० जिसकी मात्रा जून तक 703.37 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर। मान्यवर, जबकि इसकी मात्रा 100 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए थी, यह एक भयावह स्थिति है। सबसे अधिक एस०पी०एम० किससे फैलता है, इसको नियंत्रित करने की क्या कोई व्यवस्था की गई है तथा कितने उद्योगों पर अब तक प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र स्थापित हो चुके हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एस०पी०एम० का पूरा नाम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है। यह सबसे अधिक वाहनों में स्क्रबलर न लगे होने के कारण होता है। इसको नियंत्रित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गयी है। देहरादून के आस–पास प्रमुख रूप से दो उद्योग हैं ईंट–भट्टा तथा चूना–भट्टा। चूना–भट्टा की संख्या करीब 60 है जिनमें से 30 कार्यरत हैं, इनमें संयंत्र स्थापित किये गये हैं। जबकि ईंट–भट्टों की संख्या 19 है, जिनमें से 16 में चिमनी स्थापित हैं। इनमें सभी को मानकों की पूर्ति हेतु नोटिस दी गयी है तथा 26 चूना उद्योगों को भी इस सम्बन्ध में नोटिस दी गयी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 21 मई, 2002 को टास्क फोर्स गठित हुई और यह जांच जून, 2003 में की गई। मान्यवर, यह जांच एक वर्ष के बाद हुई और इस एक वर्ष का परिणाम कितना भयंकर होगा। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने वाहन जनपद देहरादून में हैं, जिन पर सरकार नियंत्रण नहीं लगा पा रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को जानकारी के लिए बता दूं कि शहर में सबसे बड़े वाहन की सुविधा टैम्पो है। मान्यवर, इसी माह से एक नई तकनीकी के रूप में संचालन प्रारम्भ किया गया, चूंकि नई तकनीकी के रूप में कोई भी वाहन सफल हो, यह

जरूरी नहीं इसलिए 2 वाहन प्रयोग के रूप में चलाये गये हैं। मान्यवर, जहां तक जांच का विषय है तो देहरादून शहर में वाहन प्रदूषण की चैकिंग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं परिवहन विभाग के समन्वय से औचक निरीक्षण अभियान चलाये गये हैं तथा अभियान की अवधि में उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिवेशीय वायु गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया। दिनांक 01 अगस्त, 2002 से 20 अगस्त, 2002 तक तथा 01 अक्टूबर, 2002 से 19 अक्टूबर, 2002 तक चलाये गये अभियानों में 514 विक्रम टैम्पो वाहनों को चैक किया गया व 114 विक्रम टैम्पो वाहनों के चालान, मानक से अधिक प्रदूषण होने के अभियोग में परिवहन विभाग द्वारा किये गये व 269 विक्रम वाहनों को धारा 116 के अन्तर्गत अधिक प्रदूषण होने के कारण एक सप्ताह के भीतर वाहन ठीक कराने के आशय के नोटिस जारी किये गये।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो आप पिछले कार्यकाल का बता रहे हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वर्ष 2003–2004 के दौरान देहरादून शहर में कुल 3506 वाहनों की प्रदूषण की चैकिंग की गई जिनमें से 296 वाहनों के चालान, मानक से अधिक प्रदूषण होने के अभियोग में परिवहन विभाग द्वारा किये गये तथा 707 वाहनों को धारा 116 के अन्तर्गत अधिक प्रदूषण होने के कारण एक सप्ताह के भीतर वाहन ठीक कराने के आशय के नोटिस जारी किये गये। मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण के अभियोग में 25 वाहनों का चालान किया गया तथा वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करते समय उनमें लगे प्रेशर हॉर्न को उतरवा दिया गया। मान्यवर, वर्ष 2003–04 के दौरान पेट्रोल तथा डीजल चालित वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच हेतु ऑटोमोटिव रिसर्च ऑफ इण्डिया द्वारा अनुमोदित मशीनों का क्रय करने हेतु बजट व्यवस्था का प्रस्ताव परिवहन विभाग में विचाराधीन है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा और हम भी स्वीकार करते हैं कि देहरादून शहर में टैम्पों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मान्यवर, दूसरा आपने कहा कि चूना–भट्टे और ईंट–भट्टे से प्रदूषण बढ़ता है। मान्यवर, शहर के आस–पास जितने चूने और ईंट के भट्टे हैं उनको दूर हटाने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं? ताकि देहरादून शहर का वातावरण सही रह सके।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहां तक विक्रम वाहनों पर नियंत्रण का प्रश्न है, तो मैंने जानकारी दी कि कुछ वाहन बैटरी चालित वाहन के रूप में लाये हैं। मान्यवर, इसके अलावा पन्द्रह वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति परिवहन विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। मान्यवर, विक्रम के संचालन हेतु नये पंजीयन नहीं किये जा रहे हैं तथा विक्रम के संचालन हेतु सात वर्ष की मॉडल सीमा निर्धारित की गयी है। मान्यवर, परिवहन विभाग द्वारा विक्रम, पेट्रोल चालित ऑटो में स्क्रबर या कैटेलिक कनवर्टर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो टास्क फोर्स का गठन किया है, उसमें कौन–कौन अधिकारी हैं और उसमें जो वैज्ञानिक हैं उनमें कौन से स्तर के वैज्ञानिक हैं और यह एस०पी०एम० मापने की विधि क्या है, कैसे आप उसका मानक निकालते हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो देहरादून शहर में प्रदूषण के आंकलन और प्रदूषणकारी स्रोतों की पहचान एवं विभिन्न सेक्टरों द्वारा होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जो इन्टर एजेन्सी टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसमें प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग; सचिव, परिवहन विभाग; सचिव, नगर विकास विभाग; सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग; अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग; जिलाधिकारी, देहरादून; उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण; प्रशासक, नगर निगम देहरादून; वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगर नियोजक को इसमें सम्मिलित किया गया है। मान्यवर, जहां तक एस०पी०एम० मापने का क्या तरीका है? इसकी तो जानकारी विधिक पता करके ही आपको बताऊंगा।

अल्मोड़ा के सरयू नदी से धौलादेवी विकास खण्ड के दन्या आदि ग्राम सभाओं हेतु वृहद् पेयजल योजना के निर्माण पर विचार

*(4) श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरयू नदी से धौलादेवी विकास खण्ड (जनपद–अल्मोड़ा) के दन्या सहित निकटवर्ती ग्राम सभाओं हेतु एक वृहद् पेयजल योजना के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में इस क्षेत्र हेतु कोई वृहद् पेयजल योजना निर्माण हेतु विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड धौलादेवी के दन्या क्षेत्र के 90 प्रतिशत से भी अधिक तोक पेयजल योजनाओं से संतृप्त हैं। अतः इस क्षेत्र के लिए वर्तमान में किसी अन्य वृहद् पेयजल योजना के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं अभी धौलादेवी क्षेत्र के भ्रमण पर गया, वहां पर 10 से 15 रु० में एक कनस्तर पानी बिक रहा है, मान्यवर, कहीं भी वहां पर पानी नहीं है, पेयजल की जो योजनाएं बनी हैं, वे भी ध्वस्त हैं और ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि 90 प्रतिशत से भी अधिक तोक पेयजल योजनाओं से संतृप्त हैं, संतुष्ट करने वाला नहीं है। मान्यवर,

मार्च, 2002 में धौलादेवी विकास खण्ड की 60 ग्राम सभाओं हेतु जल निगम अल्मोड़ा ने सरयू नदी में एक पम्पिंग पेयजल योजना बनाने का सर्वेक्षण किया था। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 14 करोड़ रु0 की 2 फेज की जो अल्मोड़ा पेयजल योजना बनाकर शासन के विचाराधीन भेजी गयी थी, उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, दन्या क्षेत्र में जिन गांवों के बारे में माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की, उसमें 27 गांव और 86 तोक आते हैं। इनमें से एक एन0सी0 और सात पी0सी0 की कोई पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है और शेष गांवों में तोकों में पेयजल आपूर्ति नियमित है। कुछ जल स्रोतों में पानी की कमी होने के कारण कुछ गांवों में आंशिक रूप से पानी चल रहा है, लेकिन पानी उपलब्ध हो रहा है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि 2002 में वृहद् योजना शासन के विचाराधीन भेजी गयी, इस तरह का कोई भी आगणन शासन के विचाराधीन नहीं आया। मान्यवर, यह बात सही है कि चीफ इंजीनियर कुमाऊं मण्डल ने इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए एक पेयजल योजना का आगणन बनाया था, लेकिन वह उन्हीं के द्वारा वापस भेज दिया था और माननीय सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि पूरे उत्तरांचल में पेयजल के संकट को देखते हुए हमने प्रयास किये हैं। हमारी सरकार द्वारा एक बार पुनः राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत इसका दोबारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। पहला जो 1991 में किया गया था, उसमें जो एन0सी0पी0सी0 छूट गए थे उनकी योजनाओं का निर्माण इन वर्षों में चल रहा है। मान्यवर, धौला देवी में बहुत से क्षेत्र सूख रहे हैं, प्राकृतिक स्रोतों के सूखने के कारण बहुत सारी दिक्कतें पेयजल को लेकर हो रही हैं।

मान्यवर, इसके लिए सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू कराया गया है जो कि 1 जून से 30 जून तक चलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी क्षेत्र पेयजल योजनाओं से बाधित हैं, उन क्षेत्रों में हमारे जहां भी कर्मचारी हैं उनको अवगत कराएं ताकि भविष्य में उन क्षेत्रों में पेयजल योजना निर्माण कार्य करवाया जा सके और पानी उपलब्ध हो सके।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, 1970 से इस क्षेत्र में पेयजल का संकट है, धौलादेवी विकास खण्ड की न्याय पंचायत मनोली, ध्याड़ी, दनिया, पोखरी, मनोली, गुरुड़ाबाज व चामी न्याय पंचायत की लगभग 60 ग्राम सभाओं हेतु 1970 में एक बृहद् पम्पिंग योजना की मांग की गयी थी। फरवरी, मार्च, 2002 में इस योजना का सर्वेक्षण जल निगम अल्मोड़ा द्वारा किया गया तथा लगभग 14 करोड़ रु0 की दो फेज की पेयजल योजना बनाकर उत्तरांचल सरकार को भेजी गयी जिसके फर्स्ट फेज में पपोली में टैंक बनाकर ध्याड़ी व मनोली न्याय पंचायत को पानी दिए जाने की व्यवस्था है और दूसरा दनिया, भगवती टाप पर टैंक बनाकर विकास खण्ड से वंचित गांवों को पेयजल दिया जाना है। मान्यवर, इस संबंध में माननीय मंत्री जी बताएं कि यह जो 14 करोड़ रु0 की योजना भेजी गयी है उसको बंद क्यों कर दिया गया है? दुनिया के हैण्ड पम्प की लाइन से 8–9 ग्राम सभाओं के लोग पानी भरने के लिए आ रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना वापस भेजी है, उसको लाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? जिससे वहां की जनता को पानी से राहत दिलाया जा सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम इसीलिए सर्वे करा रहे हैं कि जहां–जहां पेयजल का संकट है वहां की सूची तैयार करवा ली जाय। इसमें हमें माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहिए जिससे वे अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या से हमारे कर्मचारी/अधिकारी को अवगत कराएं। अगर आपका सहयोग मिला तो निश्चित रूप से जहां पानी की कमी होगी, जलस्राव सूखे होंगे, उनको संवर्धन किए जाने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर रोड़ साइड पर हैण्ड पम्पों का निर्माण किया जा रहा है, पिछले डेढ़ वर्षों व इस वर्ष में 400 से अधिक हैण्ड पम्पों के लिए पैसा उपलब्ध कराया है और वे लग भी रहे हैं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि योजना को बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, उस योजना का आगणन चीफ इंजीनियर स्तर पर आया था और कुछ कमियों के कारण वापस भेज दिया गया है, जब वह शासन स्तर पर आयेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

लीसा बिक्री एवं आवंटन नीति का स्वरूप एवं घाटे की लीसा फैक्ट्रियों में सुधार हेतु उपाय

*(5) श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश सरकार ने लीसा बिक्री एवं आवंटन की नीति बना ली है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

सरकार घाटे में चल रही लीसा फैक्ट्रियों में सुधार हेतु क्या उपाय कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

उत्तरांचल राज्य के वनों से उत्पादित लीसा के निस्तारण हेतु व्यवस्था/स्वरूप संलग्न शासनादेश संख्या 756/I(2)व0ग्रा0वि0/2003–9(2)/2001, दिनांक 30 अप्रैल, 2003 में वर्णित है।

इकाईयों के तकनीकी उन्नयन/उच्चीकरण तथा मूल्य संवर्द्धन के प्राविधान किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(देखिए नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 103–105 पर।)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पूर्व में जो आवंटन की व्यवस्था थी, जैसे तिलवाड़ा, चम्पावत की लीसा फैक्टरी में जो आवंटन होते थे, क्या उस आवंटन को आपने समाप्त कर दिया यदि समाप्त कर दिया तो नीलामी की व्यवस्था शुरू की गयी, तो नीलामी के क्या रेट आए? और आवंटन के क्या रेट आए थे? दोनों में किसमें लाभ हुआ? चम्पावत, तिवाड़ा में लीसा फैक्टरी कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम चला रहे हैं। आपने नीलामी द्वारा लीसा खरीदने की व्यवस्था कर दी तो मान्यवर, जब उनको आवंटित किया जाता है तब ये लॉस में चल रहे थे। क्या ये दोनों फैक्टरी लॉस में नहीं चल रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पूर्व में आवंटन की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि किस व्यवस्था में फायदा रहा। मान्यवर, जिस समय आवंटन की व्यवस्था लागू थी उस समय आवंटन मूल्य था 1725 रुपये प्रति कुन्तल, जबकि उत्पादन में जो खर्च आता था वह था 2220 रुपये प्रति कुन्तल। वर्ष 2002 की नीलामी में जो औसत मूल्य प्राप्त हुआ वह था 2558 रुपये प्रति कुन्तल। तो अगर आप तुलना करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें शासन को क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है। 25 प्रतिशत लीसा को आरक्षित श्रेणी के उद्योगों के लिए आरक्षित रखा गया है। मान्यवर, हमारी वन नीति में प्रावधान है कि वन उपज को किसी भी रूप में सब्सिडाइज नहीं किया जायेगा। इसको आपने मार्केट के लिए नहीं खोला है केवल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आदि के लिए ही खोला गया है। इससे इन्हें थोड़ा कम्पटीशन का सामना करना पड़ेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि नीलामी में क्या रेट आया?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 2558 रुपये प्रति कुन्तल का औसत मूल्य प्राप्त हुआ है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने कहा कि 25 प्रतिशत लीसा आरक्षित श्रेणी के उद्योगों के लिए संरक्षित रखा गया है। मान्यवर, विभिन्न डिपो में कितना लीसा एकत्रित है? इस लीसे को अधिक देर तक रखने से उसकी गुणवत्ता में कमी आती है या नहीं? यदि कमी आती है तो उसकी बिक्री के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कुल 1 लाख 67 हजार कुन्तल लीसा हमारे पास है। यह करीब 33 करोड़ 40 लाख रुपये मूल्य का है। आपने पूछा है कि क्या अधिक देर तक रखने से इसकी गुणवत्ता में कमी आती है? निश्चित रूप से इसकी किस्म में गिरावट आती है। जो हमारी वर्तमान नीति है इसमें जो हमारे स्टाक में है। आगामी वर्ष में यह व्यवस्था कर रहे हैं रेलहेड डिपो से डिलीवरी न ली जाये। लीसा के नीलामी की तिथियां घोषित कर

दी गई हैं। नरेन्द्रनगर में प्रति माह की 12 और 18 तारीख, नैनीताल में प्रति माह की 10 और 25 तारीख चम्पावत में प्रति माह की 30 तारीख निर्धारित की गई है। तत्काल नीलामी के लिए ऋषिकेश में 18 जून तथा टनकपुर में 20 जून की तिथि निर्धारित की गई है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ लीसा का बड़ा अपार भण्डार डिपो में पड़ा हुआ है और सरकार इसकी बिक्री की व्यवस्था नहीं कर रही है और माननीय मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि लीसे का अधिक समय तक स्टाक करने से उसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि जितना भी लीसा डिपो में पड़ा है, उसकी नीलामी तत्काल की जाये। क्योंकि इससे सरकार की आय भी बढ़ेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लीसे की तत्काल नीलामी के लिए ऋषिकेश में 18 जून एवं टनकपुर में 20 जून को इसकी नीलामी की जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में जो लीसा निस्तारण प्रक्रिया है उसमें कहा गया है कि लीसा तीन प्रकार से निस्तारित किया जायेगा। पहला तो यह है कि कुल का 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण अखिल भारतीय नीलामी से किया जायेगा, दूसरा है 50 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल के पंजीकृत इकाइयों के बीच इकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक किया जायेगा और तीसरा यह भी है कि अवशिष्ट 25 प्रतिशत भाग कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम, खादी, सहकारिता की लीसा इकाईयों के बीच इकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक खुली नीलामी से किया जायेगा, तो मैं मा० मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन तीनों में नीलामी के क्या–क्या रेट आये, कौन से रेट सबसे कम आये और किसके रेट सबसे ज्यादा आये? मान्यवर, इस तरह से होगा यह कि जो छोटी इकाईयां हैं वह तो बंद हो जायेंगी। अभी मंत्री जी ने 2558 रुपये के रेट की बात कही थी तो वह रेट किसके थे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह जो 2558 रुपये हैं वह सन् 2000 का नीलामी के रेट हैं, दिनांक 30–04–2003 से यह लागू हुआ है और 18 जून से यह शुरू होगा इससे हमें राष्ट्रीय मूल्य का भी पता चल जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो सबसे छोटी इकाई है उसके बारे में सोचें तो जिसके पास ज्यादा धन होगा वह तो उन छोटी इकाईयों को बंद करा देगा। क्योंकि उसके रेट हाई होंगे और छोटी इकाईयां वह रेट नहीं दे पायेंगी। तो क्या मा० मंत्री जी इस नीति पर पुनर्विचार करेंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 15 सितम्बर, 2001 को माननीय मंत्रिपरिषद् की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाई जाये और इसका विस्तृत अध्ययन कर लिया जाये तो इस संबंध में एक कंसल्टैन्सी मैसर्स दलाल मोट मैक्डोनाल्ड प्राइवेट लिमिटेड को यह कार्य सौंपा गया था। जिसने सितम्बर, 2002 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसी के आधार पर यह दीर्घकालिक नीति बनाने का निर्णय लिया गया। जो नीतियां पहले लागू थीं वे काफी जटिल थी इन्हीं को सुविधाजनक और छोटे उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई, जो नीति पहले थी उसके अनुसार कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल विकास निगम की इकाईयों को कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत आवंटित किया जायेगा तथा पी0सी0एफ0 हल्द्वानी की इकाई को 5 प्रतिशत तथा खादी बोर्ड एवं खादी कमीशन की पंजीकृत तथा कार्यरत इकाईयों को 10 प्रतिशत आवंटन निर्धारित मूल्य पर किया जायेगा। इसके अलावा राज्य के अन्तर्गत खुली नीलामी द्वारा विभाग में पंजीकृत कार्यरत इकाईयों के मध्य खुली नीलामी द्वारा 40 प्रतिशत का निस्तारण किया जायेगा और खुली नीलामी द्वारा जिसमें उत्तरांचल से बाहर की इकाईयां भी भाग ले सकती हैं उनके लिए 10 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, राज्य में कुल 177 लीसा आधारित इकाईयां हैं इनमें से 92 प्रतिशत इकाईयां निजी क्षेत्र की हैं।

मान्यवर, इसकी कुल क्षमता 4 लाख 50 हजार मीट्रिक टन है और हमारे प्रदेश की लीसा उत्पादन की क्षमता 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन है। मान्यवर, जो आंकलन किया गया उसके आधार पर यह बात सामने आयी कि पहले मात्र 11 इकाईयों को आवंटन किया जाता था, हमने इसको बढ़ाकर 177 इकाईयों को आवंटन किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अध्ययन कराये जाने का जिक्र किया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अध्ययन जिस संस्था द्वारा कराया गया, वह हमारे प्रदेश की संस्था है या बाहर की?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह संस्था सरोजनी नगर, नयी दिल्ली की है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह अध्ययन राज्य के अन्दर की किसी संस्था द्वारा क्यों नहीं कराया गया?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि मंत्रि–परिषद् की जिस बैठक का जिक्र मैंने किया, वह आपके समय की ही है। इस प्रकार यह निर्णय तो आप द्वारा ही लिया गया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्णय किसने लिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन राज्य के अन्दर की एजेन्सियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि उनको इस प्रकार का दायित्व सौंपा जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आपका सुझाव सिर–माथे पर है, सरकार इस विषय में जरूर प्रयास करेगी।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे प्रदेश की लीसा उत्पादन की क्षमता 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन है जबकि हमारी लीसा निस्तारण की क्षमता 4 लाख 50 हजार मीट्रिक टन है। मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे डिपो में काफी समय से बहुत अधिक मात्रा में लीसा पड़ा हुआ है, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है, इसके निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

उत्तरांचल में स्वजल परियोजना का प्रारूप, ग्रामों के चयन का आधार एवं प्रति गांव पर व्यय धनराशि के प्रावधान की जानकारी

*6–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में स्वजल परियोजना का प्रारूप क्या है?

उक्त योजना हेतु ग्रामों के चयन का आधार क्या है तथा चयन के उपरांत प्रति गांव कितनी धनराशि के व्यय का प्राविधान है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

''स्वजल परियोजना'' जो कि उत्तरांचल ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। उत्तरांचल राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में यह योजना माह जुलाई, 1996 से संचालित है तथा 31 मई, 2003 को योजना की अवधि समाप्त हो गई है। इस अवधि में 650 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष 857 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य स्वजल परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त किया गया।

स्वजल परियोजना के अन्तर्गत जनसहभागिता के आधार पर योजनाओं का निर्माण एवं निर्मित योजनाओं का संचालन व रखरखाव लाभार्थी जनसमुदाय द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण समुदाय द्वारा योजना की पूंजी लागत में 10 प्रतिशत अंशदान नगद अथवा श्रम के रूप में किया जाना अनिवार्य है तथा योजनाओं के शत–प्रतिशत संचालन एवं रखरखाव के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी ग्रामीण जनसमुदाय द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

परियोजना में प्रत्येक गांव में जलापूर्ति, जलश्रोत का संरक्षण, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संवेदना के कार्य समेकित रूप से स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित किये जाते हैं।

स्वजल परियोजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन लाभार्थी ग्राम समुदाय द्वारा स्वेच्छा से पेयजल की मांग के आधार पर किया जाता है। इस परियोजना में मुख्यतः एकल ग्राम का ही चयन किया गया है। ग्राम चयन का आधार आवश्यकता (15 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम जल की उपलब्धता या दूषित पेयजल स्रोत पर निर्भरता या पानी भरने में बहुत अधिक समय लगना), आर्थिक साध्यता, तकनीकी साध्यता तथा ग्रामीण समुदाय द्वारा पूंजी लागत में 10 प्रतिशत अंशदान तथा संचालन एवं रख–रखाव हेतु 100 प्रतिशत अंशदान करने की वचनबद्धता है। चयन के उपरांत प्रतिगांव व्यय हेतु प्राविधान पाइप्ड जलापूर्ति योजना हेतु रुपये 2800/– प्रति व्यक्ति तथा हैण्ड पम्प योजना हेतु रू0 750/– प्रति व्यक्ति निर्धारित है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि "परियोजना में प्रत्येक गांव में जलापूर्ति, जलस्रोत का संरक्षण, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संचेतना के कार्य समेकित रूप से स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित किये जाते हैं"। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनके चयन का आधार क्या है तथा जब ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनके चयन का आधार क्या है तथा जब ये स्वयंसेवी संस्थाएं गांवों के चयन का कार्य करती हैं, तो इन स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रत्येक गांव का कितना पेमेण्ट किया जा रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, भारत सरकार की गाईड लाइन्स के अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था के संविधान में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं तथा तत्सम्बन्धी क्रिया–कलापों को अंगीकार किये जाने के प्राविधान का उल्लेख होना चाहिए, संस्था द्वारा कम से कम तीन वर्षों से ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता अथवा सामुदायिक विकास सम्बन्धी क्रिया–कलापों का कार्यान्वयन किया जा रहा हो तथा संस्था द्वारा सहभागिता/मांग आधारित कम से कम एक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गयी हो और संस्था के लेखों का सम्परीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया गया हो व सत्यापित लेखे प्रस्तुत किये गये हों।

मान्यवर, इसमें स्टाफ की भी व्यवस्था करनी होती है। ये बिन्दु हैं स्वयंसेवी संस्था के चयन किये जाने के।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह है कि आपके यहां जो स्वयंसेवी संस्थायें हैं उनके चयन का क्या आधार है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अगर एक से अधिक स्वयंसेवी संस्था आती है तो उसकी मार्किंग होती है। अंक के आधार पर जो मैरिट में ऊपर आते हैं उनका चयन कर लिया जाता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वहां पर इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैंने इसकी लिखित शिकायत भी की। मेरा प्रश्न है कि उन स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना पेमेन्ट स्वजल से दिया जा रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इसमें स्वयंसेवी संस्था स्वयं नम्बर दे सकती है। अगर इसमें कोई भी स्पेसिफिक केश आपकी जानकारी में हो तो आप मुझे उसकी सूचना उपलब्ध करायें मैं उसकी जांच करा दूंगा। इसमें एक प्रोफार्मा बना है वह अपने आप के आधार पर नम्बर को संकलित कर सकता है। आपने दूसरा प्रश्न उठाया कि कितना पैसा दिया जाता है? वेविटी के लिए 2800 रुपये। इसमें तीन फेजेज हैं, इसमें अलग–अलग जैसे डेढ़ लाख रुपये प्रति ग्राम दिया जाता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह है कि गांव में जाकर सर्वे करते हैं। इस समय स्वयंसेवी संस्था को कितना पेमेंट किया जा रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इसमें मैंने बताया कि इसमें अलग–अलग फेजेज में काम होता है। पहली स्कीम है प्रीप्लानिंग दूसरी प्लानिंग और तीसरी एक्जीकेशन। कहां पर क्या होना चाहिए यह जनता और गांव वाले डिमान्ड करते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, स्वयंसेवी संस्थायें स्वयं सेवा करती है। भारत सरकार की पांच सौ करोड़ की योजना हमारे यहां चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव के हिसाब से इन्हें कितना दिया जा रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, प्रीप्लानिंग में प्रत्येक गांव को पांच हजार रुपये दिया जाता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उनके द्वारा गांवों में यह देखा जाता है कि कितने हैण्ड पम्प लगे हैं, किन जगहों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और किन जगहों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है जब कि यह सारे रिकार्ड तहसील में जाकर देखे जा सकते हैं। जो पांच हजार रुपया दिया जाता है उसकी क्या आवश्यकता है? यह तो डिमाण्ड योजना है। फिर इन स्वयं सहायता समूहों को गांव में क्यों भेजा जा रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, स्वजल पैटर्न पर इस योजना को लागू किया गया है कि किस तरह से लोगों में आकर्षण पैदा हो। कोई भी व्यक्ति काम को तभी करेगा जब उसका इन्ट्रेस्ट होगा। इतनी गर्मी के मौसम में वह क्यों भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेगा एवं क्यों सर्वे करेगा? अगर उसे मानदेय के रुपये में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस योजना के द्वारा लोगों को मोटीवेट किया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह ऑन डिमाण्ड योजना है। जिसमें गांव की कुली बैठक में यह तय होता है। ये स्वयं सेवी संस्थाएं कुछ नहीं कर रही हैं। मैंने इस सम्बन्ध में लिखित रूप से शिकायत भी की है। स्वयंसेवी संस्थाएं वहां जबरदस्ती भेजी जा रही हैं। प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था को 4400 रुपये दिये जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इस योजना का उद्देश्य लोगों को मोटीवेट करना है। इन योजनाओं के बारे में एक परिवर्तन स्मारिका निकाली गई है। श्री अजय भट्ट जी द्वारा इन्हें स्वयं भी देखा गया काफी लोगों ने जाकर इसका बारीकी से अध्ययन भी किया। मैडम मुस्करा भी रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर कोई स्पैशिफिक मामला होगा तो उसकी जांच निश्चित रूप से की जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी द्वारा जो अवगत कराया गया है कि स्वजल परियोजना तीन चरणों में संचालित होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 में प्रीप्लानिंग में कितनी धनराशि व्यय की गई, प्लानिंग में कितनी धनराशि व्यय हुई और एग्जक्यूशन में कितनी धनराशि व्यय की गई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 31 मई को हमारी यह योजना समाप्त हो गई है। इस सम्बन्ध में आपको यह जानकारी बाद में उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वजल परियोजनाओं के माध्यम से कई गांवों में कार्य किया जा रहा है, जिन गांवों में ये योजनाएं चलायी जाती हैं वहां ग्राम कमेटी गठित होती है। मान्यवर, जब सारा कार्य ग्राम की कमेटी करती है तो एन0जी0ओ0 नाम के बिचौलिया क्यों? तो मैं चाहता हूं जो द्वितीय फेज शुरू होगा तो उसमें यह कार्य ग्रामवासियों से सम्पादित कराया जाय तो उचित होगा, न कि एन0जी0ओ0 (बिचौलिया) संस्था के माध्यम से।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, हमने तजुर्बा किया हमारे प्रथम फेज में 857 योजनाएं बनायी थी, जिसमें से 32 योजनाएं पंचायतों से बनायी हैं। बाकी योजनाएं संस्थाओं ने बनायी हैं, हम इनका तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसका पहले ही स्पष्ट उल्लेख रहता है कि स्वयसेवी संस्थाएं राजनीति से प्रेरित नहीं होंगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जो संस्थाएं राजनीति से प्रेरित होंगी उन्हें योजनाएं नहीं दी जायेंगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आदेश कर दिये जायेंगे।

प्रदेश में पूर्व में निर्मित हल्के वाहन मार्गों (एल0वी0आर0) को भारी मोटर मार्गों में परिवर्तित किये जाने पर विचार

*7–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में पूर्व में निर्मित हल्के वाहन मार्गों (एल0वी0आर0) को भारी मोटर मार्गों में परिवर्तित किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

यह मार्गों के यातायात घनत्व, आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–श्री नारायण पाल–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

निदेश संख्या–31 के अन्तर्गत स्थगित

अतारांकित प्रश्न

जनपद अल्मोड़ा में ढौरा मोतिया पाथर मोटर मार्ग के निर्माण में अध्याप्त ग्रामीणों की भूमि का मुआवजा दिये जाने विषयक

1–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा में ढौरा मोतिया पाथर मोटर मार्ग के निर्माण में ग्रामीणों की अध्याप्त भूमि का मुआवजा प्रभावित ग्रामीणों को दे दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रभावित कृषकों के भूमिधारी स्वामित्व अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

घनसाली विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त क्वीडांग पेयजल योजना का पुनर्गठन

2–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्वीडांग पेयजल योजना कितने वर्ष पूर्व बनाई थी?

क्या यह सत्य है कि उक्त पेयजल योजना के पाइप सड़ कर नष्ट होने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का पुनर्गठन कर संबंधित गांवों में जलापूर्ति करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काण्डा क्वीडांग पेयजल योजना 30 वर्ष पूर्व वर्ष 1973–74 में निर्मित की गई थी।

उक्त पेयजल योजना चालू स्थिति में है। किन्तु कुछ स्थानों पर पाइपों में जंग लगने से पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित हो रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के चमियाला, श्रीकोट, सिल्यारा व सेन्दुल पेयजल योजना के सम्बन्ध में

3–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के चमियाला, श्रीकोट, सिल्यारा व सेन्दुल पेयजल योजना कितने वर्ष पूर्व बनाई गई थी?

इस योजना पर कितने स्टैण्ड पोस्ट व कितने प्राइवेट कनैक्शन आवंटित किये गये हैं तथा उक्त योजना से कितने व्यक्तिगत कनेक्शन आवंटित करने की क्षमता थी?

क्या यह सत्य है कि उक्त पेयजल योजना से संबंधित गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना का पुनर्गठन कर संबंधित गांवों में जलापूर्ति का प्रयास करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद टिहरी गढ़वाल की चमियाला पेयजल योजना वर्ष 1998–99 में श्रीकोट पेयजल योजना वर्ष 1980–81 में तथा सिल्यारा–सेन्दुल पेयजल योजना वर्ष 1978–79 में निर्मित की गई।

चमियाला पेयजल योजना में 6 स्टैण्ड पोस्ट एवं 96 निजी जल संयोजन, श्रीकोट योजना में 20 जल स्तम्भ एवं 105 निजी जल संयोजन तथा सिल्यारा–सेन्दुल योजना में 10 जल स्तम्भ एवं 45 प्राइवेट जल संयोजन हैं। चमियाला एवं श्रीकोट योजना पर 16 व्यक्तिगत कनैक्शन तथा सिल्यारा–सेन्दुल योजना पर 33 व्यक्तिगत कनैक्शन आवंटित करने की क्षमता थी।

इन पयेजल योजनाओं के स्रोतों में ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी होने के कारण पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति नहीं हो पाती है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मोटर मार्गों में डामर के नवीनीकरण के मानक

4–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मोटर मार्गों में डामर के नवीनीकरण के क्या मानक हैं?

क्या जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव–चौबाटी मोटर मार्ग में सरकार द्वारा डामर नवीनीकरण किया गया है?

यदि हां, तो कितना कि0मी0?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मोटर मार्गों के नवीनीकरण के निम्न मानक हैं :–

1. राष्ट्रीय मार्ग–3 वर्ष

2. राज्य मार्ग–5 वर्ष

3. जिला मार्ग–6 वर्ष

4. जिला/अन्य ग्रामीण मार्ग–8 वर्ष

जी हां।

1.0 कि0मी0।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में छेमा उछोला, रतनपुर–स्वीलीसेम तथा काण्डई कमोल्डी मोल्खाखाल के मोटर मार्ग का निर्माण एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी

5–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में छेमा उछोला, रतनपुर–स्वीलीसेम तथा काण्डई कमोल्डी मोटर मार्ग कब और कितने कि0मी0 स्वीकृत हुये थे?

क्या सभी स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण हो चुका है।

यदि हां, तो क्या कारण है कि आज दिन तक इन मोटर मार्गों पर कोई भी वाहन नहीं चल पाया है?

क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्गों को यथाशीघ्र वाहन चलाये जाने योग्य बनायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जनपद रुद्रप्रयाग में छेमा उछोला नाम से मार्ग स्वीकृत नहीं है। यह मार्ग प्रथम भाग में छेना–उछोला–बरसिर डांगी खोड हल्का वाहन लम्बाई 5.00 कि0मी0 हेतु माह 9/97 में स्वीकृत हुई है तथा द्वितीय भाग में इससे आगे जिला योजना वर्ष 2000–01 में उछोला हल्का वाहन सम्पर्क मार्ग 1.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृत हुई है जिसमें उछोला ग्राम पड़ता है।

रतनपुर–स्वीलीसेम नाम से मार्ग स्वीकृत नहीं है। यह मार्ग प्रथम भाग में रतनपुर बैंड से स्वीली–जपवाड़ी–चौरास मोटर मार्ग माह 3/91 में 5.00 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत हुई है। द्वितीय भाग में इसके आगे दरमोला हल्का वाहन सम्पर्क मार्ग 4.00 कि0मी0 लम्बाई माह 9/97 में स्वीकृत हुई है, जिसमें ग्राम सैम पड़ता है। ग्राम स्वीली हेतु मार्ग स्वीकृत नहीं है।

काण्डई कमोल्डी मोल्खाखाल हल्का वाहन मार्ग कि0मी0 6.00 से 22.00 तक को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति वर्ष 1998–99 में प्रदान की गई थी।

जी नहीं। आंशिक रूप से कार्य हुआ है।

छेना–उछोला–बरसिर डांगी खोड मार्ग में वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्माण अवरुद्ध है।

रतनपुर बैंड से स्वीली–जवाड़ी–चौरास मोटर मार्ग तथा इसके आगे दरमोला हल्का वाहन मार्ग में 7.00 कि0मी0 में मार्ग यातायात योग्य है एवं वाहन चल रहे हैं।

काण्डई कमोल्डी मोल्खाखाल मार्ग 18.750 तक (निर्माणाधीन पुल के पहले तक) हल्का वाहन यातायात हेतु उपलब्ध है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़–कोट–बागी हल्का वाहन मार्ग की जानकारी

1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़–कोट–बागी हल्का वाहन मार्ग कब स्वीकृत हुआ?

तथा इस मार्ग हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई?

एवं अब तक इस मार्ग पर कुल कितना व्यय किया गया?

वर्तमान में उक्त मार्ग की प्रगति क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अगस्त, 1999 में।

रु0 37.20 लाख।

रु0 0.61 लाख।

मार्ग पर केवल सर्वेक्षण कार्य किया गया है परन्तु सरेखन विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

जनपद उत्तरकाशी में स्वीकृत सुल्याखोल–नौगांव–गोडर मोटर मार्ग के निर्माण में प्रगति की स्थिति

2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में सुल्याखोल–नौगाव गोडर मोटर मार्ग स्वीकृत है?

यदि हां, तो उक्त मार्ग हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत है तथा अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

एवं वर्तमान में उक्त मार्ग की प्रगति क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

प्रथम चरण हेतु रु0 19.35 लाख स्वीकृत है। अब तक कोई धनराशि व्यय नहीं की गई।

सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है।

जनपद उत्तरकाशी में कल्याणी–तराकोट मोटर मार्ग के निर्माण की जानकारी

3–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में कल्याणी–तराकोट मोटर मार्ग स्वीकृत है।

यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत है एवं अब तक इस मार्ग पर कुल कितना व्यय किया गया?

वर्तमान में उक्त मार्ग की प्रगति क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

इस कार्य की स्वीकृत लागत रु0 35.00 लाख है एवं अब तक कोई व्यय नहीं किया गया।

भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

जनपद उत्तरकाशी में वणगाँव–चोपड़ा, कसलाणा मोटर मार्ग के निर्माण की स्थिति

4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में वणगाँव–चोपड़ा कसलाणा मार्ग स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत है एवं अब तक इस मार्ग पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

वर्तमान में उक्त मार्ग की प्रगति क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां। बड़गांव–चोपड़ा–कसलाणा मार्ग का 03 कि0मी0 भाग स्वीकृत है।

रु0 12.90 लाख स्वीकृत। मार्ग पर अब तक रु0 0.28 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

जनपद उत्तरकाशी के खालसी पेयजल योजना में कार्यादेश का आवंटन

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खालसी पेयजल योजना में कार्यादेश विभागीय पंजीकृत ठेकेदार के नाम किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

खालसी पेयजल योजना के श्रोत पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा भारी विवाद उत्पन्न किये गये। परिणामस्वरूप कोई भी विभागीय पंजीकृत ठेकेदार इस योजना के कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो सका। श्रोत के विवाद को हल करने एवं योजना के कार्य आम सहमति पर आरम्भ कराने की दृष्टि से ठेकेदार श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री भादू सिंह, ग्राम कुमराड़ा, उत्तरकाशी विभाग में पंजीकृत नहीं थे, परन्तु पेयजल योजना के निर्माण कार्य का अनुभव रखते थे और विवाद को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे, के नाम मात्र एक कार्यादेश निर्गत किया गया, किन्तु वे भी विवाद को हल नहीं करा सके। परिणामस्वरूप इस कार्यादेश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सका।

6–श्री हरिदास–(द्वितीय शुक्रवार के अता0–26 में स्था0)

रुड़की शहर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने की योजना

7–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के रुड़की शहर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने की किसी योजना पर शासन स्तर से कोई विचार हो रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

रुड़की शहर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा एक पी0 एफ0 आर0 अनुमानित लागत रु0 3386.57 लाख की विरचित की गई है। योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

विकास खण्ड यमकेश्वर, द्वारीखाल एवं दुगड्डा में रिक्त खण्ड विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के पदों पर तैनाती विषयक

8–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर, विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड दुगड्डा में खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के पद विगत लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं?

क्या इन पदों पर तैनातियां शीघ्र की जायेंगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से पदों का अन्तिम आवंटन अभी होना शेष है। पदों के अन्तिम आवंटन होने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

9–(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

देहरादून में कांवली रोड स्थित एम० डी० डी० ए० कालोनी में व्यावसायिक जलकर की अपेक्षा घरेलू जलकर का लिया जाना

10–श्री हरीदास–

क्या पेयजल मंत्री को ज्ञात है कि देहरादून में विस्थापितों की कांवली रोड स्थित एम०डी०डी०ए० कालोनी में व्यवसायिक दृष्टि से आवंटित भवनों में आवंटियों द्वारा घरेलू जल कनैक्शन लेकर सरकार को लाखों रुपये की क्षति पहुंचाई जा रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

कांवली रोड स्थित एम०डी०डी०ए० कालोनी में आवासीय भवन तथा व्यवसायिक दुकानें स्थित हैं, जल संस्थान द्वारा 44 घरेलू संयोजन आवासीय भवनों में तथा 3 दुकानों में व्यवसायिक जल संयोजन किया गया है। 2 व्यवसायिक दुकानों में अवैध जल संयोजन पाये गये जिनके विरुद्ध जल संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल क्लब में मैनुअल पी०ए०बी०एक्स० (एक्सचेंज) के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पी०ए०बी० एक्स० (एक्सचेंज) की स्थापना विषयक

11–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि नैनीताल स्थित "राज्य अतिथि गृह" (नैनीताल क्लब) के मैनुअल पी० ए० बी० एक्स० (एक्सचेंज) के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पी० ए० बी० एक्स० (एक्सचेंज) स्थापित कर सरकार इसके सुधार पर भी विचार कर रही है?

यदि हां, तो सुधार कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

नैनीताल क्लब में इलेक्ट्रॉनिक पी0ए0बी0एक्स0 (एक्सचेंज) की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के जलाली, मजखाली एवं मछोड़ को विकास खण्ड बनाये जाने की मांग

12—श्री अजय भट्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जिले के जलाली, मजखाली एवं मछोड़ को विकास खण्ड बनाये जाने हेतु लम्बे समय से क्षेत्रीय जनता द्वारा मांग की जा रही है?

यदि हां, तो मजखाली, जलाली एवं मछोड़ को विकास खण्ड का दर्जा दिये जाने हेतु कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

जी नहीं।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को विकास खण्डों के गठन के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं होने एवं सृजन में कोई सहायता नहीं देने के कारण वर्तमान में विकास खण्डों का गठन किया जाना सम्भव नहीं है।

देहरादून की सुसवा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु कार्य योजना

13—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद देहरादून के मोथरोवाला गांव से बिदाल व रिस्पना नदी के संगम से बनने वाली सुसवा नदी का जल प्रदूषित हो चुका है?

यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार द्वारा सुसवा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए कोई कार्ययोजना बनायी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात—

जी हां।

नगर/कस्बों के घरेलू उत्प्रवाह, जल-मल व कूड़े-कचरे के नालियों व बड़े नालों के माध्यम से सुसवा नदी में प्रवेश के कारण जल प्रदूषित हो रहा है।

नगर निगम सीमा अन्तर्गत कूड़े–कचरे जो अन्ततः बह कर सुसवा नदी को प्रदूषित करता है, के उचित संग्रहण, भण्डारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु एक कार्ययोजना अंकन रु0 178.30 लाख की तैयार कर वित्त पोषण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरांचल जल संस्थान में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं स्थायीकरण की जानकारी

14–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल जल संस्थान में ठेके पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें कितने रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा है? क्या सरकार ठेके पर रखे गये इन दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ प्रखण्ड के प्रत्येक ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाने विषयक

15–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ प्रखण्ड के प्रत्येक ग्राम–गड़वालगाड, खालसी, बगोड़ी, अदनी और रौन्तल की जनसंख्या क्या है?

क्या उक्त गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मास्टर प्लान के अन्तर्गत जोड़ दिया गया है?

यदि नहीं, तो उक्त गांवों को सड़क मार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नवत् है :–

ग्राम	जनसंख्या
गड़वालगाड़	737
खालसी	1235
बगोड़ी	615
अदनी	348
रौन्ताल	629

जी नहीं।

ग्राम खालसी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने हेतु आगामी वर्ष की योजना में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा रही है। 1000 से कम तथा 250 से अधिक की आबादी के ग्रामों को वर्ष 2007 तक जोड़ने का लक्ष्य है।

रुड़की नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी

16–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की अत्याधिक कमी है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र नई नियुक्तियां करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

श्री नव प्रभात–

नगर पालिका परिषद्, रुड़की में 178 सफाई कर्मचारियों के पद सृजित हैं, जिनमें से 23 सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सफाई कर्मचारियों के लिए मानक निर्धारण के लिए समिति गठित की गई है।

समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सभा बेदूली में बाघ द्वारा मार दिये गये बच्चे के परिवार को मुआवजे के भुगतान विषयक

17–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री अवगत है कि ग्राम सभा बेदूली विकास खण्ड द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा में 18 सितम्बर, 2001 को साढ़े पांच वर्ष के एक बच्चे को बाघ द्वारा मार दिया गया था?

यदि हां, तो वन विभाग द्वारा उक्त बच्चे के परिवार को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हां, इंगित तिथि को साढ़े पांच वर्ष के एक बालक श्री गणेश दत्त पुत्र श्री हरि दत्त को बाघ द्वारा मार दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

जी नहीं।

मुआवजे/अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में परिवार की ओर से आवेदन–पत्र जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से दिनांक 09 मई, 2003 को प्राप्त हुआ है, आवेदन–पत्र के साथ कतिपय आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्हें प्राप्त/पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

18—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—(द्वितीय सोमवार के अता0 1 में स्था0)

19—श्री मदन कौशिक—(प्रथम गुरुवार के अता0 27 में स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्तरित)

उत्तरांचल में कार्यरत दैनिक वन कर्मियों को वरिष्ठता सूची के आधार पर विनियमितीकरण

20—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कार्यरत दैनिक वन कर्मियों को पूर्व प्रथानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर विनियमितीकरण वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात—

समूह "ग" तथा "घ" दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही क्रमशः समूह "ग" के दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 तथा उत्तरांचल वन विभाग (समूह "घ" के पदों पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी. इससे पूर्व में दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण की कोई नियमावली नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों की जानकारी

21—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है?

यदि हां, तो इन मोटर मार्गों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

उक्त योजना में कुछ सड़कों का कार्य ग्रामवासियों के मतभेद, पुल निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त न होने तथा वन अधिनियम के कारण धीमी गति से चल रहा है।

ग्रामवासियों से वार्ताकर समस्या का निराकरण किया जा रहा है एवं भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में रणधार (बांगर) तथा तिलवाड़ा सौंराखाल मोटर मार्गों का डामरीकरण

22—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में मयाली रणधार (बांगर) तथा तिलवाड़ा सौंराखाल मोटर मार्गों का डामरीकरण वर्षों से क्यों नहीं हो पाया है?

क्या सरकार दोनों मोटर मार्गों का डामरीकरण जनहित में शीघ्र करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

वर्तमान में नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों हेतु आवास व्यवस्था

23—श्री मदन कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों हेतु सरकार द्वारा मकान बनवाने की कोई व्यवस्था है?

यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि दी जाती है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

वर्तमान में ग्राम विकास विभाग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने हेतु आवास विहीन परिवारों को इन्द्रा आवास योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार को पर्वतीय क्षेत्र में मकान निर्माण हेतु रु0 22,000.00 तथा मैदानी क्षेत्र को रु0 20,000.00 की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में नन्द प्रयाग—घाट मोटर मार्ग के आबादी क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना

24—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में नन्द प्रयाग—घाट मोटर मार्ग के आबादी क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

जनपद चमोली के विकास क्षेत्र घाट में नंद प्रयाग–घाट मोटर मार्ग पर घाट बाजार में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु सर्वे कर लिया गया है। बोरिंग के पश्चात् पानी की उपलब्धता होने पर हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कार्य संभव है।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जालली विकास खण्ड के निर्माण पर विचार

25–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि 5 सितम्बर, 1997 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री कु0 मायावती ने अल्मोड़ा जिला मुख्यालय की एक आम सभा में जनपद अल्मोड़ा के ताड़ीखेत, भिकियासैण एवं द्वाराहाट विकास खण्डों के कुछ भागों को मिलाकर जालली विकास खण्ड निर्माण की सार्वजनिक घोषणा की थी?

यदि हां, तो क्या सरकार जालली विकास खण्ड के निर्माण पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

जी नहीं।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को विकास खण्डों के गठन के सम्बन्ध में कोई नीति न होने एवं कोई सहायता न देने के कारण वर्तमान में विकास खण्डों का गठन किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में वर्षा एवं भूस्खलन के कारण अवरुद्ध मार्गों को यातायात के लिए खोले जाने विषयक

26–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्षों पूर्व बनी सड़कों पर वर्षा एवं भू–स्खलन के कारण पड़े मलबे से प्रत्येक जनपद में कई सड़कें यातायात के लिए नहीं खुल पा रही हैं?

यदि हां, तो क्या सरकार विशेष बजट की व्यवस्था कर उक्त मोटर मार्गों को खुलवाने हेतु कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

भू–स्खलन के कारण अवरुद्ध मार्गों को तत्काल ही यातायात के लिए खोलने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस हेतु बजट में व्यवस्था है।

नैनी झील पर बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने हेतु वाल्दियाखन–खूर्पाताल बाईपास के निर्माण की योजना

27–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि नैनी झील पर बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने के लिए वाल्दियाखन–खूर्पाताल बाईपास निर्माण करने पर सरकार कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी?

यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

निर्णय के आधार पर।

उपरोक्तानुसार।

जीर्ण–शीर्ण कालाढूँगी नैनीताल मोटर मार्ग की मरम्मत विषयक

28–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल में कालाढूँगी नैनीताल मार्ग अत्यंत जीर्ण–शीर्ण स्थिति में होने के कारण पर्यटकों को आने–जाने में काफी असुविधा हो रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जीर्ण–शीर्ण मोटर मार्ग को अविलम्ब ठीक करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं। मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

मार्ग की राइडिंग क्वालिटी में बी०एम०/एस०डी०सी० द्वारा और अधिक सुधार किये जाने हेतु रु० 684.46 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के विकास भवन भीमताल के निर्माण कार्य की स्थिति

29—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास भवन भीमताल, जनपद नैनीताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में रायपुर के दिव्य विहार राजीवनगर डांडा में बिछायी जा रही पेयजल पाइप लाइन में अनियमिततायें

30—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के दिव्य विहार राजीवनगर डांडा में विभाग द्वारा पेयजल लाइन बिछायी जा रही थी?

यदि हां, तो एक निश्चित स्थान तक पाइप लाइन बिछाये जाने के फलस्वरूप आगे का कार्य किन कारणों से बंद कर दिया गया है?

क्या सरकार पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए उक्त कालोनी में इस अधूरी पेयजल लाइन को शीघ्र बिछायेगी तथा दोषी अभियंता के कार्यों की जांच कर कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

स्वीकृत प्राक्कलन के प्राविधान के अनुसार 90 एम0 एम0 व्यास की 600 मीटर पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन बिछायी गयी। क्षेत्र में 2100 मीटर अतिरिक्त पाइप लाइन के विस्तार हेतु रु0 2.42 लाख का व्यय अनुमान है। शासनादेश दिनांक 7–5–2003 द्वारा इस हेतु रु0 2.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्राक्कलन के अनुसार वांछित पाईप्स की आपूर्ति के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में किसी अभियन्ता के विरुद्ध इस योजना के निर्माण के सम्बध में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के साटीगाड़–गातू व मड़कोट–रौत्तल हल्का वाहन मार्ग के जांच की प्रगति

31–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के साटीगाड़–गातू व मड़कोट–रौत्तल हल्का वाहन मार्ग की जांच के आदेश दिये गये थे?

यदि हां, तो क्या उक्त की जांच हो चुकी है?

जांच आख्या सदन के पटल पर रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

जांच प्रगति पर है।

यह जांचोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़कों, पुलों एवं निर्माण कार्य हेतु विश्व बैंक से आर्थिक सहायता पर विचार

32–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में सड़कों, पुलों की मरम्मत/निर्माण कार्य हेतु सरकार विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मांगने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो प्रत्येक जनपद में कितनी सड़कें एवं पुलों का निर्माण/मरम्मत कार्य करवायेंगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

यह विश्व बैंक परियोजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

सड़कों की गुणवत्ता की जांच विषयक

33–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विभाग द्वारा बनायी गई सड़कों की गुणवत्ता की जांच किस प्रकार की जाती है?

क्या प्रदेश में कोई स्वतंत्र इकाई भी स्थित है।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता की जांच विभागीय प्रयोगशाला एवं कार्य स्थल पर की जाती है।

भवाली एवं देहरादून में सामग्री जांच हेतु प्रयोगशालाऐं इकाई के रूप में स्थित हैं।

हॉट मिक्स प्लान्टों पर भी प्रयोगशालाऐं स्थापित हैं।

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री के सैम्पुल, परीक्षण आई0आई0टी0, रुड़की एवं जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर से भी कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल की ग्राम सभा जोंक एवं ग्राम सभा गूम (पौखाल) को नगर पंचयात या नगर परिषद् बनाये जाने पर विचार

34–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल की ग्राम सभा जोंक (लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम) ग्राम सभा सतपुली, ग्राम सभा गूम (पौखाल) को नगर पंचायत या नगर परिषद् बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जिलाधिकारी, गढ़वाल के पत्र दिनांक 4–10–2001, पत्र दिनांक 5–10–2001 तथा पत्र दिनांक 22–6–2002 द्वारा शासन में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उत्तरांचल म्युनिसिपल अधिनियम तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रस्तावित अधिनियम में निर्धारित मानकों के आधार पर ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्तवत्।

उत्तरांचल में ग्राम्य विकास के निर्माण कार्यों में महिला मंगल दल व युवक मंगल दल की भागीदारी

35–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में ग्राम्य विकास के निर्माण कार्यों में महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी?

यदि हां, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों द्वारा किया जाता है, युवक मंगल दल/महिला मंगल दल ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के सहयोगी संगठन हैं। अतः स्थानीय युवक मंगल दल/महिला मंगल दल की भागीदारी रहती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

भीमताल व भवाली नगरों में वाहनों के बढ़ते दबाव के आधार पर बाई–पास सड़क के निर्माण पर विचार

36–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि भीमताल व भवाली (जनपद नैनीताल) नगरों की बढ़ती जनसंख्या एवं वाहनों के बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए सरकार वहां बाई–पास सड़क निर्मित किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक,

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत मटई एवं पगना गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़े जाने विषयक

37–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत मटई एवं पगना गांव की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार एक हजार थी?

यदि हां, तो उक्त दोनों गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

वर्तमान में थिरपक–कान्दई को मोटर मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भविष्य में मोटर मार्ग से जोड़ा जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों के पुनर्गठन की योजना

38--श्री महेन्द्र भट्ट--

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कुल कितनी पेयजल लाइनें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं तथा कितनी लाइनों में शासन द्वारा पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा कुल कितनी योजनाओं के पुनर्गठन के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी--

जनपद चमोली में वर्तमान में 07 पेयजल योजनाएं पूर्ण रूप से बंद हैं, अभी इनके पुनर्गठन की स्वीकृति नहीं दी गयी है, परन्तु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 में योजनाओं का चयन पुनर्गठन हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों पूर्व बनी सड़कों का डामरीकरण

39--श्री मातबर सिंह कण्डारी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों पूर्व बनी सड़कों का डामरीकरण नहीं हो पाया है?

क्या सरकार इन कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए कोई ठोस योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

कच्चे मार्गों का डामरीकरण संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निरन्तर किया जा रहा है।

प्रतिवर्ष जिला योजना एवं राज्य योजना में मार्गों का डामरीकरण सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

40--(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)।

हरिद्वार में पूर्व में स्थित पंजाब नैशनल बैंक के भवन का किराया एवं भवन की वर्तमान स्थिति की जानकारी

41--श्री मदन कौशिक--

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार में म्यु0 बोर्ड कर्मचारी यूनियन भवन के साथ वाली भूमि पर पंजाब नैशनल बैंक था जो वर्तमान में अन्य स्थान पर स्थापित हो गया है?

यदि हां, तो उक्त बैंक से नगरपालिका को प्रत्येक वर्ष कितना किराया प्राप्त होता था?

वर्तमान में इस खाली बैंक की बिल्डिंग एवं छत का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है?

श्री नव प्रभात–

जी, हां।

उक्त भूमि वर्ष 1979 को म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी यूनियन, हरिद्वार को लीज पर दी गई थी तथा यूनियन द्वारा इसे पी0एन0बी0 को किराये पर दिया गया। वर्तमान में बैंक द्वारा भवन खाली कर दिया गया है।

शून्य।

वर्तमान में खाली बैंक की बिल्डिंग व छत म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी यूनियन, हरिद्वार के अध्यासन में है।

विधान सभा क्षेत्र लालढांग में वर्ष 2001–2002 के सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों की स्थिति

42–श्री तसलीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग (हरिद्वार) के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 के सड़क निर्माण से संबंधित कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

97 प्रतिशत कार्य पूर्ण है, अवशेष प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार नगरपालिका से सब्जी मण्डी होते हुए धनपुरा में लक्सर रोड में मिलने वाले मार्ग को कुम्भ योजना के अन्तर्गत बनाये जाने की योजना

43–श्री तसलीम अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार नगरपालिका से सब्जी मण्डी, ज्वालापुर सराय, बहादुरपुर जट, पथरी रेलवे स्टेशन से होता हुआ धनपुरा में लक्सर रोड से मिलने वाले 10 कि0मी0 मार्ग को कुम्भ योजना के अन्तर्गत बनाये जाने की योजना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी, नहीं।

उपलब्ध धनराशि के आधार पर कुम्भ मेला की प्राथमिकताएं तय की जाती हैं।

कुम्भ मेला, 2004 के अन्तर्गत बनाये जा रहे मार्गों की जानकारी एवं गैंडीखाता से लालढांग तक की सड़क को कुम्भ मेला योजना के अन्तर्गत बनाये जाने की मांग

44–श्री तसलीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि कुम्भ मेला, 2004 के अन्तर्गत किन–किन सड़क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है?

क्या सरकार हरिद्वार–नजीबाबाद हाई–वे पर स्थित गैंडीखाता से लालढांग तक मात्र 13 कि0मी0 सड़क कुम्भ मेले के अन्तर्गत बनायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अर्द्ध कुम्भ मेला, 2004 हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे मार्गों की सूची संलग्न है।

जी नहीं।

वर्ष 2002–03 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत कोटद्वार से गैंडीखाता तथा लालढांग (13 कि0मी0+01 कि0मी0 आबादी भाग, लालढांग) के निर्माण के प्रथम चरण हेतु रु0 91.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 106 पर।)

दैनिक वन कर्मचारियों का समझौते के अनुरूप अवशेष वेतन भुगतान विषयक

45–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उप वन संरक्षक टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय उत्तरकाशी व दैनिक वन कर्मचारियों के मध्य समझौते के अनुरूप दि0 12–08–02 तक वेतन का अवशेष भुगतान किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं।

सिविल अपील संख्या–3634/98 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–02–2002 के अनुसार वन विभाग में 10 वर्ष और उससे अधिक सेवा कर चुके दैनिक वेतन श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान का वेतन का भुगतान, अन्य किसी भत्ते के बिना, किया जाना है, तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद चमोली में स्थित वन चेतना केन्द्र खोलने के मानक

46–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जनपद चमोली में कुल कितने वन चेतना केन्द्र विगत वर्ष में खोले गये?

इन वन चेतना केन्द्रों को खोलने का क्या मानक रखा गया है?

क्या सरकार वनभूमि के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी वन चेतना केन्द्र खोलेगी?

श्री नव प्रभात–

जनपद चमोली में वर्ष 2002 में एक वन चेतना केन्द्र नन्दप्रयाग में खोला गया है।

आवश्यकता/उपयोगिता एवं धनराशि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वन चेतना केन्द्रों को खोलने की कार्यवाही की जाती है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

जनपद चमोली के ग्राम क्वेटी में पेयजल हेतु पोखरी पेयजल योजना के पुनर्गठन पर विचार

47–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में विकास खण्ड पोखरी में क्वेटी गांव को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पोखरी पेयजल पुनर्गठन योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो इसके लिए कोई धनराशि अवमुक्त की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2001–02 में रु0 2.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार स्थित राष्ट्रीय राज मार्ग 58 पर कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों का आधार एवं संख्या

48–श्री मदन कौशिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि हरिद्वार स्थित राष्ट्रीय राज मार्ग 58 पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को किस आधार पर रखा गया है?

तथा उनकी संख्या कितनी है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर।

मेट–5, बेलदार–37, लिपिक–6 (6 लिपिक व 20 बेलदार टोल टैक्स वसूली हेतु)।

49–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी (द्वितीय शुक्रवार के अता0 34 में स्था0)।

जनपद उत्तरकाशी में धरासू चमियारी एवं धरास्यूँ दिकोली रौन्तल हल्का वाहन मोटर मार्ग से संबंधित जानकारी

50–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में धरासू चमियारी एवं धरास्यूँ दिकोली रौन्तल हल्का वाहन मोटर मार्ग कब स्वीकृत हुए?

तथा इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृति हुई थी?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अब तक उक्त मोटर मार्गों पर कुल कितना व्यय किया जा चुका है?

तथा इन मार्गों की वर्तमान प्रगति क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

धरासू चमियारी हल्का वाहन मार्ग एवं धरासू–अदनी–रौन्तल हल्का वाहन मार्ग क्रमशः 3/91 एवं 8/99 में स्वीकृत हुए।

इन मार्गों हेतु क्रमशः रु0 13.50 लाख एवं रु0 46.50 लाख की स्वीकृति दी गयी।

इन मार्गों पर माह 3/2003 तक क्रमशः रु0 1.89 लाख व रु0 1.16 लाख व्यय हुआ।

धरासू चमियारी हल्का वाहन मार्ग में वन भूमि हस्तान्तरित हो गयी है एवं धरासू–अदनी–रौन्तल हल्का वाहन मार्ग में सर्वेक्षण का कार्य किया गया है।

जनपद उत्तरकाशी में मड़कोट रौन्तल बगोड़ी एवं बड़ेथी कान्धला हल्का वाहन मार्ग की जानकारी

51—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में मड़कोट रौन्तल बगोड़ी एवं बड़ेथी कान्धला हल्का वाहन मार्ग कब स्वीकृत हुए थे?

तथा इन मार्गों हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन मार्गों पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया जा चुका है?

तथा

वर्तमान प्रगति क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

इन मार्गों की स्वीकृति क्रमशः 10/89 व 12/2000 में हुई थी।

इन मार्गों हेतु क्रमशः रु0 125.00 लाख एवं रु0 24.00 लाख की स्वीकृति हुई।

इन मार्गों पर अब तक क्रमशः रु0 112.87 लाख एवं रु0 3.09 लाख व्यय किये गये।

तथा

वर्तमान में मड़कोट रौन्तल बगोड़ी मार्ग 6.00 कि0मी0 लम्बाई में पूर्ण है एवं बड़ेथी कान्धला हल्का वाहन मार्ग में सर्वेक्षण कार्य पूरा है।

53—श्री मदन कौशिक (द्वितीय सोमवार के अता0 4 में स्था0)

जनपद उत्तरकाशी के गांव टिपरी (बिष्ट) से कण्डारखाल तक सड़क निर्माण में प्रभावित काश्तकारों की जमीन का प्रतिकर एवं यातायात हेतु मार्ग की स्थिति

53—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के गांव टिपरी (बिष्ट) से कण्डारखाल तक सड़क का निर्माण किया जा चुका है?

यदि हां, तो प्रभावित काश्तकारों की जमीन का प्रतिकर विभाग द्वारा वितरित किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

तथा सड़क मार्ग यातायात हेतु कब तक खोल दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां। बड़ेथी (बिष्ट) से कण्डारखाल के लिये 5.50 कि0मी0 मार्ग निर्माण किया जा चुका है।

जी हां। आंशिक प्रतिकर भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

5.50 कि0मी0 निर्मित मार्ग यातायात हेतु खुला है।

जनपद उत्तरकाशी के सिलक्यारा बणगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग के निर्माण की स्थिति

54–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के सिलक्यारा बणगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सिलक्यारा बणगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग का जनपद उत्तरकाशी में स्थित 79.10 कि0मी0 भाग मोटर मार्ग के रूप में यातायात हेतु उपलब्ध है। जिसमें लगभग 13.00 कि0मी0 लेपित हैं। जिला योजना के अन्तर्गत 1.60 कि0मी0 लम्बाई पर लेपन कार्य प्रगति पर है। अवशेष मार्ग पर लेपन कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी व उत्तरकाशी के मध्य विकास खण्ड थौलधार के ग्राम कटखेत (चापड़ा) से थत्यूड़ (जौनपुर) बंगसौल तक मोटर मार्ग के निर्माण की स्थिति

55–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी व उत्तरकाशी के मध्य विकासखण्ड थौलधार के ग्राम कटखेत (चापड़ा) से विकास खण्ड थत्यूड़ (जौनपुर) के पट्टी पालीगाड के ग्राम मोलधार व बंगसौल तक मोटरमार्ग निर्माण प्रस्तावित है?

यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण।

विकास खण्ड द्वारीखाल के राजकीय इण्टर कालेज, सिलोंगी में निर्मित मिनी आई0टी0आई0 भवन में तकनीकी शिक्षा की कक्षायें प्रारम्भ न होने के कारण

56–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के राजकीय इण्टर कॉलेज, सिलोंगी में विगत कई वर्षों से निर्मित मिनी आई0टी0आई0 भवन में तकनीकी शिक्षा की कक्षायें प्रारम्भ न होने के क्या कारण है?

क्या सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षा सत्र में वहां तकनीकी शिक्षा की कक्षायें प्रारम्भ की जायेगी तथा क्या व्यवसायिक शिक्षा को भी एक विषय के रूप में लेने का प्रकरण विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मिनी आई0टी0आई0 ट्राईसैम योजना के अन्तर्गत निर्मित किया गया जिसमें निकटवर्ती शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाना था ट्राईसैम योजना समाप्त होने के कारण इसे नई योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः अब इस संस्थान में एस0जी0एस0वाई0 के स्वयं सहायता समूह/स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि मिनी आई0टी0आई0 ट्राईसैम योजना के अंतर्गत निर्मित है। अतः इस संस्थान में केवल एस0जी0एस0वाई0 के स्वरोजगारियों को ही प्रशिक्षण दिया जाना है। अतः व्यवसायिक शिक्षा को एक विषय के रूप में लेने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैं श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल, श्री नारायण पाल, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री सहजाद तथा कैलाश शर्मा की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं।

हल्द्वानी के भावरी ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, हल्द्वानी के भावरी ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर, पेयजल संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है समस्या के समाधान के लिए देवलचौड़,

लुदुरिया बाबा आश्रम में नलकूप निर्मित है। इनके पाईप लाइन का विस्तार ओवर हैड टैंक निर्माण कराकर पेयजल सुलभ कराना है। इसके अतिरिक्त मोतीनगर, फुटकुवां, गौलापार में खेड़ा, हाटाग्राम (बिन्दुखत्ता) में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप प्रस्तावित हैं। क्या माननीय पेयजल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन स्तर पर क्या कार्यवाही हो रही है? यदि नही हुई तो कब तक होगी?

(श्री अध्यक्ष द्वारा नारायण पाल जी का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में अनुपस्थित रहे)।

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ एवं दशोली में अज्ञात बीमारी से मर रही बकरियों की बीमारी से रोकथाम एवं भेड़पालकों की आर्थिक क्षतिपूर्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, जनपद चमोली के लगभग सभी विकास खण्डों में पशुपालकों की आजीविका का एक मात्र साधन भेड़ बकरियां हैं, आये दिन अज्ञात बीमारी से भेड़पालकों की सैकड़ों बकरियां मर जाती हैं जिससे कि निर्बल एवं मध्यम श्रेणी के पशुपालकों को आर्थिक क्षति होने के साथ–साथ इनका मनोबल भी गिर जाता है अभी एक सप्ताह के दौरान विकास खण्ड जोशीमठ एवं दशोली में सैकड़ों बकरियां अज्ञात बीमारी से मर गयी हैं, विभागीय स्तर पर इस अज्ञात बीमारी की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं। यह एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ एवं दशोली में बकरियों की उक्त अज्ञात बीमारी की रोकथाम के लिए तथा भेड़पालकों की आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

गत वर्ष 2002–2003 में किसानों को दी गई सूखाग्रस्त सहायता के अनुरूप ही मजदूर वर्ग को भी सूखाग्रस्त राहत सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजाद–

मान्यवर, गत वर्ष 2002–2003 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य की सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा किसानों को सूखा राहत कोष के नाम से सहायता प्रदान की गयी लेकिन किसानों के साथ–साथ मजदूर वर्ग भी सूखे से प्रभावित हुआ जो देहात के क्षेत्रों में भूमि के ऊपर ही निर्भर रहता है। सरकार की ओर से मजदूर वर्ग के हित में किसी भी तरह की सूखा राहत की योजना तैयार नहीं की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मजदूरों को सूखा राहत कोष से सरकार की ओर से योजना के अन्तर्गत राहत मिल जाये इसी सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(उक्त सूचना पढ़ी हुई मानी गई)।

अल्मोड़ा नगर में अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, अल्मोड़ा नगर में अग्निशमन सेवाओं की कमजोर व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि अल्मोड़ा नगर जो कि काफी प्राचीन शहर है, जिसमें अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं तथा सारे मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं, बाजार भी काफी संकरा है, बड़े वाहनों के आने जाने के लिए मार्ग भी संकरा है। अधिकांश मकान लकड़ी के होने के कारण आये दिन अग्निकाण्ड होते रहते हैं। विगत माह मार्च में कारखाना बाजार में भयंकर अग्निकाण्ड होने से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति स्वाहा हो गई। अग्निशमन विभाग के पास मात्र एक बड़ा वाहन है जो काफी पुराना है। अग्निकाण्ड जैसी गम्भीर दुर्घटना के समय रानीखेत एवं हल्द्वानी से वाहन मंगाने पड़ते हैं जो कि जिला मुख्यालय से क्रमशः 45 एवं 100 कि0मी0 की दूरी पर है। भीषण अग्निकाण्डों को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त हल्के अग्निशमन वाहन विभाग को उपलब्ध कराये जाने आवश्यक हैं, ताकि दुर्घटना के समय उक्त हल्के वाहनों का प्रयोग करने में आसानी हो, अतः जनपद मुख्यालय की भौगोलिक परिस्थिति को मद्दे नजर रखते हुए अग्निशमन विभाग को हल्के वाहन उपलब्ध कराये जायें।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना दैवीय आपदा मद में धन आवंटन के बाद भी निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में दी है। मैं इस सूचना को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। दूसरी सूचना मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने नियम 300 के अन्तर्गत राज्य योजना एवं जिला योजनाओं के अन्तर्गत सड़कों के शिलान्यास एवं उद्घाटन के सम्बन्ध में दी है। यह सूचना नियम 300 की परिधि में नहीं आती है। अतः मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। तीसरी सूचना श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की है, जो गत सत्र में नियम 301 में दी गयी सूचना का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में है। प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश 14(3) के अन्तर्गत विगत सत्र में नियम 301 की सूचना की कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा जाना है। उस समय मा0 सदस्य यथास्थिति पीठ का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अतः मैं इसे भी उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। चौथी सूचना मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन की है। अनिश्चित होने के कारण इसे भी मैं नियम 300 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपके निर्णय पर कोई आक्षेप नहीं है पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम 300(2)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में है कि "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा, परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो।" मान्यवर, जब भी औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है तब उसे माना जायेगा, पर उसकी सीधी सूचना पीठ से आ गई इसलिए वह प्रश्न उठाया गया। मान्यवर, नियमावली के नियम 300(3) में है कि "अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अन्तिम होगा।" मान्यवर, जब प्रश्न ही नहीं उठाया तो विनिश्चय कैसे आ जायेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक श्री प्रकाश पंत जी नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है, यह परिधि में नहीं आया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि सदन में प्रश्न उठाया ही नहीं गया है तो उसे उठा हुआ कैसे मान लिया जाए।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में याचिका

*श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग, विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री मदन सिंह कोटपाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उत्तरांचल के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 मई, 2002 को नियम 64 के अन्तर्गत दिनांक 10 मई, 2002 को अपने विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में पेयजल समस्या के समाधान हेतु मुख्य अभियन्ता, जल निगम उत्तरांचल को दिनांक 13 मई, 2002 को उनके कार्यालय में समस्या निदान के लिए उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की सूचना दी गई थी, परन्तु मुख्य अभियन्ता उक्त दिनांक को जानबूझकर अपने कार्यालय से अन्यत्र चले गये तथा ज्ञापन लेने के लिए कार्यालय में कोई भी सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं था, के सन्दर्भ में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री जी द्वारा अवगत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया गया है कि श्री पी0के0 शर्मा, मुख्य अभियन्ता ने अपने स्पष्टीकरण में अवगत किया है कि दिनांक 13 मई, 2002 को माननीय विधायक की लिखित सूचना उनके कार्यालय में प्राप्त हुई थी। अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा 13 एवं 14 मई, 2002 को उन्हें आवश्यक कार्य हेतु लखनऊ बुलाया गया था। उनके द्वारा डोईवाला व देहरादून क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक को 13 मई, 2002 को कार्यालय में उपस्थित रहने तथा आने वाले प्रतिनिधि मण्डल से विचार विमर्श करने तथा ज्ञापन प्राप्त करने के निदेश दिए गए थे। भूलवश लखनऊ जाने की पूर्व सूचना माननीय विधायक को न दी जा सकी। लखनऊ से लौटकर माननीय विधायक की नाराजगी संज्ञान में आने पर उनसे व्यक्तिगत भेंट कर स्थिति स्पष्ट करते हुए क्षमायाचना की गई। शिकायतकर्ता सदस्य द्वारा सचिव, विधान सभा एवं सचिव, पेयजल को सम्बोधित दिनांक 10 मई, 2003 के पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करते हुए माननीय ग्राम्य विकास तथा पेयजल मंत्री ने प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया है। जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 10 मई, 2003 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मुख्य अभियन्ता पेयजल निगम उत्तरांचल ने स्वयं उनके पास आकर स्पष्टीकरण दिया तथा खेद के साथ उनसे याचना की है। माननीय सदस्य ने यह भी सूचित किया है कि वे श्री शर्मा के स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट हैं। अतः माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना के सन्दर्भ में वर्णित परिस्थितियों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री गोविन्द लाल शाह, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री नारायण पाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्रीमती आशा नौटियाल एवं श्री अजय भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री मदन कौशिक, श्री अनिल नौटियाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री कैलाश शर्मा, मो0 सहजाद तथा काजी निजामुद्दीन, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुयीं, इनमें से मैं श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा गोविन्द लाल शाह, मो0 सहजाद तथा काजी निजामुद्दीन, श्री मदन कौशिक, श्री कैलाश शर्मा, श्री नारायण सिंह जन्तवाल की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। शेष सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत उत्तरांचल के वनों में आग से जो अपार जन–धन की क्षति हुयी है, उस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जनपद चमोली में पिण्डर रेन्ज थराली के कुराड़ में जंगल में आग बुझाते हुए घनगिरा गांव की विमला देवी 36 वर्ष और दीपा 16 वर्ष आग बुझाते हुए वीरगति को प्राप्त हुयीं।

इसी प्रकार पुराण गांव के घनीराम, हिमांचल प्रदेश का एक ठेकेदार जिसकी उम्र 56 वर्ष थी, आग से मौत हो गयी। मान्यवर, कु0 रामेश्वरी 12 वर्ष बुरी तरह से आग से झुलस गयी है जिसका उपचार स्वास्थ्य केन्द्र थराली में चल रहा है। मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट गांव में नौलाकोट में श्याम सिंह–15 वर्ष, ललित–12 वर्ष, सूरज–11 वर्ष, अशोक–12 वर्ष, इनकी आग से मौके पर मौत हो गयी है। दीपक जिसकी उम्र 12 वर्ष है। चिकित्सालय में जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है। रूद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी गोचर क्षेत्र में आग लोगों के घरों तक पहुंच गयी है। उत्तरकाशी में 100 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ गए हैं। गोपेश्वर में जंगल पूरी तरह से जल चुके हैं। चम्पावत में 75% आग जंगलों में फैल चुकी है। मान्यवर, इस प्रकार प्रदेश में 610 घटनाएं आग की हुई हैं। इस आग की चपेट में बहुमूल्य लकड़ी जलकर राख हो गयी। जड़ी–बूटी नष्ट हो गयी। वन्य जन्तु आग की चपेट में आ गए। पशुओं के चारे का संकट पैदा हो गया है। जल स्रोत सूख गए हैं। जल स्तर नीचे चला गया है। तापमान बढ़ गया है और प्रदूषण चारों तरफ फैल गया है। पहले जनता आग बुझाना अपना फर्ज मानती थी लेकिन अब जनता, वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। मान्यवर, वनों की रक्षा के लिए जन सहभागिता की आवश्यकता है।

मान्यवर, इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए। वनों की आग से सम्पूर्ण उत्तरांचल में क्षति हुई है। मान्यवर, बहुत से हमारे युवा साथी आग बुझाने में वीरगति को प्राप्त हो गए। मान्यवर, इसके लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी फायर सीजन के लिए बजट की व्यवस्था करती है। हमारे यहां बजट व्यवस्था केवल खानापूर्ति होती है। आग को बुझाने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फायर सीजन के लिए बजट की व्यवस्था हो ताकि जंगल में आग न लगे। वन्य जीव जन्तु का नुकसान न हो। मान्यवर, बिना जन सहभागिता से हम जंगलों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। चीड़ के जंगलों में सबसे ज्यादा आग लगती है। इसलिए चीड़ के जंगलों में बुरॉस के पेड़ लगाए जाए। सदाबहार वनों का वृक्षारोपण किया जाए। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय व लोक महत्व का प्रश्न है और राष्ट्रीय सम्पदा की रक्षा का भी प्रश्न है। मान्यवर, जिन युवा साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनको मरणोपरांत सम्मानित किया जाए और उनके परिवार वालों को राहत दी जाए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि उनको मरणोपरांत सम्मान एवं उनके परिवारजनों को राहत दें और जो लोग आग से झुलस करके अस्पताल में चिकित्सा के लिए मौत से जूझ रहे हैं उनके निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

मान्यवर, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय तात्कालिक है, लोक महत्व का है और राष्ट्रीय सम्पदा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाये।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, चूंकि इसमें मेरा क्षेत्र भी शामिल है। इसलिए मुझे बोलने दिया जाये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)।

श्री गोविन्द लाल शाह–

मान्यवर, यह अग्निकांड मेरे विधान सभा क्षेत्र थराली में हुआ है। चार लोगों को इसमें वीरगति प्राप्त हुई है। मान्यवर, हर साल आग लगती है और किसी ने नहीं सोचा कि यह आग क्यों लगती है। मान्यवर, इसकी जांच कराई जाये। क्योंकि एक षड़यंत्र के तहत यह आग लगाई जा रही है। मेरे संज्ञान में यह आया है कि जहां पर भी प्लांटेशन किया जाता है, वहां आग लग जाती है। जब मैंने इसे कन्फर्म किया तो पता चला कि फारेस्ट वाले ही यह आग लगा रहे हैं। वास्तव में हमारे पहाड़वासी इसी तरह आग में जलते रहे तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा।

मान्यवर, जंगल में आग और घर में बाघ। बड़ी मुश्किल है। अगर आग से बचते हैं तो बाघ हमें खा जाता है और यदि बाघ से निपटने की कोशिश करते हैं तो जंगलात वाले परेशान करते हैं। मान्यवर, इसकी न्यायिक जांच कराई जाये कि आग लगने से पहले यहां क्या–क्या कार्य वन विभाग द्वारा कराये गये थे। मैं इस सदन में यह भी मांग करता हूं कि जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनको 5–5 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया जाये और इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाये। (तालियां)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, दिनांक 3 जून की सांय लगभग 7 बजे श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह उम्र 17 वर्ष, ललित सिंह पुत्र कुन्दन सिंह 12 वर्ष, सूरज सिंह पुत्र शंकर सिंह उम्र 12 वर्ष, अशोक सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह उम्र 11 वर्ष एवं दीपक सिंह पुत्र महेश सिंह उम्र 12 वर्ष गगास नदी के पास खेल रहे थे, कि इसी बीच नदी से लगे वन पंचायत बगड़गांव ग्राम पंचायत नायल के जंगल में आग लग गई, आग एकदम तेजी से चारों ओर फैलने लगी, आग को तेजी से फैलता देखकर ये पांचों बच्चे आग बुझाने दौड़े तथा गांव वालों को भी उन्होंने आग बुझाने हेतु आने को आवाज दी।

मान्यवर, उक्त वन क्षेत्र जिसमें आग लगी वह संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत था तथा उसमें चौड़ी पत्ती का वन लगाने हेतु पूर्व में भी काफी पैसा खर्च किया गया, परन्तु अग्निकांड के समय संयुक्त वन प्रबंधन का कोई कर्मचारी या अधिकारी आग बुझाने नहीं आया। आग बुझाते समय चारों ओर से भीषण आग से घिर जाने के कारण सुरेन्द्र सिंह, ललित सिंह, सूरज सिंह एवं अशोक सिंह की घटना स्थल पर ही बुरी तरह झुलस जाने के कारण मृत्यु हो गई। पांचवे बच्चे श्री दीपक सिंह पुत्र श्री महेश सिंह निवासी ग्राम बिजेपुर, पो0ऑ0 द्वाराहाट जो अपने ननिहाल नौलाकोट आया था, बुरी तरह झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका मरणासन्न हालत में बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में उपचार चल रहा था। कल दिनांक 9.6.2003 को उसका भी निधन हो गया है।

मान्यवर, उपरोक्त बच्चों के इस अग्निकांड में जलकर मर जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। यह क्षेत्र की जनता की मांग है कि इन बच्चों को अग्निशमन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से मरणोपरान्त सम्मानित किया जाये और मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाये तथा श्री गोबिन्द सिंह बोरा पुत्र श्री कुन्दन सिंह बोरा उम्र 19 साल ने इस अग्निकांड में बहादुरी का परिचय देते हुए बुरी तरह झुलस गये, दीपक रौतेला को बचाने का कार्य किया, उसके दो छोटे भाई भी इस अग्निकांड में जलकर मारे

गये हैं। अतः श्री गोबिन्द सिंह बोरा पुत्र श्री कुन्दन सिंह बोरा को सरकारी नौकरी योग्यतानुसार प्रदान किये जाने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

मान्यवर, इस अग्निकांड में मृतक परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जाये इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि संयुक्त वन प्रबन्धन के लोग उस समय कहां थे और चौड़ी पत्ते वाले जो जंगल लगाने में पैसा खर्च हुआ है तो यह चीड़ के जंगल कहां से आ गये। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया है उसमें काफी अंश सही हैं। यह सही है कि जनपद अल्मोड़ा में आग बुझाते समय 5 बच्चों की मृत्यु हो गई है, जनपद चमोली में एक व्यक्ति एक लीसा मेट और एक महिला तथा एक बालिका की मृत्यु हो गई तथा एक बालिका घायल हो गई है। जनपद टिहरी में एक वन रक्षक की आग बुझाते समय मृत्यु हो गई है तथा टिहरी डैम प्रभाग में एक दैनिक प्लान्टेशन चौकीदार की मृत्यु हो गई है, तथा चमोली में एक सरपंच एवं एक वन रक्षक की मृत्यु हो गई है। अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या कुल 1018 हो गई है और कुल 4655.56 हैक्टेयर वन क्षेत्र इस आग में शामिल है।

मान्यवर, तुरन्त आग बुझाने के जो तत्काल पिक्राशनरी कार्य हो सकते हैं वह किये जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 15 फरवरी से 15 जून तक लगभग 1600 फायर वाचर आग बुझाने के कार्य पर लगाये जाते हैं विभाग में अब तक कुल 126 क्रू स्टेशन स्थापित हैं जिनमें फायर सीजन में अग्नि रोधक टीम, आग बुझाने के आवश्यक उपकरण के साथ रहती है। इस संबंध में 2 लाख 6 हजार रुपया व्यय किया जा चुका है। हमारे राज्य के 34662 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के सापेक्ष 45.56 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित है। निश्चित रूप से आग लगने की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है इसे हमने दैवीय आपदा के रूप में रख दिया है और इसके लिए व्यवस्थायें की जा रही हैं विभागीय परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी को भी यह निर्देश दिये गये हैं कि वे इसे दैवीय आपदा में लेकर इसके ऊपर कार्य करें और वे कार्य कर रहे हैं। जहां तक मरणोपरान्त पुरस्कार दिये जाने की बात है तो यह हम भी मानते हैं, राहत के संबंध में सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। चिकित्सा के संबंध में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उन्हें जो भी चिकित्सा दी जायेगी वह निःशुल्क होगी। जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए तो हमारे पास व्यवस्था है परन्तु जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो इस अग्निकांड में मारे गये हैं उनके परिवार के एक व्यक्ति को उसके पद के समकक्ष रोजगार देने की व्यवस्था भी की जा रही है।

मान्यवर, रोजगार के साथ–साथ उनको मृतक की सीनियरिटी भी दी जाएगी, जिससे विनियमितीकरण के समय मृतक के परिजनों को लाभ मिल सके। माननीय सदस्य ने प्लांटेशन के सम्बन्ध में जो बात कही, वह निश्चित रूप से जांच का विषय है। हम जांच कराएंगे कि पिछले 4–5 साल में जहां पर प्लान्टेशन का कार्य किया गया है, यदि उस क्षेत्र विशेष में ही आग लगने की घटनाएं अधिक हुई हैं, तो यह एक गंभीर विषय है। यदि आग के आंकड़ों की ओर ध्यान दिया जाय तो पिछले 12 साल में हर चौथे साल

आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में 27700 हैक्टेयर भूमि आग से प्रभावित हुई, 1992 में 35900 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 1993 में 1800 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 1994 में 6000 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 1995 में पुनः 622000 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 1996 में 5500 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 1997 में 1200 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 1998 में 2000 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 1999 में पुनः 60000 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 2000 में 232 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 2001 में 1144 हैक्टेयर भूमि, वर्ष 2002 में 3493 हैक्टेयर भूमि तथा वर्ष 2003 में अब तक 4655.56 हैक्टेयर भूमि आग से प्रभावित हुई है। मान्यवर, आग लगने के पीछे कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं तथा कुछ मौसम सम्बन्धी कारणों से भी वनों में आग लग जाती है। मान्यवर, वनों की आग पर जन जागरण तथा जन सहयोग के माध्यम से ही रोक लगायी जा सकती है। यह सही है कि इसके लिए जन सहभागिता मात्र जन जागरण से ही नहीं होगी। जन सहभागिता के लिए कुछ ऐसे प्रयत्न भी करने होंगे कि जो लोग जंगलों से दूर होते जा रहे हैं, उनको जंगलों के करीब लाया जा सके। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि राजस्व ग्रामों में वन पंचायतों का गठन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि सितम्बर माह के अन्त तक हम हर राजस्व ग्राम में ग्राम पंचायतों के गठन का कार्य पूरा कर लेंगे। इन वन पंचायतों को आरक्षित वन क्षेत्र में अधिकार भी प्रदान किया जाएगा।

मान्यवर, हम यह भी चाहते हैं कि जड़ी–बूटियों तथा दूसरी वन उपजों के चुगान का कार्य भी इन वन पंचायतों के माध्यम से कराया जाय। जड़–पत्ते को एकत्रित करने का कार्य भी वन पंचायतों के माध्यम से कराया जायेगा, ताकि वन पंचायतों को आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध कराये जा सकें। माननीय सदस्य की यह चिन्ता भी सही है कि चीड़ के जंगलों की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। ग्राउण्ड फायर की घटनाएं सबसे अधिक चीड़ के जंगलों में ही होती हैं। इसके अतिरिक्त चीड़ के जंगलों में अण्डरग्राउण्ड फायर की संभावना भी बहुत अधिक होती है। चीड़ की पैरूल को हटाने का कोई भी प्रयास आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सका है। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, जिसके द्वारा हम पूरे जंगल की पैरूल को हटाकर नष्ट कर सकें।

मान्यवर, इसमें इस दृष्टि से कोई नई तकनीकी निकाल सकें हम उसके लिए निश्चित रूप से निरन्तर प्रयत्नशील हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए इस बात से मैं सहमत हूँ, प्राकृतिक कारणों से और मौसम के मिजाज से ये घटनायें होती हैं। आज की सूचना हमारे पास है, आज सुबह प्रदेश में अग्नि की कोई घटना नहीं है। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। इस दिशा में यह सरकार संवेदनशील है, इस दिशा में पूरी तत्परता से प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी उसे करेंगे, इसमें मैं आश्वस्थ करता हूं कि इसमें व्यवस्था पूरी की जायेगी।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के एक ही परिवार के दो बच्चे आग बुझाते समय जिनकी मृत्यु हो गई थी और एक घायल हो गया था। जो घायल हो गया है उसे पुरस्कृत किया जाय साथ ही नौकरी प्रदान की जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस संबंध में कार्यवाही कर सूचित कर देंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विचारों को सुना, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि जन सहभागिता के आधार पर क्या आप वन सेना का गठन करने पर विचार करेंगे? जन सहभागिता के साथ वन सेना का गठन होना चाहिए जिससे कि अवैध पातन का रोका जा सके और दूसरा चीड़ के जंगल के साथ–साथ बांज, बुरांस के पौध का रोपण करें ताकि हम आग पर काबू पा सकें। तीसरा क्या आप वन विभाग के कर्मचारियों और गांववासियों को प्रशिक्षण देंगे कि वह आग पर नियंत्रण कैसे करें? इसमें गांववासियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। कर्मचारी तो कहता है कि हमारे पास एक डंडा होता है हम आग कैसे बुझायें?

मान्यवर, उनके पास आग बुझाने के साधन होने चाहिए। वास्तव में काम करने वाला कर्मचारी होता है। आज यह प्रदेश बढ़ेगा तो कर्मचारी के आधार पर बढ़ेगा। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि हमारे बालक, बालिकायें, पुरुष और युवतियां वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमारे कर्मचारी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे कर्मचारियों को जो आग बुझाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। जो वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ वह आपने चार हजार बताया जबकि 6 हजार क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। इससे लड़ने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास होना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि इसमें जो बजट देते हैं वह धरातल पर लगना चाहिए वह खुदबुर्द नहीं होना चाहिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा अग्नि के काण्ड हो रहे हैं। यह क्या जो प्राकृतिक जंगल हैं उसमें हो रही हैं?

मान्यवर, यह जो आग लग रही है क्या वह उन जंगलों में लग रही है जिन जंगलों में पुनर्रोपण किया गया है या फिर जो प्राकृतिक जंगल हैं उनमें लग रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पिछले पांच वर्षों में जो प्लांटेशन किया गया है उसकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि माननीय सदस्य द्वारा जो आरोप लगाया है कि प्लांटेशन करने में धांधली की गई है इसलिए उन जंगलों में आग लगा दी गई। जहां तक कर्मचारियों को सम्मानित करने की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले वर्ष से हमने यह परम्परा शुरू कर दी है। वन्य जीवों और वनों की रक्षा करने में जो भी कर्मचारी रुचि दिखा रहे हैं उनको प्रत्येक वर्ष हमारे यहां जो उत्सव होता है उसमें सम्मानित किया जाता है। मेरे द्वारा वन पंचायत की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया था। सम्पूर्ण वन क्षेत्र के प्रबन्ध को हम वन पंचायत के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। चूंकि वन पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करती है। उनका गठन हो जाने दीजिए। यह वन पंचायत किसी भी रूप में काम करना चाहे, करें, यदि वे वन सेना के रूप में काम करना चाहती है तो उसी रूप में करें। जहां तक जंगलों में अग्नि नियंत्रण की बात कही गई है। अग्नि नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तो इस सम्बन्ध में कोई नोटिस भी नहीं है। माननीय श्री प्रकाश पंत, श्री सहजाद तथा काजी निजामुद्दीन को एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत दिए गये प्रस्ताव को आपने नियम 56 के अन्तर्गत सुनने की सदाशयता दिखाई उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, जनपद हरिद्वार में कल शाम एक घटना घटी। उस घटना का प्रभाव जनपद हरिद्वार में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण उत्तरांचल में पड़ा। श्रीमन्, यह अत्यंत ज्वलंत विषय उभर करके आया कि आज इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं हो सकता। मान्यवर, जहां सरकार यह दावा करती है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हैं वहीं एक ऐसे स्थान पर जो कि सघन आबादी का क्षेत्र है उसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उसके घर पर हत्या कर दी जाती है। न केवल उस व्यक्ति की हत्या की गई बल्कि उसकी पत्नी की भी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी कल शाम सात बजे हुई। पड़ोस में रहने वाला संदीप राठी ने बताया कि जब वह शादी का कार्ड देने श्री अग्रवाल के यहां गया और उन्होंने कॉल बैल बजाई किन्तु अंदर से कोई प्रतिउत्तर नहीं आया तो वह श्री अग्रवाल के घर के अंदर गये अंदर जाकर उन्होंने बड़ा ही ह्रदय विदारक दृश्य देखा। श्री श्यामलाल अग्रवाल जिनकी उम्र 58 वर्ष थी वे ड्राइंग रूम से सटे हुए कमरे में मृत पाये गये जब कि उनकी पत्नी सत्या अग्रवाल रसोई के दरवाजे के पास मृत पाई गई।

मान्यवर, जब घटना की जानकारी जनता को हुई तो जनता में आक्रोश की भावना पैदा हो गयी। घटना जिस क्षेत्र में घटित हुई वह क्षेत्र सुरक्षा व्यवस्था से घिरा हुआ है। यहां पर बी0एच0ई0एल0 की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसका मुख्यालय घटना स्थल से एक फलांग दूरी पर है, रोशनाबाद मुख्यालय और एस0एस0पी0 का आवास भी इसके निकट है, गढ़वाल मण्डल पुलिस महानिरीक्षक का आवास और बी0एच0ई0एल0 की सीमा जो 40वीं वाहनी पी0ए0सी0 का मुख्यालय इस सीमा से घिरा हुआ है तथा बहादराबाद पुलिस चौकी भी घटना स्थल के समीप है।

मान्यवर, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यह दोहरा काण्ड हुआ। अभी तक घटना की स्पष्ट जानकारी नहीं हुई कि घटना किस समय घटित हुई। मान्यवर, लाश से बदबू आ रही थी इस सम्बन्ध में अभी सरकार का जवाब आयेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है तथा अनुमान लगाया जायेगा। घटना 24 घंटे व 72 घंटे पहले हुई। यह घटना योजनागत तरीके से हुई। आज जब व्यक्ति इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद महफूज नहीं है तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा। आज हर जनपदों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तथा इनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।

मान्यवर, इन घटनाओं पर कैसे नियंत्रण करें इस पर आज चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं इस चर्चा में सत्तापक्ष के माननीय विधायक भी भाग लें। मान्यवर, इसलिए मैं अपनी इस नोटिस को नियम 56 की कार्यस्थगन की सूचना पर बल देते हुए आग्रह

करता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा की जाय।

श्री सहजाद–

मान्यवर, बी0एच0ई0एल0, रानीपुर, हरिद्वार देश के 09 रत्नों में से एक है। शिवालिक नगर, चार फेजों में बसाया गया है। श्री श्यामलाल अग्रवाल बी0एच0ई0एल0 के ब्लाक–3 में नौकरी करते थे तथा फेस एक में रहते थे। जो बी0एच0ई0एल0 में उप महाप्रबन्धक प्लानिंग के पद पर कार्यरत थे। यह घटना एक सुनियोजित तरीके से की गयी है, इसमें श्री श्यामलाल अग्रवाल तथा उनकी पत्नी श्रीमती सत्या की हत्या पानी की बाल्टी में मुंह डुबा–डुबाकर की गयी।

मान्यवर, हरिद्वार में वह एक पॉश कॉलोनी है, उससे अच्छी कॉलोनी किसी भी शहर में नहीं है। मान्यवर, वहां आम बदमाश भी नहीं आ सकते और फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई। मान्यवर, इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मान्यवर, जिस तरीके से हरिद्वार जनपद में हत्या, लूट, राहजनी, सट्टा आदि की घटनायें हो रही हैं उससे लगता है कि हरिद्वार जनपद में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है।

मान्यवर, 2 दिन पहले 9 वर्ष की लड़की का अपहरण कर लिया गया। मान्यवर, अगर ग्राफ देखें तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा घटनायें हरिद्वार में हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद में चर्चा यह भी है कि थाने और चौकियाँ बिक रही हैं। मान्यवर, हरिद्वार जनपद में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए, ताकि सही स्थिति सामने आ सके।

***काजी निजामुद्दीन–**

माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन पहले अखबार में हत्या, लूट, डकैती आदि की घटना छपती है और दूसरे दिन चर्चा होती है, फिर वह खबर छपती है, तो इससे राज्य की हालत की स्थिति खराब होती है। मान्यवर, हम उत्तरांचल को औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं, हमारी औद्योगिक नीति ने अभी जन्म भी नहीं लिया और वह जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ रही है। मान्यवर, हम टूरिस्टों और इंडस्ट्रियलिस्टों को एट्रैक्ट करना चाहते हैं और वे वहां जाना चाहते हैं जहां कानून व्यवस्था ठीक है। उत्तरांचल में हरिद्वार जनपद एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है और प्रमुख तीर्थाटन स्थल भी है। हरिद्वार को उत्तरांचल में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। मान्यवर, हरिद्वार में जब ऐसी स्थिति होती है तो पूरी दुनिया में देश बदनाम होता है। मान्यवर, भाई सहजाद जी ने कहा कि हरिद्वार जनपद में थाने और चौकियाँ बिक रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि थाने और चौकियां हरिद्वार के जिले मुख्यालय से न बिककर यह देहरादून के मुख्यालय से बिक रही हैं। मान्यवर, यह बड़े खेद का विषय है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगे। मान्यवर, कानून व्यवस्था की यही स्थिति रही तो ये सारी घटनायें होती रहेंगी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाए। मान्यवर, मैं गलत कह सकता हूं, भाई सहजाद गलत कह सकते हैं, चौधरी यशवीर जी गलत कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग गलत नहीं कह सकते है। मान्यवर, इस बात की सभी लोगों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीच खुसफुसाहट रहती है। भाई सहजाद ने यह बात पहले कही मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं उसकी पुष्टि करता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इण्डस्ट्रियल और टूरिज्म की पालिसी बेहतर बनाना चाहते हैं तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति सही करिए। मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति कन्ट्रोल करने के लिए जो फोर्स लगायी गयी है वह 4-4 फीट के जवान हैं, वहां तो माननीय चैम्पियन तथा चौधरी यशवीर जैसी कद-काठी के जवान होने चाहिए। मान्यवर, स्थिति यह है कि पुलिस वाले रिक्शे वाले से डांट खा रहे हैं, यह स्थिति वहां प्रेक्टिकल स्थिति है। मान्यवर, आप वहां आइये और भीड़-भाड़ के इलाके में घूमिए तो यह स्थिति आपको देखने में आएगी।

मान्यवर, सट्टा भी जगह-जगह चल रहा है और जब सट्टा होगा तो लोगों के पास कारोबार नहीं होगा और जब कारोबार नहीं होगा तो छोटी-मोटी चोरी चकारी करते-करते व्यक्ति क्रिमनल बन जाता है। मान्यवर, रजिया बेग एडवोकेट के यहां दिन-दहाड़े चोरी हुयी, लेकिन पुलिस वालों ने फिंगर प्रिन्ट्स तक लेने की जरूरत नहीं समझी, उनसे पूछने पर यह पता चला कि एक सब-इंसपेक्टर आए थे और फिर दोबारा कोई नहीं आया। कोई पूछने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर, चर्चा करायी जाए।

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, शिवालिक नगर की जिस घटना का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है, इस घटना की सूचना 16 जून को सांयकाल प्राप्त हुयी है और इसमें 98/3 धारा 203 के अन्तर्गत अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला पंजीकृत किया गया है। मान्यवर, घटना निश्चित रूप से गम्भीर है, इसकी संवेदनशीलता को हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए यह भी हम स्वीकार करते हैं। मान्यवर, पंत जी का भी यही कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है, मान्यवर, आज शाम तक प्राप्त होने की सम्भावना है। मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार और अन्य अधिकारियों ने वहां पर जाकर देखा है और उससे यही प्रतीत होता है कि वहां कुछ लोगों के आकर बैठने का आभास होता है, किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर वहां प्रवेश करने का पता नहीं चलता है। मान्यवर, वहां पर एक कागज भी प्राप्त हुआ है, उनकी लड़की जो कि एम्स में डॉक्टर है, का भी फोन नं0 मिला है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने उसका फोन नं0 लेने के लिए प्रवेश किया हो।

मान्यवर, ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था जब कोई परिचित आकर या परिचित के रूप में आकर इस काण्ड को कर जाता है जिसकी सूचना पड़ोसी को नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में ऐसी घटना को रोकना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है। मान्यवर, घटना की गंभीरता को हम स्वीकार करते हैं और मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम इसकी पूरी व त्वरित गति से जांच करेंगे। वहां पर आल्मारी खुली मिली, जेवरात मिले। जिससे लगता है कि इसमें उन्हीं के किसी परिचित का हाथ है। इसलिए इसे कार्य स्थगन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह कोई गंभीर प्रश्न या प्रकरण नहीं है।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि थाने खरीदे जा रहे हैं तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हरिद्वार जनपद के थाने खरीद कौन रहा है। अगर इस संबंध में

आपको कोई भी जानकारी हो जो भी तथ्य आपके पास हो, वह उपलब्ध करा दें। मान्यवर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसा है तो चाहे कितने बड़े से बड़ा अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी उसको बख्शा नहीं जायेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जैसाकि हमने कहा जांच के लिए हमें समय प्रदान करें। अभी यह प्राथमिक स्टेज है। कई कठिनाइयां है बहुत सी चीजें जो सुरक्षा के लिए जरूरी है वह हमारे राज्य में उपलब्ध नहीं है जैसे डॉग स्क्वायड वह हमारे राज्य को उपलब्ध नहीं है जिसको गठित किया जा रहा है। लैब भी अभी नहीं है और बहुत से सुरक्षा संसाधन जो सुरक्षा के लिए जरूरी है उपलब्ध नहीं है। घटना तात्कालिक है। इसलिए इसको कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार न किया जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि यह गंभीर विषय है तो मान्यवर, यह केवल हरिद्वार जनपद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरांचल की कानून व्यवस्था का प्रश्न है। जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी की तरफ से आया है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आयी। मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं हो पायी कि कब निधन हुआ। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और उत्तरांचल की कानून व्यवस्था के संबंध में है, इसलिए इसमें एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री प्रकाश पंत, श्री शहजाद तथा काजी निजामुद्दीन एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 58 में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत, श्री शहजाद एवं काजी निजामुद्दीन ने जिस घटना की चर्चा की वह हमारे क्षेत्र से संबंधित है। मान्यवर, यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है शहर के बीचोंबीच में जहां एक तरफ पी0ए0सी0 दूसरी तरफ थाना है और बीच में चौकी है उसके बीच में इस प्रकार की घटना होना बहुत ही गंभीर है।

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था की दूसरी स्थिति के बारे में मेरी सूचना है। रुड़की पुरानी तहसील के मकान नं0 227 में श्री सुरेन्द्र कुमार नाम के व्यक्ति रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी 6 जनवरी को सुरेन्द्र कुमार की 13 वर्ष की लड़की जो नाबालिग थी, वह अपने घर से सामान लेने जाती है और उसकी लड़की का चार लड़के अपहरण कर लेते हैं। उन चारों के नाम तुरन्त थाने में बता दिये जाते हैं। थानाध्यक्ष से कहा जाता है कि ये चारों लड़के मेरे लड़की को उठाकर ले गये हैं, लेकिन चूंकि उन चारों लड़कों में एक लड़का किसी पुलिस वाले का रिश्तेदार था इसलिए उसको बचाने की कोशिश की जाती है और जब पुलिस पर पूरा दबाव डाला जाता है, मुहल्लों के लोग आकर थाने में बैठ जाते हैं तब अगले दिन 7 जनवरी को उसकी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट

दर्ज कर ली जाती है। माननीय अध्यक्ष जी उस मां पर क्या गुजरेगी जिसकी 13 वर्ष की लड़की का अपहरण कर लिया जाये, उस बाप पर क्या गुजरेगी जिसकी 13 वर्ष की लड़की का अपहरण कर लिया जाये और पुलिस उसका पता न लगा पाये। तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मान्यवर, वही हुआ उसका बाप बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और उसकी मां पागल हो गई। घर के लोग पता करते रहे कि इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हो रही है?

मान्यवर, साढ़े तीन-चार महीने गुजरने के बाद 17.4.2003 को एस0एस0पी0 हरिद्वार से मिलने एक प्रतिनिधि मण्डल गया जिसमें मैं और मेरे क्षेत्र के अन्य विधायकगण थे। एस0एस0पी0 को इस घटना की पूरी जानकारी दी गयी और बताया गया कि अपहरण करने वालों में एक किसी पुलिस वाले का रिश्तेदार भी है। एस0एस0पी0 के आदेश पर यह मामला अपहरण में दर्ज किया जाता है। चूंकि अपहरणकर्ताओं में एक पुलिस वाले का रिश्तेदार भी है इसलिए किस प्रकार उसे बचाया जाये इसकी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। मान्यवर, इसमें दो अभियुक्तों को, जिस प्रकार से दामाद को बैठाया जाता है, उस प्रकार से उन्हें थाने में बैठाया गया, किसी भी प्रकार की उनसे पूछताछ नहीं की गई और उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उसकी जमानत हो जाती है।

मान्यवर, तीसरे लड़के ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया वह कोर्ट में आत्मसमर्पण करता है और उसकी भी जमानत हो जाती है। जो चौथा लड़का था वह अभी भी वहीं पर घूम रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है क्योंकि वह एक पुलिस वाले का रिश्तेदार है। माननीय अध्यक्ष जी उस लड़की की मां पागल हो गई है और ये चारों लड़के उसके घर पर आकर उसे धमकाते हैं कि यदि तुमने इस मामले में पैरवी की तो जिस प्रकार तुम्हारी छोटी लड़की का अपहरण कर लिया गया है उसी प्रकार बड़ी लड़की का भी अपहरण कर लिया जायेगा। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है। यह कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 3-4 विधायक इस मामले की जांच की मांग करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। यह सोचनीय विषय है कि अपहरण जैसे संगीन मामले में भी अभियुक्त 8-10 दिन में छूट जाते हैं।

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि उस राधा नाम की लड़की को वे चारों लोग सहारनपुर ले गये और वहीं पर किसी बम्बई के आदमी को 2 लाख रुपये में बेच दिया। जब इस प्रकरण पर हमने इस बात को एस0एस0पी0 के संज्ञान में लाया गया तो तब उन्होंने थाने को निर्देशित किया और थाने वालों ने उसके माँ-बाप को थाने बुलाकर यही कहा कि तुमने अपनी लड़की को खुद बेचा है। मान्यवर, यह बड़ा संवेदनशील विषय है मेरे क्षेत्र में यह घटना हुई है, यह प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इस तात्कालिक, अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्य को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस घटना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया जो कि जनवरी में हुई थी और जिस पर निश्चित रूप से कार्यवाही में विलम्ब हुआ है। जहां तक एक अभियुक्त सुधीर का किसी पुलिस अधिकारी से संबंध या रिश्तेदार होने की बात है तो यह हमारे संज्ञान

में नहीं है अगर माननीय सदस्य को जानकारी हो तो वह हमें अवगत करा दें। हमने इस प्रकरण को गंभीर रूप से देखा है। कोई भी घटना जब दर्ज होती है तो उसकी जांच में किसी भी पुलिस कर्मी को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस संबंध में हमने निर्णय लिया है कि इस प्रकरण की 4 दृष्टि से पूरी जांच कराई जायेगी कि जो एफ0आई0आर0 7 जनवरी को दर्ज हुई थी उसकी तहरीर देखी जायेगी जैसा कि मा0 सदस्य ने बताया कि उनके हस्तक्षेप के बाद ही इस पर मामला दर्ज किया गया तो यह देखा जायेगा कि जो तहरीर में लिखा गया था उस पर जांच क्यों नहीं हुई और यह भी जांच की जायेगी कि जब नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट थी तो उनकी गिरफ्तारी में विलम्ब क्यों हुआ? एक आदमी जो गिरफ्तार नहीं हुआ है वह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ और यह भी जांच की जायेगी कि इसमें से कौन आदमी पुलिस अधिकारी का रिश्तेदार है?

यह जांच गृह सचिव के स्तर पर कराई जायेगी। यह जांच 20 दिन के अन्दर गृह सचिव इसकी आख्या सरकार को देंगे। फिर इस सूचना से मा0 सदस्य को भी अवगत करा दिया जायेगा। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इसे कार्य स्थगन के रूप में न लायें मेरे स्पष्ट आश्वासन को देखते हुए उन्हें यह प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए एवं जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाये जायेंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोर कार्यवाई की जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उस लड़की की मां विक्षिप्त हो गई है और उसका बाप बीमार है। अभी 3 महीना पहले उसका इलाज दिल्ली में कराया गया है और उसके लिए मुहल्ले वालों ने चन्दा इकट्ठा किया था और उनके घर पर ये लोग आकर के कहते हैं कि यदि तुमने इस केस में और कुछ किया तो हम तुम्हारी बड़ी लड़की का भी अपहरण कर लेंगे। तो मैं चाहता हू कि माननीय मंत्री जी उनकी सुरक्षा के संबंध में तथा चिकित्सा के संबंध में राहत देने के लिए कुछ घोषणा सदन में कर दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहां तक सुरक्षा की बात है तो सायंकाल 5 बजे तक उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी जायेगी। अगर किसी तरह की चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी तो चिकित्सा व्यय भी हम देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा की दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज खोला जाना अति आवश्यक है। अल्मोड़ा शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों से बालिकायें जनपद मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आती हैं। राजकीय बालिका विद्यालय एक ही होने से छात्राओं को प्रवेश नही मिल पाता है। निर्धन छात्राएं पब्लिक स्कूलों मे प्रवेश नहीं ले पाती हैं। वही राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज

में छात्राओं की संख्या अधिक होने से तमाम छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाती हैं।

मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय की आबादी 25 हजार से अधिक है। यहां पर 45 किलोमीटर से पहले कोई अन्य राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज नहीं है। अल्मोड़ा के बाद रानीखेत, चौखुटिया और द्वाराहाट में जो राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज हैं, वह इतनी अधिक दूरी पर हैं कि छात्राएं वहां पर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं। मान्यवर, 10 वर्ष पूर्व अल्मोड़ा में एक जूनियर हाईस्कूल को उच्चीकृत करके हाईस्कूल बनाया गया था और उसका नाम विक्टर मोहन जोशी हाईस्कूल रखा गया था। मेरा सुझाव है कि इस हाईस्कूल को उच्चीकृत करके बालिका इण्टर कॉलेज खोला जा सकता है। यहां पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विक्टर मोहन जोशी हाईस्कूल अभी तक भवन विहीन है। मान्यवर, अल्मोड़ा के आस-पास के 4-5 विकास खण्डों में एक भी इण्टर कॉलेज न होने के कारण छात्राएं हाईस्कूल से आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। अल्मोड़ा में विभिन्न श्रेणी के लोग निवास करते हैं तथा सभी लोग इतने सम्पन्न नहीं हैं कि अपनी बालिकाओं को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिला सकें। मान्यवर, उक्त समस्या तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व की है, अतः सदन की कार्यवाही रोक कर उक्त विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ताकि इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान सदन के माध्यम से किया जा सके।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद अल्मोड़ा में छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त बालिका इण्टर कॉलेज खोलने की जो मांग उठ रही है, वह सही नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक इसके लिए अधिकृत हैं कि जहां पर छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक है, वहां पर सम्बन्धित विषय के अतिरिक्त सैक्शन खोले जाएं और अनेक विद्यालयों में इस प्रकार अनुभाग खोले भी गए हैं। जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त सैक्शन खोलने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वहां पर दो पालियों में कक्षाएं चलाने की व्यवस्था की जा रही है।

मान्यवर, जहां छात्रों और छात्राओं की संख्या अधिक हो जाती है वहां पर दो पाली में विद्यालय चलाने का निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक को देखकर कार्यवाही कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री कैलाश शर्मा-

माननीय मंत्री जी ने कहा हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक इसके लिए सक्षम हैं। हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमने जो यह बात कही और माननीय मंत्री जी ने कहा हम दो पाली में संचालित कर सकते हैं। अल्मोड़ा में यह स्थिति है कि राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में ढाई हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस विद्यालय में ढाई हजार छात्रायें पढ़ रही हैं, वह अलग से खुले। मान्यवर, आप इसमें स्टाफ की व्यवस्था अलग से करें या अलग से सैक्शन खोले जायें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय कैलाश शर्मा जी ने जो बात कही मैं उनकी बात पर विश्वास कर रहा हूं। हमने यह स्वीकार किया कि अगर छात्र संख्या अधिक है तो उसके दो हल हैं एक तो यह जिला विद्यालय निरीक्षक अतिरिक्त विषय वर्ग और उसका अनुभाग खोले और इससे भी काम नहीं चलता तो हमने कहा कि एक विद्यालय में दो पाली भी हम चला सकते हैं। जैसे जी0आई0सी0 लाल कुआ में भी हमारी दो पाली चल रही हैं। अगर वहां पर दो पाली चलाने की आवश्यकता है तो हम इसका परीक्षण कर लेंगे। हम इसे भी दो पाली में चला सकते हैं।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, वहां पर अलग से भवन और स्टाफ की व्यवस्था कर दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पद सृजन की बात होगी तो अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, आप सीधे–सीधे इसके लिए व्यवस्था करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैंने नियम 311 हेतु सूचना उठायी थी उसे आप नियम 56 में सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

श्री बलबीर सिंह जी मैंने आपकी सूचना को नियम–56 में भी नहीं लिया है। कृपया आप बैठ जायें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, आपने नियम–56 के अन्तर्गत मेरी सूचना पर मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। मान्यवर, सरोवर नगरी नैनीताल आजकल सैलानियों से भरी पड़ी है। नैनीताल पर्यटन के रूप में विख्यात है। यह समय वहां पर पर्यटन व्यवसाय की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है परन्तु प्रशासन ने अचानक वर्षों से नैनीताल में निवास कर रहे लोगों से मकान खाली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। वर्षों से वहा रह रहे लोगों को 24 घण्टे के अंदर मकान छोड़ने की चेतावनी दी और मकान तोड़ने की नोटिस दी है जिससे लोगों में अत्यन्त आक्रोश है, भय है और वहां धरना प्रदर्शन जुलूस निकालकर लोगों ने आंदोलनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर अपना विरोध प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पूर्व 24 घंटे के अन्दर मकान खाली कराने की बात कही गई और इसमें एक बालिका गम्भीर रूप से घायल हो गई उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।

मान्यवर, यह जो लोग हैं, वे निर्बल वर्ग के लोग हैं। इनमें से ज्यादातर अनुसूचित जाति के हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। जब से विकास प्राधिकरण वहां पर आया जिसका पदेन अध्यक्ष या तो कमिश्नर होता है या जिलाधिकारी। वर्तमान

में जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। उनके नोटिस में यह सारी बातें हैं। नैनीताल बहुत बड़ी जगह नहीं है। जब लोगों ने इस बात को शासन–प्रशासन में पहुंचाया तो उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। मान्यवर, पिछली दफे जब माननीय उच्च न्यायालय में बोट क्लब को खतरा मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय में पी0आई0एल0 चल रही थी तो अभिजात्य वर्ग के लोगों के क्लब के लिए इस मामले में राहत दी गई। सरकार इस प्रकरण को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में ले गई। मान्यवर, इससे गरीब लोगों को यह आभास हुआ कि जितने भी नियम कानून हैं वह सभी गरीबों के लिए हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यदि लोगों के साथ सख्ती बरती जाए तो समाधान भी उसका किया जाए। अगर उच्च न्यायालय ने कोई निर्देश दिया है तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ जाए और लोगों के हितों की रक्षा करें। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी अशासकीय अधिवक्ताओं की लम्बी फौज है। मैंने जिला प्रशासन से इस बात को कहा कि इन शासकीय अधिवक्ताओं के माध्यम से जनता का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में आना चाहिए।

मान्यवर, लम्बे अर्से से नैनीताल का गरिमामय इतिहास रहा है। शासन–प्रशासन ने जिस तरह का गैरजिम्मेदाराना रवैया अपना रखा है उससे लोगों में निराशा है। वे आंदोलन को मजबूर हैं। वे लोग मुझसे भी मिले और अन्य लोगों से भी मिले। यह आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, व्यवसाइयों से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय तात्कालिक एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जिस प्रकरण की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10 जून को आदेश दिये गये थे। जो प्रभावित लोग हैं वे स्वयं 16 जून को इस आदेश के खिलाफ गये जिसके लिए 18 जून की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। मान्यवर, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर सदन चर्चा करें यह हमारे नियमों में नहीं है। माननीय सदस्य का यह सुझाव सही है कि जब उच्च न्यायालय अपना निर्णय दे देगा तब जो भी आवश्यकता होगी जनहित के लिए वह किया जायेगा।

मान्यवर, कल मुझे एन0आर0सी0ए0 की बैठक में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में तीन घण्टे उपस्थित रहे। वे विभिन्न राज्यों के मंत्रियों की बातों को सुनते रहे। इसमें नदियों को प्रदूषण मुक्त करने से जुड़ी बातें हुई। इसमें मेरे द्वारा झीलों की बात भी उठाई गई। हमें अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा। 95 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है। आपके जनपद की झीलों के रख–रखाव का कार्य भी इसमें शुरू होगा। जब कार्य शुरू होगा तो कुछ असुविधायें भी होंगी। उन्हें दूसरी जगह–जगह पर विस्थापित किया जायेगा। फिलहाल मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए इस पर मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। सुनवाई की तारीख भी कल ही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री जंतवाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

अब हम अपराह्न तीन बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी 311 की सूचना थी। कृपया मुझे नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं, परन्तु भविष्य में इस तरह की परम्परा नहीं पड़नी चाहिए।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत इस सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। दिनांक 16–06–2003 को दिन के करीब 12.00 बजे विधान सभा के समक्ष राज्य के लाखों बेरोजगारों के लिए दीर्घकालीन रोजगार नीति बनाये जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस एवं उत्तराखण्ड बेरोजगार सेना के नौजवानों पर पुलिस द्वारा अकारण बर्बर लाठीचार्ज किया गया जिसमें आधा दर्जन से अधिक नौजवान घायल हुए। यह सरासर लोकतन्त्र की हत्या है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के कार्य को स्थगित कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, यह लोकतंत्र की व्यवस्था है और संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों में समाहित है कि भारत के गणराज्य के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी न्यायोचित मांग के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उसके निराकरण के लिए सरकार से मांग कर सकता है। सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जब बेरोजगार नौजवान प्रदेश के अन्दर विधान सभा भवन के सामने दीर्घकालीन रोजगार नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे निहत्थे नौजवानों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठियों का प्रहार किया गया है और बहुत से युवक घायल हुए। क्या लोकतंत्र में रोजगार की मांग करने वालों पर लाठियों के प्रकार से जन भावनाओं को कुचला जा सकता है? जन आंदोलन एक लहर के समान होता है जब इसमें बाढ़ आती है तो उसमें बड़े से बड़े तख्तोताज उलट जाते हैं।

मान्यवर, इस आंदोलन में श्री विशाल डोभाल, सुधाकर शर्मा, यामीन खां, लक्ष्मीचन्द, मदन लाल, प्रेमलता भरतरी आदि घायल हुए हैं। मान्यवर, मैं इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

मान्यवर, प्रदेश की सरकार निर्लज होकर उसका तमाशा देख रही है। मान्यवर, वे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर पुलिस की ताकत से, लाठी की ताकत से बेरोजगारों के सिर कुचलने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, यह लोक महत्व का विषय है, अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री ("श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मुझे इस संबंध में सूचना नहीं थी, पर अब माननीय सदस्य ने सूचना दे दी है, अतः मैं मजिस्ट्रेट जांच करवाने के आदेश दूंगी।

(सदन की विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक श्री बलवीर सिंह नेगी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री सहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो वर्ष 2003–2004 का बजट सरकार ने पेश किया है मैं उसके विरोध में बोल रहा हूं। मान्यवर, इस बजट में अल्पसंख्यक के विकास के लिए 2 करोड़ 19 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। मान्यवर, इतने बड़े समाज में 2 करोड़ 19 लाख रुपये से भला नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि इस समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, सामाजिक जीवन कैसे ठीक हो, रोजगार कैसे मिले इस तरफ ध्यान दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मान्यवर, इस बजट में है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम से समाज का भला किया जायेगा। मान्यवर, पहले 20 सूत्रीय कार्यक्रम था जब उससे भला नहीं हुआ तो इससे भला होने की सम्भावना भी नहीं हो सकती। मान्यवर, किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, न ही किसान का काम, बिना मजदूर के हो सकता है और न मजदूर का काम बिना किसान के हो सकता है। मान्यवर, 190 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना मूल्य बकाया और मजदूरों के लिए बताया, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना दे पायेगी। मान्यवर, किसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो मजदूरों को मजदूरी कहां से देगा। मान्यवर, मजदूर सुबह ही अपने घर से खाना लेकर काम के लिए जाता है और उसे काम न मिलने पर शाम को बिना मजदूरी के लौट जाता है।

मान्यवर, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती जा रही है, सरकार ने 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही, पर अभी तक 2 हजार लोगों को भी रोजगार नहीं दिया गया, जो अब चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, अल्पसंख्यक समाज के लिए उत्तर प्रदेश में वित्त विकास निगम हुआ करता था, जिसके माध्यम से कुछ लोग, बेरोजगार, पढ़े–लिखे युवक लोन लेकर अपने छोटे–छोटे रोजगार चलाते थे, आज तक यहां उसके भी गठन की कोई बात नही कही गयी है। मान्यवर, इतने बड़े समाज को रोजगार कहां से मिलेगा, सहायता कहां से मिलेगी इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मान्यवर, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की एक बात उठाना चाहता हूं, बी0एच0ई0एल0 में करीब 32,000 वोटर हैं, 40–50 हजार की जनसंख्या है। मान्यवर, लोगों को 30–40 वर्ष नौकरी करते हुए हो गए और अब भी उनको मूल निवास प्रमाण–पत्र नहीं मिलता है और वहां का प्रशासन नौकरों को पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र भी नहीं दे रहा है। मान्यवर, बी0एच0ई0एल0 से जो बेरोजगार अप्रेन्टिस करना

चाहते थे उनसे भी मूल निवास प्रमाण–पत्र मांगा जाने लगा, जब कि उनसे मूल निवास प्रमाण–पत्र नहीं मांगा जाना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष जी उद्योग मंत्री भी यहां बैठे हैं मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे ध्यान देंगे। हरिद्वार जनपद का किसान बहुत ही विषम परिस्थिति में जी रहा है, वहां रोज सर्वे होते हैं कभी किसी क्षेत्र को उद्योग के लिए जमीन एक्वायर की बात होती है, कभी किसी क्षेत्र की। मान्यवर, एक क्षेत्र खदर है जो कि डूब क्षेत्र है। मान्यवर, एक जमीन शिवालिक पर्वत से लगी हुयी है, उस जमीन में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की भी नहीं है। यदि सरकार वहां उद्योग लगाए तो वहां विकास भी होगा और हरिद्वार का किसान जो अच्छी जमीन नहीं देना चाहता, तो वह भी समस्या हल हो जायेगी। मान्यवर, यह बहुत ही बड़ी जमीन है जो उद्योग के लिए उपयुक्त है। उस पूरे क्षेत्र में रोजगार का कोई साधन नहीं है। मान्यवर, इससे किसानों की अच्छी जमीन बचेगी। जमीन बरसात पर निर्भर करती है और बरसात कुदरत पर निर्भर करती है। उस क्षेत्र का पूरा जीवन वन पर निर्भर करता है, लोग छोटी–छोटी लकड़ी काटते हैं और उससे ही अपना जीवन चलाते हैं ।

(सदन में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान)

लेकिन उस क्षेत्र में यदि सरकार उद्योग लगाएगी तो माननीय अध्यक्ष जी उस क्षेत्र की जो बेरोजगार जनता है, उनको मजदूरी करने में कोई समस्या नहीं होगी और बाहर के लोगों को भी नहीं लाना पड़ेगा और उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी क्षेत्र में पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है, हैण्डपम्प 300 फीट पर लगता है और टंकियों की स्थिति तो बहुत खराब है। माननीय पेयजल मंत्री जी बैठे हैं वे कहते हैं कि इन्द्र देवता पर निर्भर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार की जनता को बिना संघर्ष और बिना मांगे उत्तरांचल प्रदेश मिला है।

मान्यवर, संघर्ष तो उत्तराखंड क्रांति दल एवं बी0जे0पी0 ने किया लेकिन हमको भी उसमें शामिल किया गया है। वहां बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। मान्यवर, कल यह कहा जा रहा था कि गांव में 8 घण्टे बिजली देने का नियम है और हम 14 घण्टे बिजली दे रहे हैं। मान्यवर, वहां पर बिजली आ ही नहीं रही है जब बिजली नहीं आयेगी तो उद्योग की बात कौन करेगा और हम उद्योग कैसे लगायेंगे। हरिद्वार की जनता को बिजली नहीं मिली तो वह आक्रोशित नहीं होगी, तो क्या होगी इससे वहां की स्थिति बहुत ही भयंकर हो जायेगी। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी काफी सदस्यों को बोलना है इसलिए कृपया संक्षेप में बोलें और मैं इसके लिए आपको 10 मिनट का समय देता हूं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस चुनी हुयी सरकार का यह दूसरा बजट माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा पेश किया गया। मान्यवर, इस बजट से जो उम्मीद और जो आशा लगायी जा रही थी कि पहले बजट में जो–जो कमियां रही और जो कमियां विपक्ष ने

बतायी उन कमियों को दूर करते हुए उत्तरांचल की जनता को एक अच्छा बजट मिलेगा लेकिन बजट को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि जिस प्रकार से इस बजट में प्रगति और उन्नति होनी चाहिए थी वह नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस बजट में फिर भी एक विशेषता रही है कि यह बजट श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा सदन में पढ़ा गया और उन्होंने प्रस्तुत किया यही विशेषता रही। मान्यवर, चूंकि यह सरकार सारा कार्य संविदा पर करवा रही है इसलिए लगता है कि यह बजट भी संविदा पर तैयार किया गया प्रतीत होता है। मान्यवर, भारत सरकार ने वार्षिक योजना के लिए 1533 करोड़ रु0 सहायता दी थी और इस वर्ष के लिए देने को तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी, सन् 2001–2002 में इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया और जो हमारी राजस्व प्राप्ति 2732 करोड़ रु0 है और उसके कर्ज के भुगतान पर हमें 1054 करोड़ रु0 2001 में देना पड़ा था। जो राजस्व का 32% बैठता है। 2002–2003 में जो राजस्व प्राप्ति 2943.7 करोड़ रु0 हुयी। इसमें 210 करोड़ रु0 अधिक प्राप्ति हुए लेकिन कर्ज में देना पड़ा 1884 करोड़ रु0। इस प्रकार 2001 में यह 1054 करोड़ रु0 था जोकि 2002–2003 में 1884 करोड़ रु0 हो गया जोकि लगभग 64% बैठता है। इस प्रकार राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई 200 करोड़ रु0 और कर्ज के रूप में बढ़ोत्तरी हुई 800 करोड़ रु0।

मान्यवर, वर्ष 2003–2004 में हमने जो राजस्व प्राप्त किया वह अनुमानित 4555 करोड़ रु0 है और उसमें ऋणों की अदायगी लगभग 2400 करोड़ रुपये होगी। 2001–2002 में जो कर्ज लिया गया वह 1101 करोड़ रुपये था वह 2002–2003 में 2181 करोड़ रु0 कर दिया गया। मान्यवर, राजस्व कितना ले रहे हैं और कर्ज कितना ले रहे हैं और 2003–2004 में वह बढ़कर 2660 करोड़ रुपये होने वाला है। मान्यवर, यह अनुमानित है। मान्यवर, हर साल जिस प्रकार कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसको देने के लिए राजस्व का 65 प्रतिशत हम इस समय भुगतान कर रहे हैं। यदि कर्ज इसी तरह बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब राजस्व का 70, 80, 85 प्रतिशत तक ब्याज या ऋणों के रूप में देना पड़ेगा। यह इस समय की स्थिति है।

मान्यवर, मैं 2–3 विभागों के बारे में बोलना चाहता हूं इसके लिए आप मुझे समय देने की कृपा करेंगे। यह मेरा निवेदन है मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा हमारे मानव संसाधन के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए मूल आधार है। यह प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, आज 225 विद्यालय ऐसे हैं जिनकी छात्र संख्या 10 से कम है, जिनको बन्द करने की बात हो रही है। लेकिन मान्यवर, ऐसे भी अनेक विद्यालय हैं जिनमें छात्र संख्या 250 है, लेकिन वहां एक ही अध्यापक है। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ नया किया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, वर्ष 2002–2003 में 522.41 करोड़ रुपये दिये गये थे प्राथमिक शिक्षा के लिए, लेकिन जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार इस वर्ष 523.52 करोड़ रुपये यानी पिछले साल से केवल 1 करोड़ रुपया ज्यादा दिया गया है। ऐसे में किस प्रकार आप नये विद्यालय खोलेंगे, किस प्रकार शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार आप मिड डे मील योजना चलाएंगे। आपका बजट तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन मंहगाई बढ़ गई।

मान्यवर, इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में कम्प्यूटर तो आपने उपलब्ध करा दिये लेकिन विद्यालयों में कमरे नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं तो क्या मान्यवर, कम्प्यूटर अपने आप

ही चलने लगेंगे और छात्रों को पढ़ाने लगेंगे। मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में पिछले वर्ष बजट में बताया गया था कि रोजगारपरक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है और इस बजट में बताया कि शामिल करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन 5 सालों में कब तक हम निर्णय ले लेंगे। मान्यवर, आज भी उच्च शिक्षा में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं जैसे हिन्दी विषय आज भी सेल्फ फाईनेंस स्कीम के अन्तर्गत चल रहा है।

मान्यवर, औद्योगिक शिक्षा नीति की ओर देखा जाये तो प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए 15 पॉलीटैक्निक कॉलेज थे। पिछले बजट में बताया गया था कि इनके लिए व्यवस्था की जा रही है और वही चीज इस बार के बजट में भी है कि व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पर नये विद्यालय खोले जायेंगे ऐसी कोई कार्ययोजना इस बजट में नहीं की गई है। श्रम नीति को देखा जाये तो श्रम मंत्री जी तो यहां पर नहीं हैं परन्तु पेयजल मंत्री जी हैं वे ही शायद इसका जवाब दे देंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, 5 लाख रुपये खर्च कर दिये गये पिछली बार बताया गया था कि 12 श्रमिकों को चिन्हीकृत किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं अपनी बात को दो—तीन मिनट में समाप्त कर लूगा। लेकिन इन चिन्हीकरण का कुछ नहीं हुआ और कहा गया कि समेकित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला रोजगार कार्यालयों को सुदृढ़ किया जायेगा। ये कार्यालय रोजगार देंगे या नाम लिखेंगे, इसका कुछ पता नहीं है। 2002—03 में इसके लिए 33 करोड़ रुपया था परन्तु इस बार कम करके 29 करोड़ रुपये किया गया है। इस प्रकार 4 करोड़ रुपये इस पर कम कर दिया गया है। मान्यवर, आयुर्वेद हमारी प्राचीन और प्रमुख धरोहर है माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में आ गये हैं, मैं आपके माध्यम से उनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस संबध में पिछली बार कहा गया था कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं लेकिन इस बजट में इस विश्वविद्यालय बनाने के लिए कोई योजना अभी भी इस बजट में नहीं आई है। विश्वविद्यालय हेतु 2002—2003 में 1 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था, लेकिन अब उसे छोड़ दिया गया है। औद्योगिक नीति के बारे में भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने नैनीताल गये थे, उनके आश्वासन के आधार पर आपने औद्योगिक नीति नहीं बनाई, जो भारत सरकार की गाइड लाइन है, जो उद्योगपति उत्तरांचल में उद्योग लगाने के लिए छटपटा रहे हैं, वे लोग हमारी नीतियों से निराश होकर हिमाचल या अन्य राज्यों में जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि काफी सदस्यों को और बोलना है, अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं काफी तैयारी करके आया हूं इतने कागज लाया हूं, आप इन पर तो दया कर दें। मान्यवर, कुम्भ मेले को देखा जाये 25 करोड़ रुपये पिछले बजट में दिये थे और इस पर 100 करोड़ रुपया दिया है। 22 लाख रुपया अन्य मदों में दिया है। अभी तक 26 करोड़

रुपया खर्च नहीं हुआ है तो पता नहीं 6 महीने में सरकार सवा सौ करोड़ कैसे खर्च करेगी और कहां करेगी।

माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं 4 करोड़ रुपये का जो टैण्डर होता है। उसमें 1-1 करोड़ के चार टैण्डर होते थे जो हमारे छोटे व्यापारी होते थे उनको मिल जाता था परन्तु इस बार प्रावधान किया गया है कि वह टैण्डर एक ही आदमी को दिया जायेगा। पहले सिक्योरिटी मात्र 30 हजार रुपया रखी जाती थी परन्तु इस बार कहा गया है कि टैण्डर की राशि का 25 प्रतिशत सिक्योरिटी में देना है और वह भी इन कम्पनियों को मिलेगा जिनका 3-4 साल का टर्न ओवर इतनी ही राशि का हो अर्थात् वह टैण्डर उसी को मिलेगा जिसका टर्न ओवर 4 करोड़ का होगा और वह 1 करोड़ रुपया सिक्योरिटी देगा।

मान्यवर, पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही टेण्ट वाला इस श्रेणी में आता है। मैं उसका नाम बता दूं, लाल जी एण्ड संस, इसके अतिरिक्त कोई इस श्रेणी में नहीं आता है। मान्यवर, हरिद्वार, उत्तरांचल राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हरिद्वार के सम्बन्ध में अभी भाई सहजाद जी ने कहा कि वहां के लोगों में उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने वहां के लोगों को अपना निर्णय लेने का मन बनवाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य बनने के बाद जब हरिद्वार में चुनाव हुए तो वहां की जनता ने उत्तरांचल राज्य में बने रहने के लिए जनादेश दिया। इन लोगों ने जनादेश इस कारण दिया कि वहां पर बिजली, रोजगार और शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिद्वार में वास्तव में शिक्षा, रोजगार तथा बिजली के क्षेत्र में जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमारे सम्मानित एवं अनुभवी मुख्यमंत्री जी का इस नवोदित प्रदेश में दूसरा बजट है। मैंने उनका बजट भाषण सुना भी था और उसे पढ़ा भी था। बजट में बहुत सी बातें उल्लेख करने योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक परिवेश का जो जिक्र बजट में किया गया है, वह अच्छी बात है लेकिन इस आर्थिक परिवेश में हम किस प्रकार अपने प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को समाहित कर सकते हैं, वह दूसरी बात है। आर्थिक परिवेश के चलते, अपने अनुभव के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय प्रबन्धन की जो बात कही, यहां के अधिकारियों की टीम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इससे अच्छा प्रबन्धन संभव ही नहीं था।

मान्यवर, सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की डैब्ट स्वैप की स्कीम पहले लागू नहीं थी, नौबत यह आती थी कि भारत सरकार राज्यों को जो भी ऋण देती थी, वह बाद में अनुदान में परिवर्तित कर देते थे। डैब्ट स्वैप स्कीम

के द्वारा भारत सरकार राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण रख सकती है केन्द्र सरकार से लिए गए ज्यादा ब्याज वाले ऋण को कम ब्याज दर में चुकाने की भारत सरकार की स्कीम का आपने यहां पर लाभ उठाया है। किन्तु राज्य सरकार ने अपने स्तर पर वित्तीय प्रबन्धन करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

मान्यवर, दूसरा हमने यह भी पढ़ा कि एक नयी परियोजना एक नया पैकेज जो भारत सरकार के साथ आपने एम0ओ0यू0 किया है। राजकोषीय प्रबन्धन एवं सुधार योजनाओं को लागू करने के लिए आपने भारत सरकार से समझौता किया है वह भी भारत सरकार की स्कीम है। मैं चाहूंगा कि वित्तीय परिवेश हमारा है जो कुछ हमको मिला है उत्तर प्रदेश से अलग होने के नाते जो भी हमारी लाइबिलीटीज हैं जो भी हमारा घाटा अभी चला आ रहा है। जिस तरह से पिछले दो ढाई सालों के मौके पर कार्य हुआ है, मैंने पिछली बार भी विधान सभा में कहा। उससे आभास होता है कि हमारे पास पैसा है, जो भी वित्तीय परिवेश, वित्तीय प्रबन्धन है, भारत सरकार की जो भी स्कीमें हैं उनका लाभ लेते हुए अपने स्तर पर अपने प्रदेश में किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ायें और लोगों की जो आकांक्षायें हैं उनको पूरा कर सकें।

मान्यवर, पारम्परिक तरीके से बजट बनाना एक बात है। हमारा नया राज्य है जो लोगों की आकांक्षायें थीं, लोगों के सपने थे उनको कितने हद तक अपनी प्रशासनिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं, यह देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने नया कर नहीं लगाया, यह अच्छे बजट का एक गुण है। नया कर नहीं लगाना ही, अच्छे बजट के लिए सब कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि नया कर नहीं लगाये, नया कर लगायें और राजस्व जुटायें, इन संसाधनों से जो कुछ भी आपको मिलता है, इन संसाधनों का उपयोग आप किस तरह से करते हैं उनको खर्च किस तरह से करते हैं, शिक्षा विभाग में खर्च करते हैं, पर्यटन में या रोजगार उपलब्ध कराने में उसका उपयोग करते हैं, यह देखने की बात है। मैंने पूरा बजट पढ़ा है पूरे वित्तीय प्रबन्धन की स्कीम में एक बात को देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपके अपने जेहन में जो बात है, आपके स्वभाव में जो बात है, आपकी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में भी और इस वित्तीय वर्ष में भी एक बात कही कि हम दो लाख रोजगार सृजित करेंगे। यह आपका मैनेजमेंट है, प्रतिबद्धता है। महामहिम राज्यपाल ने आपकी ओर से घोषणा की कि हमारी सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए वचनबद्ध है। मुझे कष्ट इस बात का हुआ कि इस बजट में प्राविधान किया गया है विभिन्न विभागों में बजट देकर। उसमें कुल मिलाकर हमारी बेरोजगारी को दूर करने में मुझे कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई दी। जो ग्रामीण रोजगार की स्कीमें भारत सरकार की ओर से चल रही हैं उसी को आपने मानव दिवस के रूप में सृजित करके इतिश्री कर दी है।

पर्यटन के विषय में एक आध योजनाएं लागू की गई हैं लेकिन वह भी व्यवहारिक तौर पर असफल हो चुकी हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि अच्छे वित्तीय प्रबन्धन द्वारा संसाधन जुटाने की कोशिश की गई है कोई नया कर नहीं लगाया गया है यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन बजट का उद्देश्य क्या है? इसमें यह कह दिया गया है कि हम इतना पैसा कृषि में खर्च करेंगे, इतना पैसा शिक्षा में खर्च करेंगे और इतना पैसा ऊर्जा में खर्चा करेंगे। इससे काम चलने वाला नहीं है। कुछ नया करने की आवश्यकता है। नये राज्य के सामने लाखों लाख शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की सबसे बड़ी

चुनौती है। वे सड़क पर खड़े हैं। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की चुनौती है। बजट में ऐसा प्रयास होना चाहिए था कि जो लाखों लाख बेरोजगार नवयुवक है उनको रोजगार मिले। उनका भला हों। यह मेरा आपसे आग्रह है। आपने जो राजस्व वसूली के आंकड़े व्यापार कर के माध्यम से, आबकारी के माध्यम से और परिवहन के माध्यम से दर्शाए हैं उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता फिर भी इतना अवश्य कहूगा कि यह आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं है। हमारा वित्तीय परिवेश बहुत उत्साहजनक नहीं है। राजस्व वसूली के स्रोतों को गतिशील बनाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली के स्रोतों को विकसित करके हम राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं।

मान्यवर, परिवहन के बारे में हमारे राज्य की बड़ी विचित्र स्थिति है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक परिवहन आय का जरिया हमारे राज्य का नहीं बन सका। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवहन निगम बनाने की बात पिछले एक डेढ़ साल से कही जा रही है। पहले की सरकार ने परिवहन निगम के अस्तित्व के बारे में क्या कार्यवाही की, उस पर मैं नहीं जाना चाहता? लेकिन जब से आपकी सरकार आई आपने इस बात को स्वीकार किया है कि परिवहन निगम का गठन शीघ्र से शीघ्र किया जायेगा। काफी दौड़ भाग भी की गई, पैसा भी खर्चा किया गया। लेकिन परिवहन निगम का साकार रूप अभी तक धरती पर नहीं उतरा है। इस सम्बन्ध में मुझे खास बात यह बताई गई कि उत्तर प्रदेश की निगाह अभी यहां के यात्रा सीजन पर टिकी हुई है। यात्रा सीजन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा जो आमदनी होगी उस पर उसकी नजर है। मान्यवर, परिवहन निगम जो आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है इस राज्य का, वह अस्तित्व में नहीं आ पाया। इस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। परिवहन और पर्यटन हमारे प्रदेश की दो विशेष स्थितियां हैं। इसमें हमारा एकाधिकार भी है। अगर लोग यहां पर आयेंगे तो परिवहन का इस्तेमाल तो करेंगे ही। इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन परिवहन निगम अभी उत्तर प्रदेश से ही संचालित हो रहा है जिससे राज्य को परिवहन से कोई आय नहीं प्राप्त हो रही है।

मान्यवर, मैं परिवहन के बारे में कहना चाहता हू। व्यापार कर, आबकारी अपनी जगह पर है। परिवहन में असीम संभावनाएं हैं यदि इसका प्रबन्धन ठीक ढंग से किया जाये तो इससे बहुत राजस्व प्राप्त हो सकता है। अवस्थापना गतिविधियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा के बारे में कहा है। पिछली सरकार ने ऊर्जा प्रदेश बनाये जाने की बात कही थी।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में 7290 मेगावाट परियोजनाओं का चालू होना दिखाया है। 10वीं परियोजना के अन्तर्गत 3000 मेगावाट बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य बताया गया है, यदि हम यह लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। अभी भी हमारी सरकार का ध्यान बड़ी-बड़ी योजनाओं पर ही केन्द्रित है। मैं यह नहीं कहता कि बड़ी योजनाएं नहीं लगनी चाहिए, लेकिन साथ ही माइक्रो योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा। मान्यवर, ये परियोजनाएं चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की, केन्द्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आगे-पीछे हम जल का उपयोग कर सकें। इसमें पूरी मोनोपोली उसकी नहीं होनी चाहिए जो योजना बना रहा है।

मान्यवर, इसका हश्र हमें विष्णु प्रयाग परियोजना पर देखने को मिला। जहां तक ऊर्जा प्रदेश की बात है तो इसकी झलक हमें बजट में देखने को नहीं मिली, यदि हम इसके लिए बजट में प्राविधान नहीं करेंगे तो यह कैसे संभव हो सकता है। इसके लिए बजट में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए थी। मान्यवर,' विद्युत की व्यवस्था बड़ी दयनीय है चाहे वह हरिद्वार, पिथौरागढ, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी आदि जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों न हो।

मान्यवर, विद्युतीकरण बहुत कम हुआ है, आपने कहा कि 84 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया, इस बात की घोषणा आपने बजट में कही, पर मैं कहना चाहता हूं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं। मान्यवर, एक गांव के 2-4 घरों में बिजली दे दी और घोषणा कर दी कि पूरे गांव को विद्युतीकरण कर दिया। मान्यवर, मैं जब उत्तर प्रदेश में विधायक था तो मैंने ऊर्जा मंत्री को दिखाया कि आपने मुनस्यारी में एक घर में विद्युतीकरण कर दिया और आपने कहा कि पूरे गांव का विद्युतीकरण हो गया, नीचे घारतोली में विद्युतीकरण नहीं हुआ और आपने पूरे ग्राम सभा को विद्युतीकरण दिखा दिया, तो हमने कहा कि आपके आंकड़े गलत हैं। मान्यवर, जहां विद्युतीकरण हुआ है वहां पर वोल्टेज की समस्या है, उसके 2 कारण हैं एक तो बिजली की सप्लाई नहीं है और दूसरा सही ढंग से ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं। मान्यवर, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। मान्यवर, नया विद्युतीकरण हो और पूरा वोल्टेज गांव को मिलना चाहिए और जहां पर विद्युतीकरण हो चुका है वहां पर जो लाइनों में खराबी है उसको युद्ध स्तर पर बदलने की जरूरत है।

मान्यवर, माननीय चीमा जी ने कुटीर ज्योति की बात उठाई और कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को एक-एक बल्ब दे दिया और 8-10 साल बाद सरकार ने बिल दे दिया। मान्यवर, अगर पहले पता होता कि पैसे देने पड़ेंगे तो लोग बिजली लगवाते नहीं और वह आज भी परेशान है। मान्यवर, आपने दोबारा कुटीर ज्योति की योजना शुरू कर दी, तो इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि कोई बिल देना पड़ेगा या नहीं और पिछली बार के जो भुगतान किये जाने शेष हैं उनको माफ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें कि हम विचार करेंगे। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि उन शेष भुगतानों को माफ कर दें।

माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल के बारे में बहुत सारी बातें हुई और कल हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि टिहरी के बांध से सारे पश्चिमी क्षेत्र को पानी मिलेगा, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए। लेकिन उस धरती के लोग प्यासे रह गये। मान्यवर, पहले हम कहते थे कि यहां का पानी और यहां की जवानी काम नहीं आई और प्रदेश बनने के बाद भी यही हो रहा है कि यहां का पानी और यहां की जवानी यहां के काम नहीं आ रही है।

मान्यवर, पेयजल की व्यवस्था के अन्तर्गत आप हैण्डपम्प लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, स्वजल धारा योजनाएं हैं, नाम बहुत हैं, लेकिन लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है या नहीं इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है आप जहां भाषण में जो भी जवाब दें, लेकिन व्यवहारिक पक्ष को जरूर ध्यान रखें, आपका ही नाम होगा। पेयजल संकट है इसे स्वीकारें नहीं तो काम तो कर दीजिए। हो सकता है कि माननीय पेयजल मंत्री जी कहें कि इन्द्र देवता की कृपा से बाहर बरसात हो रही है, ठीक है बरसात हो रही

है, और होकर बन्द हो जायेगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, वर्षा और केन्द्र दो ही चीजें तो हैं इनके पास, इन्हें स्वयं कुछ नहीं करना है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मोटे तौर पर पेयजल की जो वस्तु–स्थिति है, मैं यही कहूंगा कि आप जो कुछ भी कहें लेकिन पेयजल अवश्य मुहैया करा दें। मान्यवर, स्वजल की दूसरे चरण की योजना केन्द्र–सरकार को भेजी है। मैं यह कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचकूँगा कि इसमें जैसे भी कर्मचारी रखे गए हैं उनमें ज्यादातर प्रदेश से बाहर के ही हैं और मुझे यह भी बताया गया है कि, जानकारी मिली है कि जो दूसरे फेज की योजना आपने भेजी है उसमें भी प्रदेश के जो लोग हैं, ए०ई० हैं, जे०ई० हैं उनको हटाने की बात हो रही है और बाहर के लोगों को समायोजित करने की बात हो रही है। स्वजल योजना में या जो स्वजल धारा में समायोजित करने जा रहे हैं उसमें प्रदेश के बाहर के लोगों को तरजीह दी जा रही है प्रदेश के लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है, आप इसका परीक्षण करा लीजिए। मान्यवर, मानदेय का जो ढांचा है मुझसे यह शिकायत की गयी है कि बाहर के लोगों को अच्छा मानदेय दिया जा रहा है और यहां के लोगों को उतना मानदेय नहीं दिया जा रहा है, इसकी जांच करा लीजिए। सड़क के बारे में, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा केन्द्र है या वर्षा। मान्यवर, केन्द्र से जो मिलेगा, मिलेगा। हमारे पास संसाधन कम हैं, केन्द्र से जो भी मिल रहा है मेरा अनुरोध इतना ही है कि जो हम पहले कहते थे क्षेत्रीय असंतुलन, अब जिला वाला असंतुलन न आए। सी०आर०एफ० की योजना और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों की योजना है और खासतौर पर बार्डर के क्षेत्रों पर लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके भी प्रस्ताव केन्द्र–सरकार को अवश्य जाने चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। राज्य के बारे में तो राज्य का जो बजट है हम सब लोग मिल–बैठकर, लड़–झगड़कर, बातचीत करके व्यवस्था कर लेंगे और यदि केन्द्र के बारे में आप नहीं मानेंगे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से सारा मामला केन्द्र में ले जायेंगे।

मान्यवर, शिक्षा के मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है, हमने पहले भी कहा है कि ढांचा सही कर दीजिए। मान्यवर, मानव संसाधन एक बहुत बड़ा संसाधन है।

मान्यवर, मानव संसाधन के विकास में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले कई इण्टरमीडिएट कॉलेजों का उच्चीकरण नहीं हुआ। कई हाईस्कूल खुलेंगे, इण्टरमीडिएट कॉलेज खुलेंगे। इनकी व्यवस्था कैसे होगी यह करने की आवश्यकता है। पूरे ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है अगर हमने इस ढांचे को गड़बड़ा दिया तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी विकास की है वह चरमरा जायेगी। मान्यवर इसमें सम्यक् विचार होना चाहिए। जो ये शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा बन्धु, जो एड हॉक पर हैं प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक ये सब लोग कोई न कोई मांग लेकर रोज खड़े होते हैं तो मान्यवर, इनके लिए एक ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह आग्रह माननीय शिक्षा मंत्री जी से करना चाहता हूं। ये लोग रोज–रोज हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं,

सरकार को जब ये घेरते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है लेकिन हम क्या करें? इसलिए इन लोगों की ओर आपको ध्यान देना होगा।

मान्यवर, जो चार धाम की यात्रा के बारे में है। अभी हम लोग नियम समिति की तरफ से वहां गए। नियम समिति के संबंध में हम ज्यादा नहीं बोलेगें। लेकिन एक पर्यटन की दृष्टि से इसमें राज्य सरकार के अलावा केन्द्र सरकार भी वित्तीय व्यवस्था कर रही है लेकिन मान्यवर, केवल वित्तीय व्यवस्था करने से काम नहीं चलेगा। जब तक स्थानीय व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलेगी तो चाहे कोई सी भी सुविधा हम पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराए उनको वह सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पर स्थानीय व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार बनाना होगा। जिससे वे पर्यटकों के लिए संवेदनशील हो अगर वे सोचे कि यह जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की है तो यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, श्रीनगर से पांच कि0मी0 तक रास्ता बंद रहता है जाम लगा रहता है लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया। इससे पर्यटकों को पूरा लाभ नहीं मिल पायेगा, दूसरा अपने यहां, जो नयी स्कीम जिसको कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत जो योजनाएं मंजूर हुयी। जिले से मंजूर हुयी। जब लोग बैंकों के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह ऋण मंजूर नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास जमीन व मकान रजिस्ट्री नहीं है। क्योंकि जमीन तो हमारी पैतृक है। जिसमें सभी के नाम रहते हैं। खाते में नाम रहते हैं लेकिन बैंक वाले नाम की रजिस्ट्री मांगते हैं और बैंक यह भी कहता है कि यह आर्थिक रूप से फिजिबुल नहीं है तो मान्यवर, इस संबंध में, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हू और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका कोई समाधान निकालें और इसका समाधान केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ही निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई बात बैंक से कही तो बैंक वाले उनकी बात को टालेंगे नही और उनकी बात का टालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि बैंक सरलता से लोन व ऋण उपलब्ध कराए।

मान्यवर, खेलकूद के बारे में एक साल के बजट मे कुछ नहीं कहा जा सकता है। मान्यवर, देहरादून में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है। इसका विकास अन्य जिलों में भी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग स्टेडियम खोलने के लिए अपनी जमीनें देने को तैयार है। आज मनोरंजन के साधन न होने से नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिनी स्टेडियम बनाने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। संस्कृति के बारे में आपने कहा है और संस्कृति परिषद् बनाने की बात कल माननीय मंत्री जी कह रही थी। इस पर बहुत गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति एक है, लेकिन यहां पर उप–संस्कृतियां भी हैं। उप–संस्कृतियों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो एक दिन पूरे देश की संस्कृति भी खतरे में पड़ जायेगी। हमारे यहां गढ़वाल, कुमायू की संस्कृति है, थारू, बुक्सा की संस्कृति है और अन्य पारम्परिक संस्कृतियां भी हैं। इनको अक्षुण्य बनाये रखने के लिए कोई न कोई पोषक देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने संस्कृति विभाग बना रखा है।

मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में पिछली बार मैं चर्चा सुन रहा था कि एम्स के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। मेरा अनुरोध है कि वह यहां पर बने इसमें मुझे आपत्ति नही

है, लेकिन यहां एक मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन श्रीनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और एक हल्द्वानी में तैयार हो रहा है। मान्यवर, एम्स की शाखा अगर यहां खोलना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह पर्वतीय क्षेत्र में हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि किसी जगह पर एम्स की शाखा खोलें। (व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, इस संबंध में अभी हमें भारत सरकार की ओर से कोई भी औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शायद माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण नहीं पढ़ा होगा उसके पृष्ठ 36 के पहले पैरा में लिखा है कि केन्द्र द्वारा वित्त पोषित ए0आई0आई0एम0एस0, एम्स के स्थान चयन के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जा रहा है। मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब यह मामला आये तो कृपा करके पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में इसका चयन किया जाये चाहे वह पौड़ी हो, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी हो, या पिथौरागढ़ हो। जहां पर मेडिकल कॉलेज हैं वहां तो ठीक है, परन्तु यह जो नया मेडिकल कॉलेज आयेगा तो इसे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में ही स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमने इसके लिए भारत सरकार से आग्रह किया है परन्तु वहां से कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं उन्हें तो कल्याण करना है, वे कल्याण भी कर रहे हैं। अभी आपने जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को गाड़ियां दी हैं परन्तु 4 महीने हो गये हैं, आज तक उन्हें उनका परमिट नहीं मिला है। आपने कुछ लोगों को दे दिया हो तो वह अलग बात है।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, परमिट की बात आई है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के कार्यक्रम हैं उनके परमिटों में किसी तरह का व्यवधान नहीं आ रहा है उनके लिए इसमें कोई बंदिश नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरे पास ऐसा एक प्रकरण है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य मुझे वह दे दें तो मैं उसे ठीक करा लूंगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी ऐसा कर दें मैं इनका आभारी हूं। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन की बात है, मेरे पास भारत सरकार की एक किताब है उसमें लिखा है कि यदि बच्चा अपने मां–बाप का भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं है तो भी उन्हें यह पेंशन मिलेगी। लेकिन इस गाइड लाइन का अनुपालन यहां पर नहीं हो रहा है, प्रशासन करता यह है कि जैसे ही उनका बच्चा बालिग हो जाता है तो पेंशन बंद कर दी जाती है यह नहीं देखा जाता कि उनका लड़का क्या कर रहा है, बेरोजगार है या जादा है या गिगड़ा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसा लेकर, दिशा निर्देश लेकर इस संबंध में कार्यवाही करें।

*समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, इस संबंध में व्यवस्था की जा रही है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारी जो यह विधायक निधि है। जो प्रत्येक माननीय सदस्य को 50 लाख रुपये के रूप में मिलती है यह हमारे जी का जंजाल हो गई है यह हमारे लिए छोटी चादर की तरह हो गई है, सर ढकते हैं तो पांव बाहर, पांव ढकते हैं तो सर बाहर, यह मैं भाषण नहीं कर रहा हूं न ही इसमें कोई राजनीति की बात है, या तो इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाये या इसे समाप्त कर दिया जाये। कुछ दिनों पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को कहा था कि विधायक निधि में भी कमीशन लिया जा रहा है। मेरी अपनी जानकारी में है, मैंने एक जे0ई0 को बुलाया और कहा कि भई जो भी कमीशन आपके यहां चलता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम विधायक निधि में तो कमीशन न लिया जाये तो उस जे0ई0 ने कहा और फ्रेंकली कहा कि ऐसे तो आपका काम नहीं हो पायेगा, उसमें कोई रूचि ही नहीं लेगा।

मान्यवर, विधायक निधि में कमीशन खोरी रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि विभिन्न विभागों के जो सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता होते हैं, उनसे विभागीय कार्य कराये जाय तथा हमारे जो बेरोजगार अवर अभियन्ता हैं, उनको विधायक निधि के कार्य सौंपे जायं। जिस प्रकार यदि हम किसी संस्था के द्वारा कोई कार्य कराते हैं तो वह संस्था सैन्टेज के रूप में कुल व्यय का 10 प्रतिशत कमीशन लेती है, उसी प्रकार यदि इन बेरोजगार अवर अभियन्ताओं को 5 प्रतिशत भी सैन्टेज दिया जाए, तो एक तो इन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा और दूसरा, विधायक निधि में कमीशनखोरी समाप्त हो जाएगी। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अवश्य विचार करेंगे।

मान्यवर, वन प्रबन्धन के बारे में कहना चाहता हूं, हमारे यहां 65 प्रतिशत भू–भाग में वन अंकित हैं लेकिन इसमें कितने वन हैं, यह सब जानते हैं और जो वन हैं, तो उनमें भी आग लगती जा रही है, इससे भी सब लोग भिज्ञ हैं। मान्यवर, वनों के सम्बन्ध में इतने कानून बन गये हैं कि आम आदमी वनों से कटता जा रहा है। हमें वनों से कोई लाभ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा उनसे लगाव भी नहीं होगा, यदि लगाव नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा तो वन जलते रहेंगे और सरकार दावे करती रह जाएगी कि हमने वनों की आग को रोकने के लिए इतना अधिक रुपया खर्च कर दिया है लेकिन वनों की आग नहीं रुक पाएगी। आज लगभग सारे जंगलों में आग लगी हुई है, यदि बारिश नहीं हो जाती, तो इस आग को रोक पाना संभव नहीं था। वनों की आग से हमें हर वर्ष अरबों रुपये का नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए हमें एक विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसके लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता लेनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हू कि आपने बजट पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर प्रदान किया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हरिदास का नाम पुकारे जाने पर)

*डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक हमारे दल के सिर्फ एक ही माननीय सदस्य को बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंघल जी, आप कृपया बैठ जाएं। पहले माननीय नेता विधायक दल अपने विचार रख लें, उसके बाद माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हू कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हू कि बजट भाषण में किसानों के लिए कहीं कोई प्राविधान नहीं किया गया है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। उत्तरांचल प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बार–बार कहते रहते हैं। जब हम बिजली का भुगतान नहीं कर पाते तो हम पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लग जाता है। मान्यवर, किसानों का पैसा मिलों में बकाया रहता है, जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसानों के बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ कर दिया जाय।

मान्यवर, पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज तक 2 लाख तो क्या 20 हजार बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका है। मान्यवर, रामनगर विधानसभा सीट से जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे, तो हम भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में वहां गए थे। जब हमने वहां के लोगों से वोट मांगा तो उन्होंने कहा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने वाले हैं, इसलिए इस बार उनको ही वोट दे लेने दो।

मान्यवर, आज उन लोगों की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं वह देख रहे हैं कि हमें रोजगार मिलता है या नहीं वह चिन्तित हैं, वह परेशान हैं। अगर आप भी उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो जैसे यहां प्रति पक्ष में बैठे हैं वैसे ही आप भी इधर आ जायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी वह उस पर खरा उतरें। मान्यवर, गरीबी की रेखा से ऊपर उठने की बात कही गई थी इसके लिए एक प्रावधान रखना चाहिए,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो गांव में परिवार रजिस्टर बना रहता है वह 20 साल से चला आ रहा है, किसी ने भी उस रजिस्टर को नया नहीं बनाया। उसी रजिस्टर से गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का चयन होता है। जो 20 साल पहले बच्चा था अब वह जवान हो गया और उसका परिवार अलग हो गया। इसलिए मान्यवर, सबसे पहले परिवार रजिस्टर को नये सिरे से बनाया जाय।

मान्यवर, राष्ट्रीय योजना के तहत हमारे यहां 11 करोड़ 22 लाख रुपये की योजना चलायी जा रही है इसमें धनराशि दे दी है। हमारे हरिद्वार से 9 विधायक हैं एक विधायक भी कह दे कि यह पैसा हमारे क्षेत्र में लगा है तो इसका मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी जैसा अभी बजट भाषण में कहा गया है, हमारा जिला उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। हमारे प्रदेश के बच्चे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारे प्रदेश में पढ़ते हैं, उनको वजीफा नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि इस बजट में इसका प्राविधान होना चाहिए। मैं इस बजट भाषण का इस लिए विरोध कर रहा हूं कि यह बजट जनता के हित में नहीं है यह दलित हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

*श्री प्रदीप टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा जो बजट है इसे माननीय प्रतिपक्ष ने भी स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री के पास राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, लम्बा अनुभव है उनके अनुभव के द्वारा बजट बना है, जो हमारे प्रदेश को सही दिशा की ओर ले जायेगा। हर क्षेत्र को इसमें चुना गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं और प्रतिपक्ष ने भी इसे स्वीकार किया है कि आने वाले सालों में हम ऊर्जा की ताकत पर देश के अन्य निवेशकों को भी अपने प्रदेश की ओर आकर्षित करेंगे। इसी तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी सरकार की ओर से ऐसी योजनायें बनायी गई है।

मान्यवर, सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई गई हैं किन्तु जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि योजनाएं कितनी ही अच्छी क्यों न हो यदि उनका अमल सही तरीके से नहीं होगा, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होगा तो जनता को कोई लाभ नहीं होगा। मान्यवर, बजट भाषण पर बहुत से माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है इसलिए मैं दो–तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आरक्षित वर्ग के हितों के बारे में भी अपनी बात को कहूंगा और बजट के माध्यम से मैं समाज में आर्थिक, सामाजिक समता का तानाबाना बुनने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा संविधान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका विकास हो। हमारी सरकार राज्य में प्रशासनिक इकाइयों का गठन करने जा रही है। आज के समाचार–पत्रों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि राज्य में जल्दी ही तीन नये जिलों का निर्माण होने जा रहा है। सरकार छोटे स्तर की प्रशासनिक इकाइयां बनाने जा रही है। जिलों से इसकी शुरूआत की गई है। इसको तहसील स्तर से शुरू किया जाए। पहले छोटी प्रशासनिक इकाइया तहसील स्तर पर बनाई जाए। मान्यवर, सुमेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसे तहसील का दर्जा दिया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, दूसरा बिन्दु मैं सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, बजट में वित्तीय वर्ष 2003-04 में 450 किमी0 नये मोटर मार्गों के निर्माण की बात कही गई है, 100 कि0मी0 हल्के वाहन मार्गों, पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्यों हेतु 350 कि0मी0 तथा 78 सेतुओं के निर्माण लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, सड़कों के निर्माण में एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक समानता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, जो शहरी क्षेत्र की है, मैदानी क्षेत्र की है और पर्वतीय क्षेत्र की है इसमें एक मानक निर्धारित होना चाहिए। मान्यवर, पिछले बजट भाषण में बहुत ही सड़कों के निर्माण की बात कही गई किन्तु मुझे अभी तक एक किलोमीटर या दो किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें नही मिली हैं। मैं केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। सड़कों का निर्माण उत्तरांचल के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। इसके लिए मानक की, सिद्धान्त की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड राज्य की जनता ने राज्य के लिए जितना बलिदान किया जितनी कुर्बानी दी लेकिन उसका लाभ उन्हें नही मिल रहा है। वहां के लोग भी चाहते हैं कि नये राज्य के गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्र, जो पूर्व में उपेक्षित थे वहां का विकास हो। सड़कों का निर्माण हो। विकास के मामले में समानता होनी चाहिए।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र विकास खण्ड गणनाथ, ताकुला एवं सुमेश्वर के लोग अपने ब्लॉक मुख्यालय में जाने हेतु 200 कि0मी0 घूम कर जाते हैं। यदि वहां पर सड़क का निर्माण हो जाए तो मात्र 8 कि0मी0 घूम कर जाना पड़ेगा। मान्यवर, उत्तरांचल के दूरस्थ इलाकों में लोक निर्माण विभाग द्वारा, मण्डल समिति द्वारा, गन्ना विभाग द्वारा तथा राष्ट्रीय राज मार्गों द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि दुर्गम इलाकों में भी सड़कों का निर्माण किया जाए। ताकि जिन लोगों ने राज्य के लिए बलिदान दिया है कुर्बानी दी है, वे इसके विकास को देखें और संतोष व्यक्त करें।

मान्यवर, मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं आज स्थिति यह है कि एक सड़क 1980 की है तथा दूसरी 1995 की। 1995 वाली सड़क में डामरीकरण हो जाता है, परन्तु 1980 वाली सड़क वैसे ही पड़ी रहती है। माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने यहां पर लोक निर्माण में संविदा के आधार पर इंजीनियर रखने की बात कही है। यह ठीक है परन्तु इसमें कोई सिद्धांत होना चाहिए। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत दो करोड़ रु0 का प्राविधान है। मान्यवर, इस तरह का कोई शेड्यूल नही दिखा जो इन गांवों को जोड़ने के लिए बना हो। मान्यवर, मैं चाहता हूं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गांवों का पहले चिन्हीकरण हो, फिर सड़क का निर्माण हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस जाति के लोगों को लाभ नहीं पहुंचेगा, और कागजों पर सड़क का निर्माण हो जायेगा।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं शीतलाखेत एक रमणीक स्थान है, पिछले वर्ष पर्यटन के क्षेत्र में इसको विकसित करने की योजना थी, लेकिन आज तक इसका विकास नहीं हो पाया है। इकोटूरिज्म की उत्तरांचल में अपार संभावनाएं हैं। मान्यवर, मैं एक साल से इस विधान सभा में हूं। यहां पर सत्तापक्ष और विपक्ष की बात को सुनता हूं। कभी-कभी नाइंसाफी हो जाती है। प्रदेश में कभी-कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जो बड़ी हृदयविदारक हो जाती हैं। जिस घटना का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, इस सम्बन्ध में मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मान्यवर, मैं 06 जून को

मसूरी में घटित हत्या की बात कर रहा हूं। यह घटना प्रदेश के इतिहास में कलंक है। यह प्रकरण दो युवा प्रेमियों से सम्बन्धित है। इसमें लड़का बाल्मीकि जाति से सम्बन्धित था। यह दो सम्प्रदायों से सम्बन्धित नहीं बल्कि एक ही सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। संविधान में समानता की बात कही गयी है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है. इस पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगना चाहिए। मान्यवर, यह घटना एक ऐसे परिसर में घटित हुई, जो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक सुरक्षित है, यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस घटना में पति–पत्नी तथा लड़के के पिता की हत्या की गयी।

मान्यवर, मैं कल ही वहां पर गया, वहां 5 लोग थे जिसमें से तीन को मौत की नींद में सुला दिया, अब 2 बचे हैं। मैंने सदन में देखा कि इस संबंध में कोई आवाज नहीं उठी, कोई वहां गया नहीं लेकिन मैं कल गया और कहा कि दोषियों को दण्ड मिलेगा। मान्यवर, ब्रोकेन पीपुल नामक पुस्तक के पृष्ठ 235 में अंकित है कि "व्हेनएवर दि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दि सब–डिवीजिनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो दि रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस रिसीव्स एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी परसन ऑर अपॉन हिस ओन नॉलेज दैट एन एस्ट्रोसिटी हैज बीन कॉमिटेड ऑन दि मेम्बर ऑफ दि शिड्यूल कास्ट ऑर दि शिड्यूल ट्राइब्स विदिन हिज ज्यूरिस्डिकशन ही शैल इमिजिएटली हिमसेल्फ विजिट दि प्लेस ऑफ आकॉरेन्स टू एसेस दि एक्टेन्ट ऑफ एस्ट्रोसिटी, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस एण्ड डैमेज टू दि प्रापर्टी एण्ड सबमिटेड रिपोर्ट फार्थविद टु दि स्टेट गवर्नमेंट"। मान्यवर, जिलाधिकारी की ड्यूटी है कि वह स्पॉट पर जायें पर आज तक जिलाधिकारी नहीं गये, यह दुःख की बात है। मान्यवर, एक्ट में है कि यदि किसी परिवार के नॉन–अर्निंग सदस्य की हत्या हो जाती है तो उसे एक लाख रुपया दिया जायेगा, 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के बाद और 25 प्रतिशत लोवर कोर्ट के कन्विक्शन के बाद। अगर परिवार के अर्निंग सदस्य की हत्या होती है तो दो लाख रुपया दिया जायेगा पर उस सम्बंध में अभी तक कोई बात नहीं हुई। मान्यवर, मैं उस एकेडेमी के डाइरेक्टर से मिला और उन्होंने कहा कि यह समय के प्रवाह के विरुद्ध शादी की गई इसलिए ऐसा हुआ, मैंने कहा यह समय का प्रवाह हमारे देश ने बनाया है। मान्यवर, हरिद्वार में हत्या हुई तो सभी "बैल" में आ गये पर मसूरी में जो घटना हुई उसके लिए कुछ नहीं किया गया।

मान्यवर, प्रोमोशन तो हर कोई चाहता है भारत सरकार द्वारा एस0सी0, एस0टी0 को प्रोमोशन दिया गया, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अगर एस0सी0 का अधिकारी प्रोमोशन लेकर आगे बढ़ जाता है और जनरल का व्यक्ति बाद में प्रोमोशन पायेगा तो वह अपनी सीनियरिटी गेन कर लेगा। मान्यवर, फिर देश में हंगामा हुआ और फिर भारत सरकार ने इसे निकाल दिया। यह सभी राज्यों में लागू हो गया कि कोई व्यक्ति प्रोमोशन के द्वारा चला जायेगा तो एस0सी0, एस0टी0 के लोग प्रोमोशन के बाद सीनियर रहेगा और बाद में भी सीनियर रहेगा।

मान्यवर, सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार भारत सरकार के नोटीफिकेशन को लागू करे। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी–अभी सरकार द्वारा, हमारे पटल पर भी है, निजी क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश की बात आयी है, जब बिल आएगा मैं अपनी बात को रखूंगा। आज मीडिया, इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी के बढ़ावे की बात हो रही है, लेकिन समाज के कमजोर लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। मान्यवर, यह भी

किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को हम फीस में छूट देंगे। मान्यवर, मेरा सवाल है कि इस देश के संविधान में आर्टिकल 16(4) के अन्तर्गत जो शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रावधान हैं, वह लागू होगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, ठीक है, मैं समाप्त करता हूं।

डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, हमारे अभी हरिद्वार के विधायक ने कहा कि यह बजट संविदा का बजट है, मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई बजट परमानेन्ट भी होता है, क्या आपने किसी प्रदेश का 20 साल या 30 साल का बजट देखा है जो उन्होंने ऐसा प्रश्न–चिन्ह लगाया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी –

मान्यवर, थोड़ा सा सदस्यों को समझा दीजिए, मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, या तो आपको सम्बोधित करें या फिर कोई बात आ जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित करें। अभी टम्टा जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। वह मित्रों कह कर सम्बोधित कर रहे थे।

डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं सरकार के वित्तीय प्रबन्धन पर अपनी बात रखना चाहूंगा। यह वित्तीय प्रबन्धन नहीं, बल्कि वित्तीय सुप्रबन्धन है। 2002–2003 के आय–व्ययक में अनुमानों में जो राजस्व घाटा 1567 करोड़ रु0 प्रदर्शित किया गया था वह घटकर 1193 करोड़ रु0 अनुमानित है, इसका जो प्रबन्ध हुआ है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। भारत सरकार की डिपार्ट स्वैप योजना का लाभ उठाते हुए अधिक ब्याज दर वाले ऋणों को कम ब्याज के बाजार ऋण में परिवर्तित कर 35 करोड़ रु0 सरकार ने बचाए हैं इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता ही थी कि पिछले साल योजना आयोग के साथ जब उनकी बैठक हुयी जिसमें बाजार ऋण लेने की मुख्यमंत्री जी से अनुमति ली गयी थी जिसका तुरन्त सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया गया, यह सरकार की कार्य शैली का परिचायक है। इसी प्रकार एकीकरण एवं भुगतान प्रणाली सरकार की थी और सरकार ने यह दिखाया कि किस तरह से वह भुगतान किया गया। आज कर्मचारियों को समय से वेतन मिल रहा है, यह भी स्वागत योग्य कदम है।

मान्यवर, व्यापार कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। 2002 में जहां पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने व्यापार कर के सघन दलों द्वारा छापे डाले गये, पूरे प्रदेश के व्यापारी आंदोलित हुए वहीं इस बार 15 प्रतिशत की वृद्धि हुयी और दूसरी तरफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ और व्यापारियों ने आसानी से 15 प्रतिशत व्यापार कर दिया, यह भी स्वागत योग्य कदम है।

मान्यवर, पेयजल की स्थिति के बारे में जो बातें सदन में बार–बार उठायी गयी। मान्यवर आज स्थिति यह है कि जब भारत आजाद हुआ था तब 1400 क्यूसेक पानी प्रति वर्ष उपलब्ध था आज देश की यह स्थिति है कि यह घटकर 650 क्यूसेक रह गया। इसके लिए उत्तरांचल में भी लगभग यही स्थिति है। हमारे तराई क्षेत्र में यह स्थिति हो गयी है कि गांव वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए तराई क्षेत्र में समर क्रॉप की जो आदत बनती जा रही है वह जिम्मेदार है। इससे पानी का जल स्तर गिरता चला जा रहा है पहले यह क्रॉप केवल बंगाली क्षेत्रों में रोपी जाती थी। जिससे जल स्तर कम हो गया है। लोगों ने डीप बोरिंग करा रखी है इससे भी जल स्तर कम होता जा रहा है। इससे जमीन का जो सूक्ष्म तत्व है वह भी कम होता जा रहा है और कीटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार की खेती पर रोक लगा दी गयी है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमारे यहां भी समर क्रॉप की खेती पर रोक लगा दी जाए।

मान्यवर, सिंचाई के लिए छोटी नहरों, गुलों की सुदृढ़ के लिए सी0ए0डी0पी0 की बात कही। मैदानी क्षेत्र में नलकूपों की स्थापना की बात बजट में आई। मान्यवर, इस संबंध में निवेदन करूंगा कि 1998 का वह शासनादेश जिसके तहत मैदानी क्षेत्रों में नये नलकूप नहीं लगाए जायेंगे, उसको वापस लिया जाए। मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति अभी जारी की गयी। उसका नोटिफिकेशन आ गया। हमारी प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले जमीनें चिन्हित कर ली हैं। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। क्योंकि दूसरे स्टेट यह काम अभी नहीं कर पाए हैं और शीघ्र ही हमारी सरकार औद्योगिक नीति लागू करने जा रही है। मान्यवर, औद्योगिक नीति के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वह स्वागत योग्य है। मान्यवर, खनन के क्षेत्र में रेता, बजरी का चुगान इस प्रदेश में चल रहा है यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे उत्तराखण्ड से भारी मात्रा में रेता, बजरी का चुगान अनवरत चल रहा है। इससे हमारी नदियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए इस संबंध में कोई नीति बनानी चाहिए और यह भी तय करना चाहिए कि कितने प्रतिशत रेता बजरी हमारे प्रदेश से बाहर भेजा जाए। मान्यवर, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से अभी चीनी मिलों की बातें हुई विपक्ष ने भी बातें उठायी, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने भी उठायी। वाकई यह चिन्ता का विषय है। हमारी सरकार ने इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है कि पेमेन्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। किन्तु जो हमारे यहां छः चीनी मिलें हैं उसमें कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी जोकि उत्तर प्रदेश के हैं, वे ठीक से कार्यों में रूचि नहीं ले रहे हैं। वहां का प्रशासन ठीक नहीं है।

मान्यवर, इस कारण से प्रशासनिक कुप्रबन्ध के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मान्यवर, इस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं और हरिद्वार के अन्य माननीय विधायकगण भी बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें आंशिक निजीकरण की तरफ ध्यान देना होगा। अन्यथा हर साल 50–100 करोड़ का जो नुकसान होगा, उसे कौन वहन करेगा? इसलिए हमें इस विषय पर चिंतन करना होगा। मान्यवर, हमारी सरकार ने डेरी उद्योग के विकास के लिए भूसा–चारा उपचारित करने हेतु 1 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मान्यवर, सजीन में भूसा 120 रुपये प्रति कुन्तल मिलता है और जाड़ों में 300 रुपये प्रति कुन्तल तक मिलता है। यह पशुधन है या इंडस्ट्री का धन है।

सरकार ने स्वरोजगार हेतु मिनी डेरी योजना चलाई है यदि भूसा 300 रुपये प्रति कुन्तल मिलेगा तो पशुपालक उसे कैसे पशुओं को खिलाएंगे। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि भूसा कागज बनाने वाले मिल खरीद लेते हैं। इसमें प्रथम 6 महीने के लिए इन्हें एलाउ किया जाये और गन्ना मिलें चालू हो जाने के बाद इस पर बैन लगा दिया जाये। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। इससे हमारी चीनी मिलों को लाभ मिलेगा और डेरी चलाने वालों को भी लाभ होगा। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 6000 नये लाभार्थियों का चयन किया गया है। मेरा अनुरोध है कि विधवा पेंशन के लिए भी नये लाभार्थियों का चयन किया जाये। मान्यवर, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और उन्हें हिन्दी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का भी ज्ञान होगा। इसका हम स्वागत करते हैं। मान्यवर, पिछले साल कहा गया था कि विधायक निधि के अन्तर्गत एक-एक लैपटाप कम्प्यूटर सभी विधायकों को दिया जाये। (व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)--

मान्यवर, इसकी मांग आप माननीय अध्यक्ष जी से करें।

श्री अध्यक्ष--

लैपटाप की व्यवस्था की जा रही है। (तालियां)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मान्यवर, नेशनल पार्कों में रह रहे वन गूजरों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने की योजना है। जिम कार्बेट पार्क से वन गूजरों को हटाकर रामनगर में स्थानान्तरित किया गया है। लेकिन कुछ गूजर परिवार अभी भी वहां रह रहे हैं। इनकी देखी-देखी अन्य परिवार भी वहां आ गये। इससे हुआ यह कि वन गूजरों को अन्य स्थान पर बसाया भी गया और फिर भी वे नेशनल पार्कों में रह रहे हैं। हमने उन्हें जमीनें भी दीं फिर भी वे वहीं रह रहे हैं। इस पर विचार किया जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू।

श्री महेन्द्र भट्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हू कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मान्यवर, हालांकि 5 बज रहा है परन्तु यदि आज सदन 6-7 बजे तक भी चलता है तो कोई बात नहीं क्योंकि हम लोग जो नये विधायक हैं उन्हें भी यहां पर अपनी बात कहने का अवसर मिले, कुछ सीखने का अवसर मिले। मान्यवर, जब मैं इस बजट को पढ़ रहा था तो बड़ा आश्चर्य हुआ पिछले बजट में तो मैंने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरन्त ही आये हैं और अभी यहां की स्थितियों को समझ भी नहीं पाये होंगे और पिछला बजट तो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मैंने कुछ बिन्दु बनाये हैं 14 मामले ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार जनता के सामने आया है, मैं उन्हें आपके सम्मुख रख रहा हू-पटवारी भर्ती घोटाला, एस0आई0 भर्ती घोटाला, आबकारी घोटाला, टेण्डर घोटाला, चीनी बोरा घोटाला, यूपी0एम0टी0 का घोटाला, भूमि घोटाला, राशन

कार्ड घोटाला इसमें 36 लाख रुपये का घोटाला हुआ है और मिट्टी तेल का घोटाला इसमें यात्रा सीजन के दौरान चमोली और रूद्रप्रयाग को मिलने वाले तेल को मैदानी क्षेत्रों में दिया गया है। इसके अलावा आबकारी घोटाला, पुलिस टोपी खरीद घोटाला, दवा घोटाला, ऊर्जा घोटाला, आपदा प्रबन्धन घोटाला, कम्प्यूटर घोटाला और इस प्रकार से पिछला बजट पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्या उत्तरांचल राज्य की परिकल्पना हमने इन्हीं घोटालों के लिए की थी?

माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी आदर करते हैं कल मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने आदर भाव प्रकट किये थे हम उनके तजुर्बे का आदर करते हैं, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल के बहुत अनुभवी नेता हैं लेकिन उत्तरांचल उनकी दृष्टि में नैनीताल और रामनगर तक ही सीमित हो गया है। चमोली जो मेरा क्षेत्र है वहां की बात कोई नहीं करता है। बजट में इस बार भी कोई प्रावधान इस जनपद के लिए नहीं किया गया है। बजट में प्रस्ताव होना चाहिए सुदूरवर्ती जनपदों को इसमें शामिल किया जाय। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में बहुत आवश्यकतायें हैं वहां पर चिकित्सा की शिक्षा की बड़ी दिक्कत है, वहां के लिए कोई भी बात बजट में नहीं की गई है। उत्तरांचल के राजस्व के तीन प्रमुख स्रोत हैं पहला है व्यापार कर, व्यापार कर की दृष्टि से देखा जाये तो वर्ष 2000–01 में राजस्व वसूली 161 करोड़ रुपया था। और वर्ष 2001–02 में जब हमारी सरकार ने बजट पेश किया तो यह वसूली 486 करोड़ थी जो कि 250 प्रतिशत की वृद्धि थी, वर्ष 2002–03 में यह वसूली 560 करोड़ तक ही पहुंची जो कि मात्र 15 प्रतिशत की वृद्धि थी और वर्ष 2003–04 में इसे 620 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, यदि इसे अनुपात की दृष्टि से देखा जाये तो मान्यवर, मात्र 74 करोड़ की वृद्धि हुई है। आगे के लिए जो प्राविधान किया गया है, जो अभी मात्र एक कल्पना है, उसमें 620 करोड़ की व्यवस्था है। इस 620 करोड़ में से यदि पिछले साल का 560 करोड़ हटा दिया जाय, तो केवल 60 करोड़ रुपया हम सैल टैक्स के रूप में अर्जित करने वाले हैं।

मान्यवर, अभी आपने कम्प्यूटर देने की बात कही लेकिन राजस्व प्राप्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। राजस्व की 17 चौकियां मंजूर हुई थी, लेकिन उनमें से केवल 12 चौकियां ही खुल पायी हैं, बाकी चौकियां क्यों नहीं खुल पायी, इस पर मन्थन होना चाहिए। मेरे संज्ञान में आया है कि राजस्व की प्राप्ति के लिए सरकार ऑन लाइन लॉटरी शुरू करने की बात कर रही है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार जुएं की पद्धति उत्तरांचल राज्य में लागू की जाएगी तो इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम होंगे। यहां की जनता चाहती है कि उसे जुए की पद्धति से निजात मिले। मान्यवर, आबकारी के विषय पर कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि आबकारी उत्तरांचल राज्य की राजस्व प्राप्ति का मुख्य श्रोत है। पिछले वर्ष बजट भाषण में आबकारी द्वारा 555 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन केवल 246 करोड़ रुपये की ही राजस्व प्राप्ति हो सकी, यह स्थिति ठीक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि आपने आबकारी नीति लागू करने में बहुत देरी की। आपने 96 देशी और 45 अंग्रेजी ठेके जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को दिए गए थे, उनसे अधिभार नहीं वसूल कर पाये। यह स्थिति बहुत गंभीर है। मान्यवर, पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं, पर्यटन उत्तरांचल राज्य का बहुत बड़ा व्यवसाय है। आपने मोटरयान विधेयक सदन के अन्दर पारित करा लिया लेकिन आज तक इसके लिए कोई नियमावली नहीं बना पाये हैं। पर्यटन की मद

में पिछले वर्ष आप 106.41 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 76.69 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर पाए, इस प्रकार आपने 30 करोड़ रुपये गंवा दिए।

मान्यवर, ऊर्जा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र, नन्दप्रयाग में एक-एक हजार आबादी वाले अनेकों ऐसे गांव हैं, जिनमें आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जिन गांवों में बिजली है भी वहां पर बिजली के पोल टूटे हुए हैं लेकिन विभाग उदासीन बैठा हुआ है। वहां पर कभी-कभी 24-24 घण्टे बिजली बाधित रहती है। बारिश और तूफान के समय तो कभी-कभी 6-7 दिन तक भी बिजली नहीं आती है। मान्यवर, बिजली के सम्बन्ध में एक घोटाला मेरे संज्ञान में आया है, इसमें कितनी सत्यता है, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण देंगे तो उसमें उल्लेख करेंगे। जहां तक मेरे संज्ञान में है, ट्रांसफार्मरों की खरीद की गयी और इसके लिए टेण्डर भी हुए।

मान्यवर, ट्रांसफार्मरों पर जो खर्च किया गया उसका टेन्डर बाहर के लोगों को दिया गया। मान्यवर, घटिया किस्म के पोल खरीदे गये और बिलों का बड़ा घोटाला चल रहा है। मान्यवर, टी0एच0डी0सी0 के पास कामर्शियल बिल जाते हैं, अधिभार नहीं वसूले गये हैं। महोदय, जे0पी0 कम्पनी से कम वसूली की कार्यवाही की बात सदन में कही गयी परन्तु आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे इस घोटाले की पुष्टि होती प्रतीत हो रही है। मान्यवर, अनेकों उद्योग ऐसे हैं जिनको आज भी कामर्शियल बिल नहीं दिया जा रहा है, वाणिज्यिक अधिभार उनसे नहीं लिया जा रहा है। इस समय कामर्शियल और वाणिज्यिक घाटा साढ़े चार करोड़ का है। मान्यवर, कहा जाता है कि 35% बिजली चोरी उत्तरांचल के अन्दर हो रही है जब कि उत्तर प्रदेश में 22% बिजली चोरी हो रही है तो यहां पर इतनी ज्यादा बिजली की चोरी कैसे हो सकती है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आया है वह कितना खर्च हुआ है, हम चाहेंगे कि जो केन्द्र सरकार से जो पैसा आया है उसको इसमें लगायें।

मान्यवर, मैं एक विषय रखना चाह रहा हूं वह आपदा प्रबन्धन से, हम सब जानते हैं कि भूकम्प की मार यहां पर सबसे ज्यादा है यह जो आपदा प्रबन्धन का पैसा है इसका किस तरह से बन्दर बांट हो रहा है। उसका आवंटन ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो यह दैवी आपदा का पैसा है, इसका जो बन्दरबांट हो रहा है। महोदय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में नये खंडजा मार्गों एवं पानी की नई टंकियों के लिए धनराशि स्वीकृत की है। लगभग दो करोड़ से ज्यादा की स्वीकृतियां हैं, मेरे पास सूची उपलब्ध है, महोदय ठेके मनमानी तरीके से पत्र देकर दिये जा रहे हैं कोई टेण्डर नीति नहीं है। उस पर तुरन्त रोक लगायी जाय। मान्यवर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिले में अनेकों गांव विस्थापित की स्थिति में हैं वहां पर इस पैसे की आवश्यकता है वहां इसे लगाया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस दृष्टि से इस पर अवश्य विचार करेंगे।

मान्यवर, मेरा अन्तिम अनुरोध है कि हम सदन में कोई बात कहते हैं तो उस विषय को प्रचलित करें। हमारे नन्दप्रयाग क्षेत्र के अन्दर जो सड़क और उसके डामरीकरण हेतु आपने एक करोड़ रुपये हमको दिये, उसमें हमारी दो सड़कें गई इसमें 5 बार टेन्डर निरस्त किये गये। मैं जानना चाहता हूं कि वे क्यों निरस्त हो रही हैं उसमें सरकार ध्यान दें।

मान्यवर, एस०आर०एम०डी० के पैसे में मुझे बहुत आपत्ति है। यह पैसा जिन जगहों पर लगना चाहिए नहीं लग रहा है। यह पैसा नये कार्यों के लिए दिया गया है। इस पैसे को नई सड़कों के निर्माण के लिए लगाया जाए, लेकिन हो उल्टा रहा है। बार–बार टेण्डरों को निरस्त किया जा रहा है। इस पर भी मुझे संदेह है। जिन क्षेत्रों में अभी तक सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए था वहां पर निर्माण नहीं हो पाया है। यह बहुत ही गम्भीर बात है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आपने वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बजट में उत्तरांचल के समग्र विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। मैं इस बजट की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, नेता विपक्ष और भी कई माननीय सदस्यों ने माननीय नेता सदन के ज्ञान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नेता सदन बहुत ही अनुभवी और जानकार हैं उन्होंने भारत सरकार में और प्रदेश में भी बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष और चीमा साहब बार–बार यह भी उल्लेख कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का बजट यहां के मुकाबले अच्छा है। वे यहां पर बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि बजट निराशाजनक है। किन्तु मन से निश्चित रूप से वे भी इस बजट से खुश हैं। यह बजट विकासोन्मुख है। मान्यवर, किसानों के बारे में इस सदन में बहुत चिन्ता व्यक्त की गई। किन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी चिन्ता किसानों की नेता सदन को है उतनी किसी को नहीं है। किसानों की पीड़ा से वे भली–भांति परिचित हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी मिलें हैं वे सब तिवारी जी की देन हैं। मान्यवर, दो ढाई साल पहले यहां के किसानों की बहुत दुर्दशा थी। ट्रालियों पर गेहूं के बोरे सड़े पड़े रहते थे। किसानों का समय पर भुगतान नहीं होता था। मैं स्वयं धान बेचने मण्डी गया तो मुझे उसका भुगतान छः महीने बाद मिला। लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समय पर भुगतान हो रहा है।

मान्यवर, वर्तमान में 50–60 फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है, जब गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं होता है तो उसमें बहुत समय लग जाता है, इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पार्ट पेमेंट के रूप में गन्ना का मूल्य 75 रु० प्रति कुंतल तय किया है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और गन्ना राज्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं।

बजट में जो 60–61 बिन्दुओं का उल्लेख है, इनमें उत्तरांचल के विकास की बात का ध्यान रखा हुआ है। अभी माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी जी कह रहे थे, 10 हजार मेगावाट बिजली प्राप्त करना संभव नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिस तरह का बजट बना है और सरकार विकास कर रही है इससे निश्चित रूप से हम 10 हजार मेगावाट बिजली प्राप्त कर लेंगे। इस बजट में यह भी प्राविधान है, जिन गांवों में बिजली नहीं है, वहां बिजली पहुंचायी जायेगी। बजट में स्वरोजगार की बात कही गयी है इस क्षेत्र में भावर तथा ऊधमसिंह नगर में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में चारे बैंक की व्यवस्था की जा रही है। यह सब विकास की सोच का नतीजा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है,

आने वाला समय तकनीकी शिक्षा का है। पेयजल के क्षेत्र में भी विकास हुआ है इस क्षेत्र में जहां पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं, वहीं तराई भांवर में इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मान्यवर, मैं अपनी सरकार के सभी माननीय मंत्रियों तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके द्वारा किये गये विकास कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, गन्ने की कुछ वैराइटी खत्म हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने गन्ना शोध संस्थान बनवाया, गन्ना बीज संस्थान बनवाया। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गन्ना बीज के बारे में शोध संस्थान अलग से हो क्योंकि गन्ना तराई भांवर का बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए भांवर में कौन सा गन्ना अच्छा होगा और तराई में कौन सा गन्ना अच्छा होगा इस पर सोचना चाहिए। मान्यवर, गन्ने की जो वैराइटी स्थाई नहीं रह पा रहीं हैं उसके विषय में सोचना होगा।

मान्यवर, पर्यटन हमारे उत्तरांचल में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पर्यटन के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारे इस बजट में लिखा गया है कि पर्यटन के क्षेत्र में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना बनाई। मान्यवर, पर्यटन स्थलों को चिन्हित करना पड़ेगा और उनका और सुधार करना पड़ेगा। मान्यवर, हमारा जो पर्यटन का द्वार है वह स्वच्छ होना चाहिए और साफ होना चाहिए ताकि पर्यटक आयें तो वे प्रसन्न हो जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, पानी की समस्या बड़ी भारी समस्या है। मान्यवर, आपने जो योजनायें बनाई उसमें और सुधार की आवश्यकता है। मान्यवर, तराई, भांवर क्षेत्र में और भी नलकूप देने चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत न हो। मान्यवर, आपने स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए देहरादून में सेन्टर बनाये और भी जनपदों में योजना है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, राज्य में लीची, जड़ी–बूटी तथा फूलों की खेती से सम्बन्धित तीन निर्यात जोन जो स्थापित किये गये हैं उससे अच्छे परिणाम हमारे सामने आयेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक चर्चा हो रही थी, रामनगर में भी एक सेमिनार था, लीची दिवस, अभी आम दिवस की बात हो रही थी तो उसमें मेरा सुझाव है कि हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पास 10 पेड़ हैं उसमें लीची जोन में भी भागीदारी होनी चाहिए चाहे उसमें छोटी–छोटी समितियां ही क्यों न बनानी पड़े। इस प्रकार से हम छोटे किसानों को भी लाभ दे सकते हैं। इससे जहां हम छोटे किसानों को लाभ देंगे वहीं हम उनको रोजगार भी दे पायेंगे। अध्यक्ष जी बार–बार कह रहे हैं कि समय ज्यादा हो गया है मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः अपनी ओर से इस बजट को बनाने में नेता सदन श्री तिवारी जी को धन्यवाद देता हू, उन्होंने अपने अनुभवों का लाभ इस उत्तरांचल के लोगों को दिया है मैं इस बजट की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष जो बार–बार विकास की चर्चा करते हैं, वे मन ही मन कह रहे हैं कि बजट तो ठीक है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री गोपाल सिंह राणा-

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हमारी सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है जो परिकल्पना है, उत्तरांचल प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाए, यह हमारी जो परिकल्पना है सार्थक होती नजर आ रही है और यह चन्द दिनों में ही पूरी हो जायेगी। मान्यवर, जिस प्रकार मनेरी भाली परियोजना और टिहरी परियोजना का कार्य चल रहा है मेरा मानना है कि हमारा उत्तरांचल प्रदेश शीघ्र ही ऊर्जा प्रदेश बनेगा।

मान्यवर, जैसे कि सड़क का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, मैं लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, पूरे उत्तरांचल में मास्टर प्लान बनाकर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। शिक्षा के मामले में हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, जैसा कि प्रत्येक विद्यालय को 2-2, 4-4 कक्षा कक्ष दिए गए हैं और जो दिन में भोजन दिया जा रहा है वह भी सराहनीय कार्य है और जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को किताबें दी गयी हैं, दी जा रही हैं यह भी एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, जो हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में कार्य किया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आजादी से आज तक डॉक्टर नहीं गए, वहां डॉक्टर भेजे जा रहे हैं और जो हमारे अस्पतालों का उच्चीकरण किया जा रहा है इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। जैसा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक आयोग बनाया गया है, इसके लिए भी बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है। मान्यवर, सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिताओं में अनुसूचित जातियों, जनजाति के छात्रों के लिए जो सफलता पाने के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गयी है, इसके लिए हमारी सरकार, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्यवर, महिला सशक्तिकरण के संबंध में हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा और कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके लिए हमारी सरकार ने बजट का प्राविधान किया है, इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। प्रतिभावान, क्षमतावान युवकों को प्रोत्साहन करने की, जो बजट में व्यवस्था की गयी है, इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, कृषकों के लिए विशेषकर बासमती जोन बनाने की घोषणा की है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। पर्यटन के संबंध में हमारा प्रदेश पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस संबंध में हम आग्रह करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में नानकमत्ता साहब पर्यटक स्थल है उसको सीधे पर्यटन से जोड़ा जाए तो उसमें काफी सुधार हो सकता है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चकबंदी का मामला बहुत अहम मुद्दा बन चुका है और यह बहुत ही संवेदनशील भी हो गया है। चकबंदी का मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है 1986 से ले करके अब तक लम्बित पड़ा हुआ है इसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसमें कोई सर्वमान्य हल निकाला जाना चाहिए। थारू व गैर थारू का मामला बना हुआ है इसमें संघर्ष हो सकता है इसके लिए कोई हल निकाला जाना चाहिए। मान्यवर, उत्तराखण्ड के आंदोलन में पहली शहादत खटीमा ने दिया है और सबसे ज्यादा शहादत खटीमा ने दी है। इसलिए इन शहीदों की

याद में खटीमा के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज दिया जाए और खटीमा को जिला बनाया जाए, उसकी स्मृति में। मान्यवर, खटीमा में एक बड़ी समस्या गन्ना कृषकों की है क्योंकि यहां का गन्ना उत्तर प्रदेश में जाता है मझोला फैक्ट्री में। हमारे उत्तरांचल के कृषकों को उत्तर प्रदेश की सरकार कोई सुविधा या कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि उत्तरांचल में खटीमा के कृषकों की अलग गन्ना समिति गठित की जाय।

मान्यवर, कई विभागों में अभी अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी में रखने के लिए जिन विभागों में कोटा पूरा नहीं हुआ है वहां विशेष भर्ती अभियान चलाया जाये।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि भर्ती के लिए जो रोस्टर बनाया गया है उसमें अनुसूचित जनजाति को आखिर में रखा गया है। इसे 24वें नम्बर पर रखा गया है। तो मान्यवर, इसे 24वें नम्बर से हटा कर 10वें नम्बर से पहले लाया जाये। क्योंकि "न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी।" अर्थात न इतनी वैकेन्सी होगी न जनजाति के बेरोजगार नौकरी में लोगों इसलिए रोस्टर में अनुसूचित जनजाति को 10वें नम्बर से पहले लाया जाये तथा खटीमा जनजाति आई0टी0आई0 का उच्चीकरण किया जाय और खटीमा एवं बिडौरा रा0आ0पा0 विद्यालयों का उच्चीकरण किया जाय।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तीन नदियां--परवीन नदी, देहवा नदी व कामिनी नदी हैं। इसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन का कटाव हो रहा है। इसमें विवाद हो जाता है। लोग दूसरे गांवों की जमीन पर कब्जा करने पहुंच जाते हैं। नदियों से कटाव रोकने हेतु इसके लिए योजना बनाई जाये। मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि प्रधान है जिसमें खटीमा है, खटीमा जी0आई0सी0 में कृषि विषय खोला जाय तथा खटीमा डिग्री कालेज में एम0ए0 के विषय बढ़ाये जायं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल सिंह राणा--

मान्यवर, वनों का अवैध कटान हो रहा है। लोग हरे पेड़ों को काटते हैं। वन मंत्री जी से आग्रह है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो जंगल के किनारे के गांव हैं, उनमें बायो गैस का निर्माण कराया जाये तथा अधिक से अधिक अनुदान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल सिंह राणा--

मान्यवर, हमारे यहां वन निगम में बहुत लकड़ी पड़ी हुई है। यह अन्य प्रदेशों को जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हमारी छोटी--छोटी आरा मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके इसके लिए इन आरा मशीनों को चलाने की अनुमति दी जाये। इससे काष्ठकला का विकास होगा और कुछ हद तक बेरोजगारी भी

समाप्त होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री अनिल नौटियाल-

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2003-2004 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय सदस्यों को लैपटाप कम्प्यूटर देने की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं आपसे निवेदन है कि आप भी 1 करोड़ रुपया विधायक निधि देने की घोषणा कर दें। आंदोलनकारियों की शहादत से बना यह राज्य जिसकी परिकल्पना हमने उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए की थी और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए की थी। इनका आज भी विकास नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिन पिछड़े क्षेत्रों का हम लोग जिक्र करते हैं उनका संज्ञान लें। मान्यवर, गैरसैण में अपर शिक्षा निदेशक का कार्यालय खुलना था। जिसके लिये वहां पर भूमि उपलब्ध है लेकिन उस कार्यालय को आज देहरादून के अन्दर खोला जा रहा है। इस सदन के माध्यम से कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं, एवं अनेकों माननीय सदस्य भी इस पीड़ा से शासन को अवगत करा चुके हैं, गैरसैण को लेकर कई राजनीतिक दल राजनीति भी करते रहे हैं लेकिन आज वहां से अपर शिक्षा निदेशक का जो कार्यालय था जिसका कि उद्घाटन भी हो चुका था उसे देहरादून में स्थापित कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में अवश्य ही कुछ विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, विकास के बारे में बड़े-बड़े दावे किये जाते रहे हैं लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को हर बार छोड़ दिया जाता है। जनपद चमोली के अन्दर वर्ष 2002-03 में मात्र 23 गांवों के विद्युतीकरण की बात प्रस्तावित थी। लेकिन अभी तक उन गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है, मेरी जानकारी है और स्पष्ट जानकारी है कि उन स्वीकृत गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। हम एक वर्ष में एक जनपद के 23 गांवों को विद्युतीकृत नहीं कर पा रहे हैं और भाषणों में कहते हैं कि 6 हजार गांवों को बिजली दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग को देख लिया जावे, सड़कों की जो स्वीकृति है उसमें समय-समय पर असंतुलन और असमानता पैदा की जाती है वह ठीक नहीं है और इसके लिए हम कई बार आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो यह असमानता और असंतुलन की भावना है, जो कि सरकार द्वारा पैदा की जा रही है वह नहीं होनी चाहिए, जैसा कि पूर्व सरकार द्वारा किया जाता था कि कोई असमानता नहीं, कोई असंतुलन नहीं, तो इसी भावना के साथ कार्य किया जाना चाहिए।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, यहां पर इतनी गम्भीर चर्चा हो रही है और ट्रेजरी बेंच के मा0 सदस्य एक कागज को घुमा-घुमाकर हास-परिहास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का जब गठन हुआ था तो हमने एक कल्पना की थी कि इस तरह से विकास होगा परन्तु आज उन विकासों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विकास की-----।

(सदन में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान)

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जब राज्य का गठन हुआ था तो हमने सोचा था कि जब राज्य बनेगा तो छोटी ईकाइयां बनेंगी और विकास कार्य तेजी से होंगे कुछ नये जिलों का गठन होगा तहसीलें बनेंगी, विकास खण्डों का सृजन होगा। छोटे और नये पंचायतों, गांवों का गठन किया जायेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि नये पंचायतों, गांवों, विकास खण्डों, तहसीलों और जिलों के निर्माण के संबंध में सरकार तत्काल कदम उठायें, जिससे छोटे गांवों का भी विकास हो सके। क्योंकि जब छोटी ईकाइयां गठित होंगी तो उसी स्तर पर विकास भी सुनिश्चित हो पायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तरांचल के एलोपैथिक चिकित्सालयों में एलोपैथिक चिकित्सकों के अतिरिक्त आयुर्वेदिक चिकित्सक भी नियुक्त किए गए हैं। इन आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं की कोई जानकारी न होने के कारण इनके पास कोई काम नहीं है। जबकि दूरस्थ गांवों के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि इन आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दूरस्थ गांवों के चिकित्सालयों में नियुक्ति प्रदान की जाय। मान्यवर, गोचर में हवाई पट्टी का निर्माण हो गया है, उसमें चारदीवारी का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है। हवाई पट्टी के निर्माण के लिए वहां के काश्तकारों से 500 नाली भूमि ली गयी लेकिन उनकी सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा । जबकि शासन और प्रशासन के साथ काश्तकारों का एक समझौता हुआ था कि चारदीवारी के चारों ओर की एक–एक मीटर का मार्ग काश्तकारों को खेतों में आने–जाने हेतु दिया जाएगा। अभी औद्योगिक विकास मेले के दौरान जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोचर आये थे, तो वहां के लोगों ने आपसे भी इसके लिए आग्रह किया था, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाई नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, वन नीति शायद बन कर तैयार हो चुकी है, या तैयार होने वाली है। मान्यवर, बाघ के द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का प्राविधान तो है लेकिन बाघ के अलावा जो अन्य जंगली जानवर जैसे सुअर के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसके लिए मुआवजे का कोई प्राविधान नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोचर के लिए पूर्व में 97 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है लेकिन अभी तक उस धनराशि को उपयोग में लाये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि इस स्वीकृत धनराशि को भवन निर्माण के लिए उपयोग में लाने की स्वीकृति प्रदान करें। मान्यवर, औद्योगिक नीति की बात बार–बार आ रही है, अभी माननीय उद्योग मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं। मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिमली में उद्योग विभाग द्वारा उद्योग लगाने के लिए 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है लेकिन इस भूमि पर उद्योग लगाने की प्रक्रिया अभी शुरू नही हुई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हू कि पहाडों के विकास के लिए उद्योग लगाना भी आवश्यक है। सरकार द्वारा लघु उद्योग की तर्ज पर छोटे काश्तकारों को उद्योग लगाने की अनुमति देने की बात कही गयी थी लेकिन इन छोटे काश्तकारों द्वारा जो 7.50 हार्स पावर की मशीनें लगायी गयी थी, आज उनको भी सीज किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इन छोटे काश्तकारों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन देने की कोई ठोस नीति बनायी जानी चाहिए।

मान्यवर, पेयजल की समस्या पूरे उत्तरांचल में है, इसे माननीय मंत्री जी भी स्वीकार कर चुके हैं। मान्यवर, एक अहम मुद्दा है वह है सरकार ने एक से लेकर आठ तक की पुस्तके निःशुल्क देने की बात कही है, यह सही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह पुस्तक विद्यालयों में कब पहुंचेगी जब शिक्षा सत्र बीत चुका होगा, पिछली बार भी यह बात आपके संज्ञान में लायी गई थी। सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व उन विद्यालयों मे पुस्तक पहुचा दी जाये। मैं एक अन्य आग्रह करना चाहता हूं कि जो मृतक आश्रित हैं उनको सेवा में लेने हेतु 5 साल का समय निर्धारित किया गया है पूर्व में यह 7 वर्ष था। यह बात सब लोगों के संज्ञान में है कि जिसके छोटे–छोटे बच्चे होंगे वह 18 वर्ष की आयु सीमा इस अवधि में पार नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मृतक आश्रित के लिए निर्धारित आयु सीमा को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया जाये जिससे मृतक आश्रितों को उसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, जनपद चमोली में कालेश्वर ट्रान्सपोर्ट नगर पर 15–20 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है, वहां पर रेता बजरी का खनन हो रहा है। आज वह जमीन इस स्थिति में नहीं है कि वहां पर भवन निर्माण कर सकें। इस पर अविलम्ब रोक लगायी जाय। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में जो खुद मेरे गांव की सड़क है, "गोचर सिदोली मोटर मार्ग" है उसके निर्माण में रोक लगा दी गई है, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी स्वीकृत कार्यों पर रोक लगा दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। इस हेतु मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस वर्ष के बजट में विशेषकर उत्तराखण्ड के जो लाखों बेरोजगार हैं जो लगातार राज्य बनने के बाद इन्तजार में हैं कि हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए नई नीति बनायेगी। उनको यह उम्मीद थी कि इस बजट में, नवोदित राज्य में उनके लिए नई नीति बनायेगी, लेकिन मौजूदा बजट में रोजगारपरक नीति के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है।

मान्यवर, मौजूदा बजट में रोजगारपरक नीति के सदर्भ में कुछ नही कहा गया है। मान्यवर, पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक साल के अन्दर दो लाख लोगों को रोजगार देंगे। उन दो लाख लोगों का क्या हुआ? कितने लोगों को रोजगार मिला? वह रोजगार किस–किस क्षेत्र में, इस बारे में कुछ नही मालूम। किन्तु इस

बार के बजट में तो रोजगार का मामला ही साफ हो गया। ठीक है, सरकारी नौकरियां समिति हैं। यह भी सही है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन सहकारी क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र में, रोजगार के अवसर बढ़ायें जा सकते हैं और बेरोजगारों को नौकरियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

मान्यवर, यद्यपि मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है यह अच्छी बात है किन्तु जनता में इस बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं है। मान्यवर, व्यापार कर के रूप में वर्ष 2001–2002 में लगभग रु0 486 करोड़ की प्राप्तियों के विपरीत लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2002–2003 में रु0 560 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। यह ठीक है कि करों से ज्यादा आय सरकार को प्राप्त होगी, नये व्यवसाय बढ़ेंगे। किन्तु आज उत्तराखण्ड का व्यापारी दोहरे कर के मार से त्रस्त है उसे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों राज्यों की मार झेलनी पड़ रही है। इसका कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, इस बजट भाषण में आबकारी द्वारा वर्ष 2002–2003 में जहां 246.00 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की बात कहीं गई वहीं 2003–004 में 286.00 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार आने वाले वर्ष में 40 करोड़ रुपये की अधिक शराब राज्य की जनता को पिलायेगी। मान्यवर, उत्तराखण्ड की भूमि जहां आध्यात्मिक कहीं जाती है, देवों की भूमि कहीं जाती है, नैतिकता एवं अच्छे चरित्र की बात कही जाती है एवं पर्यटन की बात कहीं जाती है। वही देव भूमि, पूरा उत्तरांचल शराब से त्रस्त है। मान्यवर, मेरे विधान क्षेत्र में 6 शराब की दुकानें है। दूसरे विधान सभा क्षेत्र में 7 शराब की दुकानें हैं। एक दुकान में प्रतिदिन 70–75 हजार रुपये की शराब बिकती हैं। सभी व्यवसाय चौपट हो रहे हैं। लोगों के सारे पैसे शराब में जा रहे हैं। छोटे–छोटे दुकानदार जैसे परचून, सब्जी आदि के बर्बाद हो गये हैं आम आदमी की क्रय शक्ति चौपट हो चुकी है। मान्यवर, हमारी सरकार ने शराब खोरी को कम करने की बात सोची होती तो अच्छा होता। क्या शराब के अलावा सरकार के पास राजस्व प्राप्ति के और कोई साधन नहीं है। पूरा उत्तरांचल धीरे–धीरे शराब पर निर्भर होता जा रहा है। माननीय तिवारी जी जैसे अनुभवी व्यक्ति से इस तरह की बात नहीं सोची जा सकती है कि शराब को राज्य में इतना बढ़ावा दिया जाए। अधिक शराब खोरी से उत्तरांचल की जनता में टी0बी0 का रोग बढ़ रहा है। लोगों का लीवर खराब हो रहा है। फिर भी शराब खोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मान्यवर, अभी हाल में सूरजकुण्ड मेले में एक खास ग्रुप के लोगों को दिल्ली ले जाया गया और उन्हें शराब से सरोबार किया गया। मान्यवर, पूरा उत्तरांचल पहले ही शराब से त्रस्त है। 12 लाख से अधिक शराब की बोतलें भूतपूर्व सैनिकों के घरों में आ रही है। लगता है सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। शराब की दुकानों को धीरे–धीरे कम करके शराबखोरी कम की जा सकती है तथा नये विकल्प तलाशे जा सकते हैं, परन्तु बजट में इसका कहीं उल्लेख नही है। मान्यवर, यदि विकास का माध्यम यदि शराब है तो मैं नहीं समझता हूं इस राज्य का विकास होगा। मान्यवर, लगता है सरकार मेरे इच्छा शक्ति का नितान्त अभाव है। सरकार शराब की दुकानों को धीरे–धीरे कम करके शराबखोरी को कम किया जा सकता था व नये विकल्प तलाश कर आबकारी पर निर्भरता कम की जा सकती थी, परन्तु बजट में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मेरा अनुरोध है कि शराब की दुकानों को धीरे–धीरे कम करने की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, यहां की परिवहन व्यवस्था आय का प्रमुख स्रोत बन सकती है। अभी तक राज्य का परिवहन निगम नहीं बना है। सारी आय उ0प्र0 के खाते में जा रही है। परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। प्रदेश में समानान्तर परिवहन व्यवस्था माफियातंत्र के माध्यम से चल रही है। प्राईवेट बसों व जीपों में आये दिन होने वाली दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, जनता परिवहन निगम के कायाकल्प का इंतजार कर रही है परन्तु इस बारे में बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। आज विधायकों को अपने–अपने क्षेत्रों से देहरादून आने हेतु सीधी बस सेवा का कोई प्राविधान नहीं है। परिवहन निगम का नया ढांचा खड़ा करने से कम से कम 10 हजार लोगों को नया रोजगार दिया जा सकता है। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति हुई है व भविष्य में भी इस क्षेत्र में बहुत प्रगति की संभावनाएं हैं। मान्यवर कई ऐसे क्षेत्र आज भी अछूते हैं जहां नदियों से टनल बनाकर 300 से 400 मैगावाट तक अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के साथ–साथ सिंचाई के क्षेत्र में दोहरा लाभ लिया जा सकता था। इस संदर्भ में मैंने पिंडर नदी से तीन टनलें निकालकर विद्युत उत्पादन सिंचाई व कालागढ़ बांध विद्युत उत्पादन में दुगुनी वृद्धि का उल्लेख किया था उसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। मान्यवर, ऊर्जा का लाभ उत्तरांचल के पर्वतीय भू–भाग को बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहां बिजली पर आधारित अधिकांश कुटीर उद्योग पूरी तरह बंद हो चुके हैं। मैं सदन में कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। पहाड़ों में मनमाने बिजली किराये के कारण आटा चक्कियां व आरा मशीनें बंद हो चुकी हैं। मात्र सीजनल चलने वाले छोटे होटल मनमाने बारहमासी बिजली किराये से त्रस्त हैं। मान्यवर, बिजली हम पैदा करते हैं और हमारे प्रदेश को सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध करायी जानी चाहिए। यही नहीं पूरे राज्य में, 60–70 प्रतिशत गांवों में जहा लकड़ी के पोल लगे हैं गिरने की स्थिति में हैं, इनके लिए भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

सिंचाई के क्षेत्र से त्वरित सिंचाई के अन्तर्गत 49.53 करोड़ नाबार्ड पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 15 करोड़ कुल 67.53 करोड़ का प्राविधान है, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई मद में प्रतिवर्ष बजट नहीं के बराबर दिया जाता है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई घाटियों में अनाज का रिकार्ड उत्पादन होता है। जैसे उत्तर काशी की मिलंगना घाटी, गोचर, गरूड़, बागेश्वर, सोमेश्वर वैली, कैडारों, चिंता वैली, गेवाड़ वैली, सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में परम्परागत फसलों के अतिरिक्त नकदी फसलें पर्याप्त मात्रा में बोयी जाती हैं, परन्तु समय पर सिंचाई सुविधाएं न मिलने से खेती बंजर पड़ती जा रही है। इन क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, नई लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निर्माण, छोटे–छोटे मिनी बैराज बनाकर बरसाती पानी को रोकने का बजट में कोई प्राविधान नहीं है। पुरानी नहरों के जीर्णोंद्धार की कोई व्यवस्था नहीं हैं। मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद में सर्वाधिक एक हजार हे0 सिंचाई वाला भू–भाग मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, परन्तु मान्यवर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हम कृषि व नकदी फसलों के उत्पादन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मान्यवर, पेयजल की स्थिति समूचे राज्य में दिन प्रतिदिन चरमरा रही है। इस वर्ष भीषण गर्मी में अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल का हाहाकार मचा हुआ है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इस बार 20 से 25 रुपये कनस्तर पानी बिका, अधिकांश स्रोत सूख गये। गगास व कोसी नदियां सूखने के कगार पर आ गईं। यह भावी गंभीर पेयजल संकट की चेतावनी है।

मान्यवर, विगत वर्ष के महामहिम के अभिभाषण में 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी। मान्यवर, जल निगम, जल संस्थान, स्वजल, ब्लॉकों के माध्यम से निर्मित योजनाओं सहित करोड़ों रुपया व्यय करने के बावजूद पेयजल विभाग की कलई इन गर्मियों में खुल गई। मान्यवर, जब तक पानी के स्रोतों का संरक्षण व संवर्धन नहीं होगा, समस्या बढ़ती जायेगी। मान्यवर, 132 करोड़ रुपया पेयजल हेतु रखा गया है तथा 500 करोड़ की स्वजल परियोजना द्वितीय चरण विश्व बैंक को भेजी गई है। स्वजल के प्रथम परियोजना चरण की ओर गौर करें तो आप पायेंगे इसमें धन का भारी दुरुपयोग किया गया है। मान्यवर, जो एन0जी0ओ0 पेयजल के बारे में कुछ नहीं जानते उनके हाथों में करोड़ों की योजनायें सौंप दी गई, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में निर्मित स्वजल परियोजनाओं की उच्चस्तरीय जांच करवा लें। मान्यवर, 75 प्रतिशत योजनायें बुरी तरह असफल रहीं हैं व उनमें जमकर लूट व भ्रष्टाचार हुआ है। अतः स्वजल परियोजनाओं में बिचौलिये एन0जी0ओ0 के बजाय सीधे ग्राम सभाओं व वहां के युवक मंगल दलों, महिला मंगल दलों के माध्यम से स्वजल द्वितीय चरण का काम कराया जाए। तो इससे निश्चित रूप से फायदा होगा और इससे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह भी कम होगा।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बुनियादी सुधार का कोई उल्लेख बजट में नहीं है। 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक घटाकर 20 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक होना चाहिए था। मान्यवर, विद्यालयों में भवनों व साज–सज्जा का नितान्त अभाव है। मान्यवर, जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण, राजकीय हाईस्कूलों के उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव बजट में नहीं है। विधायकों पर उच्चीकरण के लिए निरन्तर दबाव पड़ रहा है। मान्यवर, यह जो अध्यापकों का मानक है, वे भी उपस्थित नहीं रहते हैं।

मान्यवर, सुदूर क्षेत्रों में जहां दो या तीन अध्यापक हैं, उन तीनों में एक रोस्टर बन गया है, आज मैं जाऊंगा, कल दूसरा और परसों तीसरा जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। शिक्षा का जो मानक है 40 बच्चों पर एक शिक्षक उसे घटाकर 20 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि हर शिक्षक को 5 वर्ष तक सीमान्त क्षेत्रों में सेवा की अनिवार्यता होनी चाहिए। मान्यवर, विद्यालयों में भवनों व साज–सज्जा का नितान्त अभाव है। मान्यवर, उच्च शिक्षा मद में मात्र 15.70 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है जब कि 15 नए राजकीय महाविद्यालय भवनहीन हैं। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री ने द्वाराहाट व डीडीहाट महाविद्यालयों में बी0एस0सी0 की कक्षायें स्वीकृत की हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा के मद में और खासकर उच्च शिक्षा मद में बजट बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, प्राविधिक संस्थानों में नए ट्रेड खोलने, रोजगार परख शिक्षा देने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हमारे

माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वाधिक तकनीकी व रोजगार परख शिक्षा पर जोर देते हैं।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग में आज विधायकों के लिए 2 ही समस्याएं हैं, विधायकों का क्राइट एरिया है कि आपने कितनी सड़कें बनायी हैं। मान्यवर, पिछले वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को एक करोड़ रु0 सड़कों के निर्माण हेतु दिया गया उसमें मात्र 6 किलोमीटर सड़क ही बन पायी। मान्यवर, सड़क के मद में बजट को बढ़ाया जाना चाहिए तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में राज्य सेक्टर से कम से कम 2 करोड़ रु0 की व्यवस्था बजट में होनी चाहिए। मान्यवर, जहां तक उद्योग–धन्धों का सवाल है आज उत्तरांचल राज्य का 3/4 पर्वतीय भू–भाग उद्योग विहीन है, आज ही बात आयी थी कि मसूरी में कितने करोड़ के व्यवसाय आमंत्रित किए गए हैं मैं कहना चाहूंगा कि आज बाहर से चाहे कितने ही लोगों को ला दीजिए, पूंजी निवेशकों को ला दीजिए, जब तक उत्तरांचल के लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक इस प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। उत्तरांचल के लोग बहुत नौकरी कर चुके, बहुत बर्तन मल चुके। यदि उनको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं दी जाती तो निश्चित ही उत्तरांचल राज्य का विकास नहीं होगा। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में हमने कहा था कि बहुत सारी जमीनें बिक गयीं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय पर्यटन मंत्री ने अवगत कराया था कि मसूरी की पर्यटन उद्योग बैठक में, 1 हजार करोड़ के निवेश पर्यटन उद्योग हेतु आये हैं। यह अच्छी बात है, परन्तु उत्तराखण्ड के बेरोजगारों को जब तक उद्योगों के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया जायेगा, इस क्षेत्र का भला होने वाला नहीं है, जब तक यहां के लोगों की हिस्सेदारी तय नहीं की जाती, यहां का हित होने वाला नहीं है। मान्यवर, हर क्षेत्र में बाहरी उद्यमियों को आमंत्रित करने का मिथक खत्म किया जाना चाहिए। बाहर के लोगों को यहां के पर्यटन की ए, बी, सी, डी भी नहीं मालूम। सूरजकुण्ड में अविवाहित लड़कियों को रंग्याली पिछौड़े पहनाकर पर्यटकों को तिलक लगाना मान्यवर, यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जो सचिव व अधिकारी यहां के पर्यटन के बारे में व यहां की संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उनको तो हमारे पर्यटन की नीति बनाने निर्गत करने का अधिकार भी नहीं है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इनमें से मैं श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल जी की सूचना को वक्तव्य के लिए तथा श्री कैलाश शर्मा जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–11 पुकारे जाने पर)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाये जाने का प्रयास

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं नियम 311 के अन्तर्गत एक मौखिक सूचना सदन को दे रहा हूं। मान्यवर, अभी–अभी पता चला है कि दून अस्पताल में नारी शिक्षा निकेतन की एक महिला को बच्चा पैदा हुआ है जिसमें एक मंत्रीजी का नाम आया हुआ है मैं किसी पर ऐलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। नियम 311 की सूचना को किसी भी समय लिया जा सकता है। हमारी बहनें उनसे मिलना चाहती हैं पर मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह किस नियम के तहत सूचना दे रहे हैं?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया शांत बैठें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप नियम के अन्तर्गत सूचना लाईये। मैं आपको नहीं सुन रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल में साहित्य अकादमी स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

वक्तव्य [XX राज्य गठन के उपरान्त शासन द्वारा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के निदेशालयों के गठन एवं उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, उत्तरांचल प्राविधिक संयुक्त परीक्षा परिषद् की स्थापना की गयी है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का संरचनात्मक स्वरूप को सम्प्रति अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। संस्कृत भाषा के सम्वर्द्धन एवं विकास हेतु वर्ष 2003 में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गयी है। प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना का सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साहित्य संवर्द्धन, विकास एवं प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा। XX]

[XX] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले नगरों की सफाई हेतु सीवर लाइनों की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

[XX माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह अवगत कराया गया है कि केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों अगस्तमुनि, गुप्तकाशी, गौरीकुण्ड एवं ऊखीमठ आदि नगरों की सीवर लाइनों का स्वच्छता की दृष्टि से निर्माण किया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में सीवर लाइन निर्माण की योजना नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित है तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी सभी नगरों को ही नहीं बल्कि उत्तरांचल के प्रमुख नगरों की सीवर लाइन निर्माण के कार्यों को भी पूर्ण नहीं कराया जा सका है। चूंकि उक्त नियम 51 के अन्तर्गत उल्लिखित स्थान अभी नगरों की श्रेणी में हैं अतः इन स्थानों में सीवर लाइन निर्माण किया जाना अभी विचाराधीन नहीं है। XX]

[XX XX] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 17 मिनट पर बुधवार 18 जून, 2003 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देहरादून
दिनांक : 17 जून, 2003

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्र0सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर।)

संलग्नक

संख्या–756/।(2)व0ग्रा0वि0/2003–9(2)/2001

प्रेषक,

डॉ0 आर0एस0 टोलिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल,
नैनीताल।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 30 अप्रैल, 2003

विषय–उत्तरांचल के वनों से उत्पादित लीसा के निस्तारण हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2909 शिविर/16–7, दिनांक 10 मार्च, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के वनों से उत्पादित लीसे के निस्तारण की व्यवस्था/प्रक्रिया, आदि से सम्बन्धित समस्त पूर्व निर्णयों/आदेशों को अतिक्रमित करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय लीसा निस्तारण नीति का निर्धारण निम्नवत करते हैं:–

(अ) लीसा निस्तारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में :

उत्तरांचल राज्य के वनों से उत्पादित लीसा का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(1) लीसा की कुल वार्षिक फसल के 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण अखिल भारतीय नीलामी से किया जायेगा;

(2) 50 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल में पंजीकृत इकाइयों के बीच, इकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक, खुली नीलामी से किया जायेगा;

(3) अवशिष्ट 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल की खादी, सहकारिता, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम की लीसा इकाईयों के बीच इकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक, खुली नीलामी से किया जायेगा;

(4) यदि उपर बिन्दु–अ(2) एवं बिन्दु–अ(3) के अन्तर्गत निस्तारण/नीलामी की कार्यवाही के पश्चात् लीसे की कुछ मात्रा अवशेष रह जाती है तो उसका निस्तारण भी अखिल भारतीय नीलामी के द्वारा किया जायेगा.

(ब) लीसा आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में नीति/कार्यवाही :

(1) नई व उन्नत तकनीक प्रयोग में लायी जाने वाली इकाईयों की स्थापना हेतु वन विभाग के अन्तर्गत पंजीकरण की बाध्यता समाप्त कर दी जाय। उद्योग

विभाग में पंजीकरण की व्यवस्था लाइसेंस के रूप में नहीं बल्कि सूचना एवं अभिलेख के लिए रखी जाये जिसमें इकाईयों की प्रसंस्करण क्षमता व अपनायी जाने वाली तकनीक इत्यादि का पूर्ण विवरण उपलब्ध रहे। तकनीकी निरीक्षण व पुष्टिकरण उद्योग विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाय। वन विभाग द्वारा उद्योग विभाग से परामर्श करके विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा सकते हैं, जिनका अनुपालन सम्बन्धित इकाईयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा;

(2) जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों के क्रम में, पूर्व से पंजीकृत इकाईयों को पुर्नपंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाय जिसमें ये इकाईयां प्रयोग की जा रही तकनीक एवं प्रसंस्करण क्षमता इत्यादि का स्पष्ट विवरण दें। नयी इकाईयों को पंजीकरण मात्र सेकेन्डरी व टरशरी उत्पादों के उत्पादन हेतु ही प्रदान किया जाय, प्राथमिक स्तर–प्रसंस्करण हेतु नई इकाईयों के पंजीकरण पर प्रतिबन्ध रखा जाय, पूर्व पंजीकृत जो इकाईयां कार्यरत नहीं हैं, उनका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाय,

(3) पुर्नपंजीकृत इकाईयों को प्रथम चरण में प्रसंस्करण तकनीकी के उन्नयन हेतु एक वर्ष की समय–अवधि प्रदान की जाय, यदि इस अवधि के भीतर ये इकाईयां तकनीकी उन्नयन में असमर्थ रहती हैं तो उनका पंजीकरण निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है;

(4) खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाईयों तथा सहकारिता क्षेत्र की इकाईयों की दशा एवं दिशा की वर्तमान स्थिति का परीक्षण/सत्यापन क्रमशः औद्योगिक विकास विभाग एवं सहकारिता विभाग के द्वारा करा लिया जाय।

(स) प्रबन्धकीय सुधार हेतु कार्यवाही :

(1) प्रभागवार लीसा निस्तारण/नीलामी हेतु प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि निर्धारित करके एक कलैन्डर तैयार किया जायेगा तथा यह कलैन्डर एवं प्रभागवार लीसा स्टॉक संबंधी व अन्य संगत सूचना सभी संबंधितों को उपलब्ध करायी जायेगी;

(2) लीसा श्रमिकों का भुगतान प्रतिमाह आमद के अनुरूप किया जाय। इस हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाय व विभागाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से भुगतान की मासिक समीक्षा की जाय;

(3) लीसी नीलामी/निस्तारण की कार्यवाही प्रमुख लीसा डिपुओं/केन्द्रों पर की जायेगी। लीसा क्रय करने वाली इकाईयों को अनिस्तारित लीसा स्टॉक की समाप्ति के उपरान्त यथासम्भव आपूर्ति निकटस्थ रोड हैड/रेल हैड डिपो से की जायेगी;

(4) टरशरी स्टेज प्रोसेसिंग के बारे में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उद्यमियों में जागरुकता/ज्ञान प्रदान किया जाय, इस हेतु वन विभाग द्वारा भी तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाय जिससे अधिक से अधिक वेल्यू एडीशन राज्य में हो सके;

(5) लीसा निकासी की पद्धति में सरलीकरण किया जाय। इसके अन्तर्गत लीसा निकासी के परमिट रेंज स्तर पर जारी किये जायें जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं निकासी गेटों पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इससे प्रक्रियात्मक स्तरों में कमी होने से औद्योगिक इकाईयों की कठिनाइयां कम होंगी साथ ही अवैधानिक गतिविधियां रुक सकेंगी। बाहरी बाजारों के लिए लीसा उत्पादों के परमिट की व्यवस्था को समाप्त किया जाय जिससे बिना कठिनाई के निर्यात किया जा सकेगा;

(6) लीसा के अतिरिक्त लीसा से बनने वाले अन्य उत्पादों का विनियमीकरण किया जाये। इसके अन्तर्गत लीसा प्रसंस्करण से उत्पादित समस्त प्रकार के उत्पादों पर वन विभाग के स्तर से पंजीकरण या निकासी की अनुमति/शुल्क की व्यवस्था को समाप्त किया जाय जिससे औद्योगिक इकाईयां लीसा उत्पादों का विपणन सरलता पूर्वक कर सकें;

(7) लीसा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु लीसा डिपुओं में शेड्स बनाये जायें जिससे पानी अथवा धूप/गर्मी से गुणवत्ता में गिरावट न आने पाये;

(8) एम०ओ०टी०/केरोसीन की उपलब्धता औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाय;

(9) इकाईयों को तकनीकी उच्चीकरण हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाय।

2. उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर०एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या-756(1)/I(2) व०ग्रा०वि०/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्रनगर।
5. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम/गढ़वाल मण्डल विकास निगम।
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल।
7. निदेशक, समस्त राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव विहार, उत्तरांचल।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
9. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

(आर०एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव।

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्र0 सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर।)

विधानसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का संलग्नक।

अर्द्ध कुम्भ मेला, 2004 हेतु स्वीकृत मार्गों की सूची

1. पुरकाजी–लक्सर–ज्वालापुर मार्ग।
2. रुड़की–लक्सर मार्ग।
3. जटवाड़ा पुल से हर–की–पौड़ी होते हुए भूपतवाला मार्ग।
4. मंगलौर–झबरेड़ा–गुरुकुल नारसन मार्ग।
5. भगवानपुर–हकीमपुर तुर्रा–इमलीखेड़ा–पिरान कलियार मार्ग।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 से पिरान कलियार लिंक मार्ग।
7. पुहाना से झबरेड़ा मार्ग।
8. नटराज चौराहा भद्रकाली बिट्ठल आश्रम होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के जंक्शन बिन्दु (तपोवन) तक बाई पास मोटर मार्ग एवं सुधार।
9. ऋषिकेश बाईपास मार्ग किमी0 1 से 7.300 तक मार्ग।
10. ऋषिकेश में नटराज चौराहा का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण।
11. लक्ष्मण झूला/स्वर्गाश्रम जौंक ग्राम मार्ग किमी0 1 से 5 तक सुधार एवं सुदृढ़ीकरण।

पी0एस0यू0पी0 (आर0ई0) 01 विधान सभा/241–25–08–2004–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।